REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2017/चैत्र 27, 1939
No. 145]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2017/CHAITRA 27, 1939

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)

अधिसूचना

गांधी नगर,13 अप्रैल, 2017

सं. 2-4/2009/प्रशा./135.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

1) विश्वविद्यालय के चयनित अध्यापकों के सेवा की शर्तों के सम्बन्ध में अध्यादेश

शिक्षक पूर्णकालिक कर्मचारी होंगें:

विश्वविद्यालय के कोई भी अध्यापक, बिना कार्यकारिणी परिषद के अनुमति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार या व्यवसाय या किसी निजि अध्यापन या किसी अन्य कार्य जिसमें किसी तरह का कोई आय या पारिश्रमिक है, में शामिल होगा।

तथापि यदि कुछ इस खंड में निहित नहीं है तो विश्वविद्यालयों या किसी प्रतिष्ठित संस्था या लोक सेवा आयोग की परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये ऎसे कार्य, या किसी भी प्रकार का साहित्यिक काम, प्रकाशन, रेडियो / टीवी टॉक या विस्तार व्याख्यान करने के संबंध में किए गए पर यह लागू नहीं होगा। शिक्षक को ऎसे किसी अन्य शैक्षणिक कार्य के लिए कुलपति की अनुमति लेना होगा

उदाहरतार्थ: इस अध्यादेश के उद्देश्य के लिए, अध्यापक का तात्पर्य विश्वविद्यालय के एक पूर्ण कालिक सवैतनिक शिक्षक से है और इसमें अवैतनिक, विजिटिंग या अंशकालिक शिक्षक शामिल नहीं हैं।

2) कार्य का प्रकार

प्रत्येक शिक्षक विश्वविद्यालय के शिक्षण और अनुसंधान कार्य में भाग लेगा और अधिनियम, विधायिका और अध्यादेश के तहत समय समय पर उसे दिये गये ऎसे किसी भी कार्य को करेगा/ करेगी और सामान्यतया विश्वविद्यालय के प्राधिकारी के निर्देशन में कार्य करेगा।

3) प्रोबेशन

शिक्षकों की नियुक्ति साधारणतया १२ माह के प्रोबेशन अवधि पर होगी, परन्तु किसी भी सूरत में इस परिवीक्षा की अवधि २४ माह से ज्यादा नहीं होगी।

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद को उसका/उसकी नियुक्ति की तिथि के बारह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले, परन्तु तारीख से १० महीने पहले की अवधि तक स्थायीकरण के लिए शिक्षक की उपयुक्तता का आकलन करने का अधिकार होगा।

बशर्ते पुनः कार्यकारी परिषद कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर परिवीक्षा की शर्त माफ कर सकते हैं।

पुनः परिवीक्षा की उपरोक्त शर्त उन अध्यापकों पर लागू नहीं होगा जिनकी नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा विधायिका के 19वें प्रावधान के तहत की गयी हो।

(ii) यह रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा कि वह कार्यकारी परिषद के समक्ष परिवीक्षा पर नियुक्त किसी शिक्षक के स्थायीकरण हेतु परिवीक्षा की अवधि के अंत से चालीस दिन पहले ऎसे मामलों को प्रस्तुत करे।

(iii) कार्यकारी परिषद या तो ऎसे शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के दिनांक से स्थायीकरण के लिए पुष्ट करेगा या फिर उसकी / उसके परिवीक्षा की अवधि को और बारह महीने बढाने का निर्णय कर सकती है। यदि कार्यकारी परिषद, शिक्षक के स्थायीकरण को पुष्ट नहीं करती, चाहे उसकी / उसके परिवीक्षा के बारह महीने की अवधि के अंत से पहले, या फिर परिवीक्षा की विस्तारित अवधि के अंत से पहले, जैसा भी मामला हो, उसे इसके बारे में उस अवधि की समाप्ति से तीस दिन पहले लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

बशर्ते उसे स्थायी नहीं करने का निर्णय करने के लिए कार्यकारी परिषद के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।

(iv) संविधि 19 के तहत कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त एक शिक्षक को उसके नियुक्ति के बाद शामिल होने के दिनांक से सेवा में प्रभावी होना समझा जाएगा।

4) वेतन वृद्धि

प्रत्येक शिक्षक को उसके/ उसकी वेतन बैंड के साथ शैग्रेपे (शैक्षणिक ग्रेड पे) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, पर वेतन वृद्धि दी जायेगी, जब तक इसे रोका या कुलपति द्वारा अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद के एक प्रस्ताव से स्थगित ना किया गया हो और शिक्षक को उसकी / उसके लिखित प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया हो।

(1) प्रत्येक वार्षिक वेतन वृद्धि सम्बन्धित वेतन बैंड और शैग्रेपे के कुल योग के 3% के बराबर होगी, जैसा उस पे बैण्ड में लागू हो।

(2) प्रत्येक अग्रिम वेतन वृद्धि भी सम्बन्धित वेतन बैंड और शैग्रेपे के कुल योग के 3% के बराबर होगी, जैसा उस पे बैण्ड में लागू हो और यह गैर चक्रवृद्धि युक्त होगी।

(3) अगप के प्रत्येक उच्च स्तर पर प्लेसमेंट के अतिरिक्त वेतन वृद्धि (एस) की संख्या अधिक वेतनमान को कम वेतनमान से पदोन्नति पर वेतन वृद्धि की मौजूदा योजना के अनुसार होगी; बहरहाल, प्रभावी वेतन में दो वेतन बैंड के बीच अत्यधिक वृद्धि के मामलों में, पे बैंड 15600-39100 से पे बैंड 37400-67000 में जाने पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं दिया जायेगा।

5) सेवा-निवृत्ति की आयु

5.1 विश्वविद्यालय की सेवा में प्रत्येक शिक्षक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित उम्र प्राप्त करने पर अपने सेवा के महीने की आखिरी तारीख के दोपहर को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

5.2 बशर्ते कि खाली पदों की उपलब्धता और फिटनेस, यदि कार्यकारी परिषद संतुष्ट है कि इस तरह की नियुक्ति विश्वविद्यालय के हित में है, यह कुलपति की सिफारिश पर फिर से एक शिक्षक को उसकी / उसके सेवानिवृत्ति के बाद खाली पदों के सापेक्ष उसी पद पर अनुबंध पर काम करने के लिए नियोजित कर सकती है, यह नियोजन पहली दशा में तीन साल की एक सीमित अवधि के लिए होगी और फिर उसके योग्यता, अनुभव, क्षेत्र विशेषज्ञता, सहकर्मी समूह की समीक्षा के आधार और उसके स्वास्थ्य के साथ ही साथ संतोषजनक ढंग से कार्य करने की क्षमता के आधार पर दो वर्ष तक के लिए बढाई जा सकेगी, और इस तरह के अन्य नियमों जैसा कि कार्यकारी परिषद इस सन्दर्भ में निर्दिष्ट कर सकेगा। 5.3 यदि एक सेमेस्टर के दौरान शिक्षक की सेवानिवृत्ति की तारीख या फिर से रोजगार की अवधि की समाप्ति होने की दशा में, कार्यकारी परिषद, कुलपति की सिफारिश पर, सेमेस्टर के अंत तक उस शिक्षक को सेवा में या फिर से रोजगार में बने रहने की अनुमति दे सकता है।

तथापि, इस तरह का फिर से रोजगार एक शिक्षक को उसके पुनः रोजगार कॆ 5 साल की कुल अवधि से अधिक नहीं दी जा सकेगी।

5.4 एक फिर से कार्यरत शिक्षक विभाग / केंद्र के प्रमुख या एक स्कूल के डीन / किसी भी अन्य प्रशासनिक कार्य के अध्यक्ष के रूप में या छात्र कल्याण के डीन के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। हालांकि, अन्य स्थितियों में इस तरह के सलाहकार और सलाहकार निकायों के रूप में प्रशासनिक कार्यों और जिम्मेदारियों में, विश्वविद्यालय अपने सभी संकाय सदस्यों की विशेषज्ञता का उपयोग करना जारी रख सकता है। सेवानिवृत्त शिक्षक न केवल शिक्षण और अनुसंधान मार्गदर्शन, अपितु शैक्षिक मूल्यांकन और आकलन के साथ ही अनुसंधान परियोजनाओं के प्रबंधन के अपना योगदान देना जारी रखे सकता है। के प्रविशेषक्र न केवल शिक्षण और अनुसंधान मार्गदर्शन, अपितु शैक्षिक मूल्यांकन और आकलन के साथ ही अनुसंधान परियोजनाओं के प्रबंधन के अपना योगदान देना जारी रखेगें। वे विभिन्न शैक्षिक निकायों के सदस्यों जैसे कि स्कूल बोर्ड, विशेष समितियों, विभाग / केंद्र समितियों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सिदस्यों जैसे कि स्कूल बोर्ड, विशेष समितियों, विभाग / केंद्र समितियों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विचार के लिए सिफारिशें करने के लिए विश्वविद्यालय/ स्कूल या विभाग / केन्द्र के स्तर पर गठित चयन समितियों और विभिन्न अन्य समितियों में सदस्य बनाये जा सकेंगें।

6) इस्तीफा

एक स्थायी शिक्षक या एक निर्धारित अवधि के लिए अनुबंध पर नियुक्त शिक्षक, किसी भी समय, कार्यकारी परिषद को तीन महीने की लिखित नोटिस देकर सेवा से इस्तीफा दे सकता है, और इसी प्रकार एक अस्थायी शिक्षक या परिवीक्षा पर शिक्षक, किसी भी समय, एक महीने की लिखित नोटिस देकर सेवा से इस्तीफा दे सकता है।

बशर्ते पुनः कार्यकारी परिषद कारणों को लिखित रूप में दर्ज कर परिवीक्षा की शर्त माफ कर सकते हैं।

7) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

स्थायी नियुक्ति पर एक शिक्षक जिसके सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिए हों, नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने का नोटिस देकर, स्वेच्छा से सेवा से रिटायर हो सकता है।

बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी निलंबन के तहत ऎसे शिक्षक, जो इस खंड के अधीन रिटायर होने का आग्रह करते है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से रोक सकेगा।

नोट:

(क) योग्य मामलों में कम से कम तीन महीने की नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

(ख) यदि एक शिक्षक ऊपर खंड के तहत सेवानिवृत्त होता हैं, जबकि वह अवकाश पर हो, और ड्यूटी पर लौट भी नही रहा, ऎसी दशा में सेवानिवृत्ति लीव नाट ड्यू शुरू होने की तारीख से प्रभावी होगी और ऐसी अवकाश हेतु भुगतान किये गये वेतन को विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए अवकाश के विनियमन के अध्यादेश की शर्तों के अधीन वापस ले लिया जाएगा।

8) सेवा-निवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भारत सरकार / यूजीसी द्वारा इस संबंध में तय किये गये दिशानिर्देश का पालन किया जायेगा।

9) सेवा शर्तों में बदलाव

विश्वविद्यालय का हर शिक्षक विश्वविद्यालय में लागू होने वाले विधियों, नियमों और विनियमों से बंधे होगें।

बशर्ते कि पदनाम, पे बैंड, ग्रेड वेतन, वेतन वृद्धि, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति लाभ, सेवानिवृत्ति, परिवीक्षा, पुष्टिकरण, अवकाश वेतन एवं सेवा से हटाने के संबंध में सेवा की नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन, जो कि उसे प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करेगा, किसी शिक्षक की नियुक्ति के बाद नहीं किया जायेगा।

10) पुन: नियोजित शिक्षकों के वेतन का निर्धारण

फिर से कार्यरत शिक्षकों के वेतन का निर्धारण इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए भारत सरकार/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिशानिर्देश के अनुसार इन अध्यादेशों में नियम को निहित कर किया जाएगा।

11) अनु**बं**ध

एक शिक्षक और विश्वविद्यालय के बीच आवश्यक लिखित अनुबंध क़ानून (22) के खण्ड (3) के तहत निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा।

12) विशेष संविदा

इन नियमों में निहित कुछ न होते हुए भी, कार्यकारी परिषद किसी अन्य तरह के नियम और शर्तों को जैसा यह उचित समझे, विधि 20 के तहत एक व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए अनुबंध पर नियुक्त कर सकता है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात

2. विश्वविद्यालय के शिक्षकों के अवकाश को विनियमित करने के लिए अध्यादेश

स्वीकार्य अवकाश के प्रकार:

- 1. स्थायी शिक्षकों को अवकाश के निम्नलिखित प्रकार स्वीकार्य हो सकते हैं:
 - i) अवकाश जिसे कर्तव्य समझा जायेगा
 - आकस्मिक अवकाश

विशेष आकस्मिक अवकाश

ड्यूटी अवकाश

ii) ड्यूटी द्वारा अर्जित अवकाश

अर्जित अवकाश/ अर्ध वेतन अवकाश/ लघुकृत अवकाश

- iii) ड्यूटी द्वारा अर्जित न किया गया अवकाश/ असाधारण अवकाश/ अनर्जित अवकाश
- iv) अवकाश खाते में डेबिट नहीं किये गये अवकाश
 - क) शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अवकाश

अध्ययन अवकाश

सबैटिकल अवकाश

ख) स्वास्थ्य के आधार पर अवकाश

मातृत्व अवकाश/ पितृत्व अवकाश/ दत्तक ग्रहण अवकाश/ संगरोध अवकाश/ शिशु देखभाल अवकाश

कार्यकारी परिषद, असाधारण मामलों में, दर्ज किये जा सकने वाले कारणों के साथ, अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि वह इस तरह के नियम और शर्तों के अधीन अधिरोपित करने के लिए उचित समझे।

2. आकस्मिक अवकाश (सीएल)

- (i) आकस्मिक अवकाश कर्तव्य द्वारा अर्जित नहीं किया जाता है। एक शैक्षणिक वर्ष में एक शिक्षक को कुल आठ दिन से अधिक की आकस्मिक अवकाश नहीं दी जायेगी।
- (ii) आकस्मिक अवकाश को संचित नहीं किया जा सकता, और विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़कर ना ही इसे किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा ही जा सकता है। यह रविवार सहित छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है। आकस्मिक अवकाश की अवधि के भीतर आने वाली छुट्टियां / रविवार को आकस्मिक अवकाश के रूप में गिना नहीं जाएगा।

3. विशेष आकस्मिक अवकाश (एससीएल)

- (i) एक शैक्षणिक वर्ष में एक शिक्षक को दस दिन से अधिक की विशेष आकस्मिक नहीं दी जा सकती:
 - (क) किसी दूसरे विश्वविद्यालय/ लोक सेवा आयोग/ परीक्षा बोर्ड या अन्य निकायों/ संस्थानों की परीक्षा का संचालन करने के लिए
 - (ख) एक सांविधिक बोर्ड आदि से जुड़ी शैक्षणिक संस्थानों का निरीक्षण करने के लिए;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त निकायों द्वारा आयोजित एक साहित्यिक, वैज्ञानिक या शैक्षिक सम्मेलन, संगोष्ठी या सेमिनार या सांस्कृतिक या खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए

(घ) कुलपति द्वारा स्वीकृत किये गये इस तरह के अन्य काम को शैक्षणिक कार्य के रूप में करने के लिए।

नोट: स्वीकार्य दस दिनों के अवकाश की गणना के लिए, वास्तविक यात्रा के दिन, यदि कोई हो, स्थानों पर जहां इस तरह के सम्मेलन / गतिविधि हो रहे होगें और एससीएल की अवधि के भीतर आने वाले छुट्टियां/ रविवार को बाहर रखा जाएगा।

(ii) इसके अलावा, नीचे उल्लिखित सीमा तक विशेष आकस्मिक अवकाश भी दिया जा सकता है:

(क) परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी ऑपरेशन (पुरुष नसबंदी या सल्पिंगेटामी) कराने के लिए। इस मामले में अवकाश को छह दिनों के लिए सीमित कर दिया जाएगा।

(ख) एक महिला शिक्षक द्वारा गैर ज़च्चा नसबंदी कराने के लिए। इस मामले में अवकाश को चौदह दिनों के लिए सीमित कर दिया जाएगा।

(iii) विशेष आकस्मिक अवकाश को ना ही संचित नहीं किया जा सकता और न ही इसे आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। यह, हालांकि, छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है।

4. ड्यूटी अवकाश (डीएल)

(i) यदि भारत के अंदर में शैक्षणिक कार्य हो तो स्कूल के डीन द्वारा तथा शैक्षणिक कार्य भारत के बाहर हो तो कुलपति की इजाजत से एक सेमेस्टर में 14 कार्य दिवसों से अधिक के लिए ड्यूटी अवकाश नहीं दी जा सकती है।

(क) विश्वविद्यालय की ओर से सम्मेलन/ कांग्रेस / संगोष्ठियों / सेमिनार और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए, याजहां निमंत्रण विश्वविद्यालय के पूर्व अनुमोदन से स्वीकार किये गये हों;

(ख) संस्थानों या विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त और कुलपति द्वारा स्वीकार किए गये निमंत्रण पर ऎसे संस्थानों या विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देने के लिए; या

(ग) भारत या विदेश में उपक्रम क्षेत्र का काम करने के लिए।

स्पष्टीकरण: शिक्षक को ड्यूटी पर होना माना जायेगा (और ड्यूटी अवकाश की आवश्यकता नहीं होगी) और इसके फलस्वरूप एक सेमेस्टर में 14 कार्य दिवसों के सीमा का प्रतिबंध निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:

(अ) विश्वविद्यालय के द्वारा किसी दूसरे भारतीय या एक विदेशी विश्वविद्यालय, किसी अन्य एजेंसी, संस्था या संगठन में प्रतिनियुक्त पर कार्य करने के लिए या विश्वविद्यालय के लिए कोई अन्य कार्य करने के लिए;

(ब) भारत सरकार, राज्य सरकारों, यूजीसी, विश्वविद्यालयों या किसी अन्य अकादमिक या सार्वजनिक निकाय के प्रतिनिधिमंडल या समिति के एक सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए;

(स) सांस्कृतिक / द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत विदेशों में प्रतिनियुक्ति, जिसमें यह शर्त हो कि प्रतिनियुक्त शिक्षक को ड्यूटी अवकाश पर जाना होगा।

(द) ऎसे अवकाश पूरे वेतन पर दिया जा सकता है बशर्ते कि यदि शिक्षक को कोई फैलोशिप या मानदेय या राशि सामान्य खर्च के लिए आवश्यकता से परे किसी भी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता मिल रही हो, तो वह व्यक्ति इस संबंध में विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय को सीमा से परे राशि का एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत जमा कर देगा।

(ii) ड्यूटी अवकाश को अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश या असाधारण अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

(iii) ड्यूटी अवकाश को अवकाश (वेकेशन) के पहले या अंत में जोडा जा सकता है।

5. अर्जित अवकाश (ईएल)

(i) एक शिक्षक के लिए स्वीकार्य अर्जित अवकाश की गणना वेकेशन को शामिल करते हुए वास्तविक सेवा के 1/30 की दर से किया जाएगा।

(ii)

(क) हर साल जनवरी के पहले दिन एक शिक्षक के अवकाश खाते में 12 दिनों का अर्जित अवकाश अग्रिम में जमा किया जाएगा।

(ख) यदि एक शिक्षक ने आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश या ड्यूटी अवकाश या पिछले वर्ष के दौरान उसका / उसकी अनुपस्थिति को डायज नान के रूप में माना गया हो, उसकी / उसके अवकाश खाते में ऎसे अवकाश को 1/30 की दर से कम किया जाएगा।

(ग) कैलेंडर वर्ष में जिसमें एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है के लिए अर्जित अवकाश को उसके/ उसकी ज्वाइनिंग के दिनांक वाले कैलेंडर माह के पहले दिन ही अग्रिम में क्रेडिट किया जाएगा, यह क्रेडिट उसके/ उसकी संभावित सेवा करने के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए एक दिन की दर से की जायेगी।

(घ) कैलेंडर वर्ष में जिसमें एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहा हो या सेवा से इस्तीफा दे रहा हो, के लिए अर्जित अवकाश को उसके/ उसकी सेवानिवृत्त या इस्तीफा देने की तारीख तक प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए एक दिन की दर से की जायेगी।

(ई) जब एक शिक्षक सेवा से बर्खास्त या निकाल दिया जाता है या सेवा के दौरान मर जाता है, अर्जित अवकाश के क्रेडिट की गणना उसके पहले के कैलेण्डर माह तक के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए एक दिन की दर से की जायेगी, जिसमें उसे सेवा से बर्खास्त या निकाल दिया जाता है या फिर वह मर जाता है।

(iii) विश्वविद्यालय का शिक्षक अवकाश के दौरान प्रवेश परीक्षा के मूल्यांकन के काम के लिए अधिकतम 30 दिन तक की ड्यूटी पर जा सकता है और

इसके लिए उस अवधि का 1/3 उसके / उसकी अर्जित अवकाश खाते में जमा किया जा सकता है। शिक्षक जो कि विभाग के प्रमुख / स्कूल के डीन आदि जैसे प्रशासनिक कार्य कर रहे हों, भी ऎसे अर्जित अवकाश के लिए हकदार होगें

यह गणना ऎसे ड्यूटी पर बिताये गये अवधि के 1/3, पर अधिकतम 30 दिनों के लिए की जायेगी।

(iv) एक शिक्षक अर्जित अवकाश की क्रेडिट संख्या समय-समय पर भारत सरकार / यूजीसी सरकार द्वारा निर्दिष्ट सीमा से परे नहीं जमा कर सकेगा। एक समय में अधिकतम अर्जित अवकाश, जिसे मंजूर किया जा सकता है 60 दिन से अधिक नहीं होगी। उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण के मामले में या चिकित्सा के आधार पर अवकाश या जब पूरा अवकाश या उसका एक भाग भारत के बाहर खर्च किया जाता हो की दशा में, 60 दिन से अधिक अर्जित अवकाश भी, हालांकि, मंजूर किया जा सकता।

नोटः

 जब एक शिक्षक अवकाश के पहले या अंत में अर्जित अवकाश जोडता हो, उस दशा में वेकेशन की अवधि को औसत वेतन पर अवकाश की अधिकतम अवधि की गणना के लिए अवकाश के रूप में माना जाएगा।

 ऎसे मामले में, जहां केवल अवकाश के एक हिस्से को भारत से बाहर बिताया जाता है, 60 दिन से अधिक के अवकाश को, बशर्ते कि भारत में बिताया गया अवकाश हिस्से का कुल योग 60 दिनों से अधिक नहीं होगी, मंजूर किया जा सकता है।

 केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को लागू प्रावधान की तरह एक शिक्षक को भी अर्जित अवकाश का नकदीकरण कर सकने की अनुमति दी जाएगी।

6. अर्ध वेतन अवकाश (एचपीएल)

(i) हर कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन में प्रत्येक स्थायी शिक्षक के अर्ध वेतन अवकाश को दस दिनों के प्रत्येक के दो किश्तों में अग्रिम में जमा किया जाएगा ।

(ii) (क) अवकाश खाते में अवकाश को वर्ष के सेवा, जिसमें शिक्षक नियुक्त किया जाता है, के प्रत्येक पूरा कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिन की दर से अवकाश खाते में जमा किया जाएगा।

(ख) वर्ष में जिसमें एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहा हो, के लिए क्रेडिट प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर माह के लिए 5/3 दिन की दर से की जायेगी।

(ग) जब एक शिक्षक निकाल दिया जाता है या सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है या जब सेवा में मर जाता है, उसका / उसकी क्रेडिट में अर्ध वेतन अवकाश पूर्ववर्ती कैलेंडर के अंत तक पूर्ण किये गये प्रति कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिन की दर से समायोजित किया जाएगा, जिसमें उसे सेवा से हटा या बर्खास्त कर दिया जाता है या सेवा में मर जाता है।

7. लघुकृत अवकाश (कम्यूटेड लीव)

लघुकृत अवकाश जो कि अर्ध वेतन अवकाश की आधी राशि से अधिक नहीं होगी, विश्वविद्यालय द्वारा पैनल में रखे गये एक पंजीकृत चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण पत्र पर निम्न शर्तों के साथ एक स्थायी शिक्षक को दी जा सकती:

(i) जब लघुकृत अवकाश दी जाती है, तो ऎसे अवकाश के दोगुने राशि को देय अर्ध वेतन अवकाश के खाते में डेबिट कर दिया जायेगा।

(ii) इस अध्यादेश के अनुसार कोई लघुकृत अवकाश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि अवकाश मंजूर करने वाले सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का उचित कारण है कि शिक्षक अपने अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर वापस लौट जाएँगा।

(iii) जहां एक शिक्षक जिसे लघुकृत अवकाश कर दिया गया है, अपने सेवा से इस्तीफा देता है या उसकी / उसके अनुरोध पर बिना ड्यूटी पर लौटे रिटायर करने के लिए अनुमति दिया जाता है, ऎसी दशा में लघुकृत अवकाश को आधे वेतन अवकाश की तरह माना जायेगा और लघुकृत अवकाश और आधे वेतन अवकाश के बीच अंतर के लिए अवकाश वेतन बरामद किया जाएगा।

बशर्ते कि इस तरह की कोई वसूली नहीं की जाएगी यदि सेवानिवृत्ति का कारण उनका/ उनकी खराब स्वास्थ्य की वजह से है, जो कि शिक्षक को आगे की सेवा के लिए अक्षमे बनाता हो या उसकी / उसके मृत्यु की स्थिति में।

(lv) पूरी सेवा के दौरान लघुकृत अवकाश को अधिकतम 240 दिनों के लिए सीमित किया जाएगा।

नोट: (1) लघुकृत अवकाश शिक्षक के अनुरोध पर दिया जा सकता है यहां तक कि जब उसके पास अर्जित अवकाश हो।

(2) एक बार में संयोजित रूप से अर्जित अवकाश और लघुकृत अवकाश की अवधि 240 दिन से अधिक नहीं होगी।

8. असाधारण अवकाश (ईओएल)

(i) एक स्थायी शिक्षक को असाधारण अवकाश दी जा सकती है:

(क) जब अन्य कोई अवकाश स्वीकार्य ना हो, या

(ख) जब अन्य कोई अवकाश स्वीकार्य है, परन्तु शिक्षक असाधारण अवकाश के अनुदान के लिए लिखित रूप में आवेदन करता है।

परंतु, तथापि, कि नीचे दिये प्रावधानों के तहत उप खंड (ii से (iv) के अनुसार, विश्वविद्यालय के बाहर नियुक्ति या फैलोशिप प्राप्त करने के लिए किसी शिक्षक को कोई असाधारण अवकाश नहीं प्रदान किया जाएगा।

(ii) कार्यकारी परिषद, संबंधित संस्था से उनके अनुरोध पर और शिक्षक के आवेदन पर एक सरकार, दूसरे विश्वविद्यालय, एक शोध संस्थान या इसी तरह की अन्य संस्थान में नियुक्ति या फैलोशिप के लिए असाधारण अवकाश की मंजूरी दे सकता है, यदि कार्यकारी परिषद की राय में इस तरह के अवकाश से विश्वविद्यालय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यह अवकाश केवल एक शिक्षक, जिसने उसके द्वारा धारित पद पर स्थायीकरण प्राप्त कर लिया हो और कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय की सेवा की है, को ही दी जा सकती है:

बशर्ते कि कार्यकारी परिषद बहुत ही असाधारण मामलों में दो वर्ष की सेवा की आवश्यकता के लिए छूट प्रदान कर सकता है।

ऐसी अवकाश के लिए आवेदन को सम्बन्धि स्कूल के डीन से माध्यम से भेजा जाएगा और विषय विशेष के शिक्षण स्टाफ की ताकत को ध्यान में रखते हुए डीन द्वारा सिफारिश दिया जायेगा। किसी भी समय एक विभाग / केन्द्र के रोल पर शिक्षकों की शक्ति के 20% से अधिक को असाधारण अवकाश / अध्ययन अवकाश और / या अवकाश विश्राम पर अनुपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एक शिक्षक के अवकाश की अवधि, जो उसे मंजूर की गयी हो, के अंत में तुरंत ड्यूटी पर लौटने में विफलता के मामले में, शिक्षक की सेवाएं अवकाश की अवधि के प्रारंभ होने की तिथि से समाप्त किये जाने के लिए उत्तरदायी होगी।

(iii) कार्यकारी परिषद अपने विवेक पर, एक स्थायी शिक्षक, जिसे कि शिक्षण या दूसरे विश्वविद्यालय/ अनुसंधान संस्थान या इसी तरह की अन्य संस्था में अनुसंधान के काम के लिए चयनित किया गया है, को असाधारण अवकाश प्रदान कर सकती है।

बशर्ते कि उसने कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय की सेवा की है और आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा भेजा गया था। ऐसे मामलों में अवकाश दो वर्ष की अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी। (i∨) उपखंड (नौ) नीचे के अधीन, उप खंड (ii) और (iii) ऊपर के तहत, एक शिक्षक को दिये जाने वाले असाधारण अवकाश की कुल अवधि उसके पूरे सेवा के दौरान पांच साल से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को, जिन्हें कैरियर पुरस्कार दिया जाता है, इस पुरस्कार की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में ही रहने पर उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त इस पुरस्कार की अवधि के लिए असाधारण अवकाश के अनुदान के लिए पात्र होंगे।

(v) पिछले ईओएल के स्पेल से वापस आने के बाद ईओएल की मंजूरी नहीं दी जायेगी, जब तक कि यह समाप्त न हो जाये:

¾ तीन साल के लिए -> एक शिक्षक जो एक महीने से ज्यादा और एक वर्ष से कम के लिए ईओएल पर जाता है

¾ पांच साल -> एक शिक्षक जो एक साल या उससे अधिक की अवधि के लिए ईओएल पर जाता है।

बशर्ते कि एक शिक्षक, जो एक महीने से भी कम समय के लिए ईओएल पर जाता है, अंतर की ऐसी कोई अवधि लागू नही होगी।

(vi) बावजूद इसके अन्य कोई अवकाश, जो कि एक शिक्षक को देय हो, उस पूरी अवधि के लिए जिसमें शिक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के बाहर हुई हो, वेतन के बिना होगी। इस तरह से बितायी गयी अवधि को वरिष्ठता के लिए गणना में लिया जायेगा। ऎसी अवधि का पेंशन / अंशदायी भविष्य निधि लाभ के लिए गिनती नहीं किया जायेगा, जब तक शिक्षक या विदेशी नियोक्ता द्वारा पेंशन / अंशदायी भविष्य निधि योगदान का भुगतान किया जाता है।

(7) असाधारण अवकाश हमेशा वेतन और भत्तों के बिना दिया जाएगा।

(8) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर असाधारण अवकाश की गिनती वेतन वृद्धि के लिए नहीं होगी -

(क) चिकित्सा के आधार पर ली गयी छुट्टी;

(ख) ऎसे मामले जहां कुलपति संतुष्ट है कि इस तरह का अवकाश शिक्षक के नियंत्रण से परे कारणों की वजह से लिया गया, जैसे कि सिविल हंगामा या एक प्राकृतिक आपदा में होने के कारण जिससे कि वह ड्यूटी ज्वाइन नही कर सका, बशर्ते कि शिक्षक के पास अन्य कोई प्रकार की अवकाश उसके क्रेडिट में न हो।

(ग) उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए ली गयी छुट्टी;

(घ) शिक्षण पद या फैलोशिप या अनुसंधान-सह-अध्यापन या महत्व के तकनीकी या शैक्षणिक कार्य के निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए दी गई अवकाश

(9) असाधारण अवकाश को आकस्मिक अवकाश और विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि ड्यूटी से लगातार अनुपस्थिति की कुल अवकाश की अवधि (अवकाश की अवधि जब कि इस प्रकार का अवकाश किसी अन्य अवकाश के साथ शामिल किया गया हो) तीन साल से ज्यादा नही होगी, उन मामलों को छोड़कर जहां अवकाश चिकित्सा के आधार पर लिया जाता हो। ड्यूटी से किसी भी मामले में अनुपस्थिति की कुल अवधि एक शिक्षक की सेवा की पूरी अवधि में पांच साल से अधिक नहीं होगी।

(10) अवकाश देने के लिए शक्ति प्राप्त अधिकारी बिना अवकाश के अनुपस्थिति की अवधि को पूर्वव्यापी प्रभाव में असाधारण अवकाश में बदल सकता है।

9. अनर्जित छुट्टी (एलएनडी)

(i) सेवा की पूरी अवधि के दौरान अनर्जित छुट्टी, कुलपति के विवेक पर, एक स्थायी शिक्षक को 360 दिन से अधिक अवधि के लिए प्रदान नहीं किया जायेगा, जिसमें एक बार में 90 दिन से अधिक और इस तरह के मामले में चिकित्सा के आधार पर 180 से अधिक दिनों तक नही दिया जा सकेगा। ऐसी अवकाश को उसके द्वारा अर्जित आधे वेतन अवकाश खाते से डेबिट हो जाएगा।

(ii) अनर्जित छुट्टी तब तक नहीं मंजूर किया जायेगा, जब तक कि कुलपति इससे संतुष्ट न हो कि शिक्षक अवकाश की समाप्ति पर सेवा पर वापस आ जायेगा और ऎसे अवकाश को अर्जित करेंगा।

(iii) एक शिक्षक जिसे अनर्जित अवकाश मंजूर किया गया हो, को तब तक सेवा से इस्तीफा देने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उसके सक्रिय सेवा से अवकाश खाते में शेष अवकाश पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, या फिर शिक्षक उस पूरी अवधि के लिए, जो कि उसके द्वारा अर्जित की गयी हो, भुगतान किये गये वेतन और भत्तों की राशि को वापस नहीं कर देता। बशर्ते कि ऎसे मामले जहां खराब सेहत के कारण, जो कि उस शिक्षक को आगे की सेवा करने में अशक्त / असमर्थ करता हो, सेवानिवृत्ति अपरिहार्य हो जाता है, कार्यकारी परिषद द्वारा अवकाश वेतन की वापसी, उस अवधि के लिए जिसके लिए अवकाश अर्जित की जानी हो, को माफ किया जा सकता है।

परंतु कार्यकारी परिषद, किसी भी अन्य असाधारण मामले में, अवकाश वेतन की वापसी, उस अवधि के लिए जिसके लिए अवकाश अर्जित की जानी हो, उचित कारण दर्ज कर माफ कर सकते हैं।

10) अध्ययन अवकाश (एसएल)

(i) अध्ययन अवकाश, एक शिक्षक को विश्वविद्यालय में निरंतर सेवा के 3 साल की एक न्यूनतम अवधि के बाद विभाग / केंद्र के प्रमुख की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा प्रदान की जा सकती है। यह अध्ययन अवकाश विश्वविद्यालय में उसके कार्य से सम्बन्धित एक विशेष लाइन को आगे बढ़ाने के लिए सीधे अध्ययन या अनुसंधान के लिए या विश्वविद्यालय के विभिन्न पहलुओं और शिक्षा के तरीकों का विशेष अध्ययन करने के लिए दिया जा सकेगा।

(ii) अध्ययन अवकाश की अवधि 3 साल के लिए हो सकता है, लेकिन, पहली घटना में दो वर्ष तक की अवधि के लिए दिया जा सकता है और उसके बाद एक और साल तक बढ़ाई जा सकेगी, यदि रिसर्च गाइड द्वारा पर्याप्त प्रगति की रिपोर्ट दी जाती है, बशर्ते कि किसी भी विभाग / केन्द्र या स्कूल में उपर उल्लिखित प्रावधान 8(ii) के तहत एक समय में अध्ययन अवकाश दिए गए शिक्षकों की संख्या, अवकाश पर जाने वाले शिक्षकों की निर्धारित प्रतिशत ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

(iii) कार्यकारी परिषद, विशेष मामले की परिस्थितियों में, तीन वर्ष की निरंतर सेवा होने की शर्त को माफ कर सकती है।

स्पष्टीकरण: सेवा की अवधि की गणना में, वह समय जिसके दौरान एक व्यक्ति परिवीक्षा पर रहा हो या अनुसंधान सहायक / एसोसिएट के रूप में रहा हो, बशर्ते कि वर्तमान नियुक्ति अनुसंधान सहायक / एसोसिएट के रूप में पिछले सेवा की निरंतरता में है।

(iv) एक शिक्षक को, जो कि अध्ययन अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद ड्यूटी पर लौटने की तारीख के पांच साल के भीतर रिटायर होने वाला हो, को अध्ययन अवकाश नहीं दिया जायेगा।

(v) एक शिक्षक के कैरियर के दौरान अध्ययन अवकाश दो बार से अधिक नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि पूरी सेवा के दौरान स्वीकार्य तीन साल से अधिक नहीं होगी।

(vi) कार्यकारी परिषद की अनुमति के बिना कोई भी शिक्षक, जिसे अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया है, अध्ययन या अनुसंधान के कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं करेगा। यदि इस दौरान कम समय के अध्ययन अवकाश में ही अध्ययन हो जाता है, शिक्षक पाठ्यक्रम के समापन पर सेवा पर वापस लौट जायेगा।

(vii) उपबंधों के अधीन उप खंड (नौ) और (x) के अनुसार, पूर्ण वेतन पर अध्ययन अवकाश दो साल के लिए दी जा सकती है, और विश्वविद्यालय के विवेक पर एक वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(viii) छात्रवृत्ति, फेलोशिप या अन्य वित्तीय सहायता की राशि, जो कि एक शिक्षक जिसे कि अवकाश दे दी गई है, के कारण उसके वेतन और भत्तों सहित उसके अध्ययन अवकाश को बन्द नहीं करेगा, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा तय पूर्व निर्धारित प्रतिशत के तहत, यदि यह विश्वविद्यालय द्वारा तय किये गये सीमा से अधिक हो, तो इस तरह के प्राप्त ऎसे छात्रवृत्ति, आदि की राशि को विश्वविद्यालय को दे दिया जायेगा। विदेशी छात्रवृत्ति / फैलोशिप को ऊपर बताये गये तरीके से विनियमित किया जाएगा, यदि फेलोशिप एक निर्धारित राशि के उपर हो, जो समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा। एक भारतीय फैलोशिप के मामले में, जो की शिक्षक के वेतन से अधिक हो, फैलोशिप के दौरान वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

नोट: विदेश में बिताये गये अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान एक शिक्षक द्वारा प्राप्त राशि का निर्धारण करते समय, प्रतिशत की गणना करने के लिए, जिसे शिक्षक को विश्वविद्यालय को देना है, शुद्ध परिलब्धियां बजाय कि सकल परिलब्धियां को ध्यान में रखा जाना होगा और अनुदान एजेन्सी द्वारा विदेश में बिताये गये अवकाश के दौरान कर और पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु शिक्षक को आवास के लिए किये गये भुगतान, को ऎसी राशि की गणना करते समय उसके सकल वेतन से कटौती की जा सकती है।

(ix) बशर्ते कि ड्यूटी से अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि तीन साल से अधिक नहीं होगी, अध्ययन अवकाश को अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, असाधारण अवकाश या अवकाश (वेकेशन) के साथ जोड़ा जा सकता। (x) एक शिक्षक, जो अध्ययन अवकाश के दौरान एक उच्च पद के लिए चुना जाता है, उस स्थिति में रखा जायेगा और सेवा में शामिल होने के बाद ही उच्च स्केल दिया जायेगा।

(xi) एक शिक्षक जिसे अध्ययन अवकाश की मंजूरी दी गयी हो, विश्वविद्यालय की सेवा में वापस आने पर, वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ के लिए पात्र होगा, जो कि उसने सेवा के दौरान अर्जित किया होता, यदि वह अवकाश पर नहीं गया होता। वह, हालांकि, वेतन वृद्धि की बकाया राशि प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(xii) अध्ययन अवकाश की पेंशन / अंशदायी भविष्य निधि के लिए सेवा के रूप में गिनती होगी, बशर्ते कि शिक्षक उसके अध्ययन अवकाश की अवधि समाप्त होने पर विश्वविद्यालय में वापस आ जाता है।

(xiii) एक शिक्षक को मंजूर किये गये अध्ययन अवकाश को रद्द माना जायेगा, यदि मंजूरी के 3 महीने के भीतर इसका लाभ उसके द्वारा नहीं उठाया जाता, या यदि पाठ्यक्रम की शुरुआत के 1 महीने के भीतर, वह कोर्स ज्वाइन नहीं करता, जो कोई भी पहले हो, ताकि एक समय में अवकाश के विभिन्न प्रकार के सापेक्ष संकाय के 20% की ऊपरी सीमा के भीतर इस तरह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, यदि अनुरोध किया जाये।

बशर्ते कि जहां अध्ययन के लिए दी गयी अध्ययन अवकाश को रद्द कर दिया गया है, शिक्षक ऐसी अवकाश के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं।

(xiv) एक शिक्षक जो कि अध्ययन अवकाश पर जा रहा हो, यह विश्वास देगा कि अध्ययन अवकाश की अवधि समाप्त होने के बाद वह विश्वविद्यालय की कम से कम तीन वर्ष की एक निरंतर अवधि के लिए सेवा करेगा, इसकी गणना उसके ड्यूटी शुरू करने की तारीख से की जायेगी।

(xv) अध्ययन अवकाश का लाभ उठाने से पहले शिक्षक, विश्वविद्यालय के पक्ष में एक बांड पर हस्ताक्षर करेगा, जिसमें इन उप खंड में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए खुद को बाध्यकारी रखेगा और वित्त अधिकारी की संतुष्टि के लिए उस राशि की सुरक्षा के विरुद्ध अचल संपत्ति की सुरक्षा गारंटी/ एक बीमा कंपनी के एक फिडेलिटी बांड/ या एक अनुसूचित बैंक द्वारा गारंटी और दो स्थायी शिक्षकों की सुरक्षा प्रस्तुत करेगा, जो कि उपखंड (XVI) नीचे के अनुसार विश्वविद्यालय को वापस किया जाना होगा।

(xvi) शिक्षक द्वारा विश्वविद्यालय को उसकी / उसके पर्यवेक्षक या संस्थान से उसकी / उसके अध्ययन की प्रगति की छह मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा। यह रिपोर्ट अध्ययन अवकाश के हर छह महीने की समाप्ति के एक माह के भीतर रजिस्ट्रार तक पहुंच जाएगा। यदि रिपोर्ट निर्दिष्ट समय के भीतर रजिस्ट्रार तक नहीं पहुँचती है, तो अवकाश वेतन के भुगतान को ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने तक के लिए स्थगित किया जा सकता है।

(xvii) किसी भी शिक्षक को अध्ययन अवकाश पर जाने के दौरान उसके रोजगार से इस्तीफा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह विश्वविद्यालय में उसके खिलाफ बकाया/ उसे के सभी वित्तीय और अन्य दावों को समाप्त नहीं कर लेता।

11. सबैटिकल अवकाश (एसबीएल)

(i) विश्वविद्यालय के स्थायी पूर्णकालिक शिक्षकों को जिन्होने सात साल की सेवा पूरा कर लिया है पूरी तरह से विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा प्रणाली को उनकी दक्षता और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए अध्ययन या अनुसंधान या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए अवकाश विश्राम दिया जा सकता है।

(ii) अवकाश की अवधि एक समय में एक साल और एक शिक्षक के पूरे कैरियर में दो साल से अधिक नहीं होगी।

(iii) एक शिक्षक जिसने क्वालीफाइंग अवधि के दौरान अध्ययन अवकाश का लाभ उठाया हो, विश्राम से ठीक पहले, अवकाश विश्राम करने का हकदार नहीं होगा।

बशर्ते कि अध्ययन अवकाश या प्रशिक्षण कार्यक्रम के किसी अन्य प्रकार से शिक्षक की वापसी की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद अवकाश विश्राम दी जा सकती है।

(i∨) एक शिक्षक को, अवकाश विश्राम की अवधि के दौरान, अवकाश विश्राम पर जाने से तुरन्त पहले की उसे लागू दर से पूरे वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाएगा (निर्धारित शर्तों के अधीन पूरे किये जाने पर)।

नोट: विदेश में बिताये गये अध्ययन अवकाश की अवधि के दौरान एक शिक्षक द्वारा प्राप्त राशि का निर्धारण करते समय, प्रतिशत की गणना करने के लिए, जिसे शिक्षक को विश्वविद्यालय को देना है, शुद्ध परिलब्धियां बजाय कि सकल परिलब्धियां को ध्यान में रखा जाना होगा और अनुदान एजेन्सी द्वारा विदेश में बिताये गये अवकाश के दौरान कर और पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु शिक्षक को आवास के लिए किये गये भुगतान, को ऎसी राशि की गणना करते समय उसके सकल वेतन से कटौती की जा सकती है।

(v) अवकाश विश्राम की अवधि के दौरान एक शिक्षक भारत में या विदेश में किसी और संगठन में किसी भी तरह की नियमित नियुक्ति नहीं ले सकेगा। उसे, तथापि, उन्नत अध्ययन के एक संस्थान में नियमित रूप से रोजगार के अलावा, मानदेय या सहायता के किसी अन्य रूप में एक फैलोशिप या एक अनुसंधान छात्रवृत्ति या तदर्थ शिक्षण और अनुसंधान के काम को स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है।

बशर्ते कि इस तरह के मामलों में शिक्षक द्वारा विश्वविद्यालय को प्राप्त राशि की आवश्यक प्रतिशत को जमा किया जायेगा।

(vi) अवकाश विश्राम की अवधि के दौरान, शिक्षक को नियत तारीख पर वेतन वृद्धि लाभ प्राप्त करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

नोट:

(1) अवकाश मंजूरी के लिए आवेदन के साथ अवकाश विश्राम के दौरान किये जा रहे कार्यक्रम को विश्वविद्यालय में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) अवकाश से लौटने पर, शिक्षक विश्वविद्यालय को 3 महीने के भीतर अवकाश अवधि के दौरान किए गए अध्ययन, अनुसंधान या अन्य काम की प्रकृति और उससे प्राप्त परिणाम की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12. मातृत्व अवकाश (एल एल)

(i) पूरे वेतन पर मातृत्व अवकाश 180 दिनों की अवधि से अधिक के लिए एक महिला शिक्षक को दी जा सकती है, पूरे कैरियर में इसका लाभ दो बार उठाया जा सकेगा। इस शर्त के अधीन गर्भपात के मामलों में भी मातृत्व अवकाश दिया जा सकेगा, बशर्ते कि एक महिला शिक्षक को उसके कैरियर में इस संबंध में दी गई अवकाश 45 दिन से अधिक नहीं हो, और आवेदन एक चिकित्सा प्रमाण पत्र के द्वारा समर्थित है।

(ii) मातृत्व अवकाश को अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश या असाधारण अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

13. पितृत्व अवकाश (पीएल)

एक पुरुष शिक्षक को उसकी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी अवकाश 2 बच्चों तक सीमित किया जाएगा।

14. दत्तक ग्रहण अवकाश (एएल)

(i) एक महिला शिक्षक, कम से कम दो जीवित बच्चों के साथ, एक वर्ष से कम उम्र के एक बच्चे की वैध गोद लेने पर, को अवकाश देने वाले एक सक्षम अधिकारी द्वारा बच्चे को गोद लेने की वैध तिथि के तुरन्त बाद 135 दिनों की अवधि के लिए अवकाश दी जा सकती।

(ii) बच्चे को गोद लेने की अवकाश की अवधि के दौरान, उसे अवकाश वेतन का भुगतान, अवकाश पर जाने से पहले लिए जाने वाले पे के बराबर का भुगतान किया जाएगा।

(iii) बच्चे को गोद लेने की अवकाश किसी भी अन्य प्रकार की अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। (Iv) बच्चे को गोद लेने की अवकाश के निरंतरता में दत्तक माताओं को

अन्य तरह की अवकाश दी जा सकती, यदि आवेदन किया जाये और स्वीकार्य हो।

(अनर्जित अवकाश और बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रस्तुति के लघुकृत अवकाश 60 दिन से अधिक नहीं, को छोड़कर) एक साल तक की अवधि के लिए, जिसे कि अपनाये गये बच्चे की उम्र से एक वर्ष कम करके, वैध गोद लेने की अवकाश की तिथि से, बिना बच्चा अवधि लेने के कानूनी गोद लेने की तारीख को ध्यान में लिये, निम्नलिखित शर्तों के साथ:

(ए) यह सुविधा पहले से ही गोद लेने के समय में दो जीवित बच्चों के होने वाली एक दत्तक मां को स्वीकार्य नहीं होगा।

(बी) इस तरह के देय और स्वीकार्य अवकाश की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी (अनर्जित अवकाश और मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रस्तुति के बिना 60 दिनों के रुपान्तरित लघुकृत अवकाश), इसे बच्चे को गोद लेने की आयु से बच्चा गोद लेने की तिथि से घटा दिया जायेगा, बिना बच्चा गोद लेने अवकाश को ध्यान में लिये, जैसा कि निम्नलिखित उदाहरण में समझाया गया है:

*) अपनाये गये बच्चे की उम्र गोद लेने की अवकाश की तारीख पर कम से कम एक महीने हो, तो एक साल तक के लिए अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।

*) बच्चे की उम्र छह महीने और उससे अधिक हो तो, परन्तु सात महीने से कम है, तो छः माह तक के लिए अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।

*) बच्चे की उम्र 9 महीने और उससे अधिक हो परन्तु 10 महीने से कम हो, तो तीन माह तक के लिए अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।

(v) बच्चे को गोद लेने को दी गयी अवकाश को अवकाश खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा।

```
15 संगरोध अवकाश (क्यूएल)
```

(v) संगरोध अवकाश परिवार या एक शिक्षक के घर में एक संक्रामक रोग की उपस्थिति के परिणाम में जरूरी ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवकाश है।

(vi) चिकित्सा प्रमाण पत्र पर संगरोध अवकाश कुल 21 दिन की अवधि से अधिक के लिए नहीं दी जा सकती है। असाधारण मामलों में इसकी सीमा को तीस दिनों के लिए बढाया जा सकता है। संगरोध अवकाश के लिए आवश्यक किसी भी तरह के अवकाश को अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश या असाधारण अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

(vii) संगरोध अवकाश पर गये एक शिक्षक को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाएगा और उसका वेतन भी प्रभावित नहीं होगा।

16. चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल)

महिला शिक्षक, जिनके पास 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे हैं, को चाइल्ड केयर लीव, उनकी सेवा अवधि के दौरान दो बच्चों के देखभाल के लिए, चाहे पालन-पोषण के लिए या फिर उनके परीक्षा, बीमारी, आदि की तरह उनकी जरूरतों को देखने के लिए अधिकतम दो साल (यानी 730 दिन) की अवधि के दिया जा सकता है। ऎसे अवकाश निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार्य होंगें:

(i) सीसीएल को एक अधिकार वाली अवकाश के रूप में मांग नहीं जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में, कोई भी शिक्षक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व मंजूरी के बिना सीसीएल पर नही जा सकती।

(ii) इस तरह के अवकाश को अर्जित अवकाश की तरह व्यवहार किया जायेगा और इसी रूप में स्वीकृत किया जायेगा। नतीजतन, अवकाश की अवधि के दौरान आने वाले शनिवार, रविवार की छुट्टियां, राजपत्रित छुट्टियां आदि भी इसमें शामिल की जायेंगी, जैसा कि अर्जित अवकाश के मामले में किया जाता है।

(iii) सीसीएल केवल दो ज्येष्ठ जीवित बच्चों के लिए स्वीकार्य होगा।

(iv) सीसीएल का लाभ तभी उठाया जा सकता है अगर शिक्षक के खाते में कोई अर्जित अवकाश नहीं हो।

(v) सीसीएल के अवकाश खाते को निर्धारित प्रोफार्मा में दर्ज किया जायेगा और इसे संबंधित शिक्षक की सेवा पुस्तिका के साथ रखा जाएगा।

17) अवकाश (वेकेशन)

(i) अवकाश, आकस्मिक और विशेष आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अवकाश के किसी भी प्रकार के साथ संयोजन में लिया जा सकता है कि अवकाश के दोनों उपसर्ग नहीं किया जाएगा और छोड़ने के लिए प्रदान की है।

(ii) विशेष परिस्थितियों में, साथ लिये गये अवकाश और अर्जित अवकाश एक सेमेस्टर से आगे नहीं जायेंगे।

(iii) यदि एक अवकाश दो अवकाश अवधियों के बीच में आता है, जिसके कारण वह पूरी अवधि के दौरान ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहता है, इस तरह के अवकाश को अवकाश के हिस्से के रूप में माना जाएगा। (iv) अवकाश की अवधि के लिए, एक शिक्षक को वही पे भुगतान किया जायेगा जैसा कि उसे ड्यूटी पर रहने के दौरान दिया जाता है। एक शिक्षक, तथापि, ऎसे पे के केवल आधे के लिए ही हकदार होगा, यदि उसने इस्तीफे का नोटिस दे दिया हो और इस तरह के नोटिस की अवधि अवकाश के दौरान या पिछले वेतन के एक महीने के भीतर समाप्त हो रहा है।

18. परिवीक्षा पर नियुक्त शिक्षक

एक सब्सटांटिव रिक्ति के समक्ष परिवीक्षा की निश्चित शर्तों के साथ एक परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त एक शिक्षक को परिवीक्षा की अवधि के दौरान अवकाश प्रदान किया जाएगा, यदि उसने इस पोस्ट को परिवीक्षा की बजय नियमित रूप से धारित किया होता। यदि एक व्यक्ति को विश्वविद्यालय के स्थायी सेवा में एक उच्च पद के लिए 'परिवीक्षा पर' नियुक्त किया जाता है, तो परिवीक्षा के दौरान, वह उसके स्थायी पद के लिए लागू अवकाश नियम के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

19. संविधि 19 (2) के तहत नियुक्त शिक्षक

कार्यकारी परिषद द्वारा अधिनियम के संविधि 19(2) के तहत नियुक्त शिक्षक, नियुक्त शिक्षकों से संबंधित इस अध्यादेश के सभी प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किये जायेंगें, निम्नलिखित को छोड़कर:

(i) उन्हें विश्राम या अध्ययन अवकाश की हकदारी नहीं होगी।

(ii) उन्हें अवकाश के लिए हकदारी नहीं होगी चूंकि उनका काम परियोजना से संबंधित है।

20. सेवानिवृत्ति के बाद पुन कार्यरत शिक्षक

सेवानिवृत्ति के बाद एक शिक्षक को फिर से कार्यरत रखने के लिए, इस अध्यादेश के प्रावधान लागू होगें, जैसे कि उसने फिर से रोजगार में पहली बार सेवा में प्रवेश किया था।

21) अस्थायी शिक्षक

पूर्ण कालिक अस्थायी शिक्षकों को इन प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा

निम्न शर्तों और अपवादों के अधीन अध्यादेश:

(i) एक अस्थायी शिक्षक को एक स्थायी शिक्षक की तरह सममूल्य आधार पर आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश और ड्यूटी अवकाश दिया जायेगा।

```
(ii) अर्जित छुट्टी
```

एक अस्थायी शिक्षक एक स्थायी शिक्षक के साथ सममूल्य आधार पर अर्जित अवकाश का हकदार होगा।

(iii) अर्ध वेतन अवकाश

कोई अर्ध वेतन अवकाश अस्थायी शिक्षक को प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी अवकाश की अवधि समाप्त होने पर शिक्षक ड्यूटी पर वापस लौट जाएँगे।

(iv) लघुकृत अवकाश

अस्थायी शिक्षकों को उनके अर्ध वेतन अवकाश के किसी भी हिस्से को बदलने का हक नहीं होगा।

(v) असाधारण अवकाश

अस्थायी शिक्षकों को असाधारण अवकाश की अवधि निम्नलिखित सीमा से अधिक नहीं होगी:

(क) एक बार में तीन महीनों के लिए ;

(ख) छह महीने के लिए जब एक शिक्षक ने तीन साल की निरंतर सेवा कर ली हो और अवकाश आवेदन को एक चिकित्सा प्रमाण पत्र के द्वारा समर्थित किया जाना होगा।

(ग) अठारह महीने जहां शिक्षक ट्युबरकुलोसिस, कैंसर या कुष्ठ रोग के लिए किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज करा रहा हो;

(घ) 24 महीने के लिए जहां विश्वविद्यालय के हित में अवकाश प्रमाणित पढ़ाई के लिए आवश्यक है, बशर्ते कि शिक्षक ने असाधारण अवकाश के प्रारंभ होने की तिथि पर तीन साल के निरंतर सेवा पूरी कर ली है।

[PART III—SEC. 4]

एक अस्थायी शिक्षक जो मंजूर किये गये असाधारण अवकाश की अवधि की समाप्ति पर सेवा शुरू करने में विफल रहता है और ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है, जब तक कि कार्यकारी परिषद, असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए, मामले को अन्यथा निर्धारित करता है, सेवा से इस्तीफा दे दिया हुआ माना जायेगा और तदनुसार विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं रह जाएगा।

(vi) अनर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश और अवकाश विश्राम

अस्थायी शिक्षकों को अनर्जित अवकाश, अध्ययन अवकाश, अवकाश विश्राम की हकदारी नहीं होगी।

(vii) अवकाश

(क) एक अस्थायी शिक्षक को निम्न अवकाश के भुगतान की हकदारी होगी यदि वह शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के दो महीने के भीतर ड्यूटी पर वापस आ जाता है और शामिल होने की तिथि से सत्र के अंतिम कार्य दिवस तक लगातार और संतोषजनक ढंग से काम कर रहा हो।

(ख) अवकाश वेतन, शिक्षक को भुगतान किया जा सकता है, यदि यह अस्थायी नियुक्ति अगले शैक्षणिक सत्र के एक भाग के लिए या पूरे के लिए जारी रहता है और शिक्षक पहले दिन ही ज्वाइन कर लेता है और अवकाश से पहले अंतिम कार्य दिवस तक सेवा किया हो।

22) अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षक

अनुबंध के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को निम्न के तहत अवकाश की हकदारी होगी:

(I) अर्जित अवकाश / अर्ध वेतन अवकाश / आकस्मिक अवकाश जैसा कि विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक अस्थायी शिक्षकों को देय हो

(II)

(क) अनुबंध पर नियुक्तियों के मामले में एक वर्ष से कम के लिए, जब तक कि चिकित्सा के आधार पर हो, कोई असाधारण अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ख) अनुबंध पर नियुक्तियों के मामले में एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम के लिए, जैसा कि अस्थायी शिक्षकों को असाधारण अवकाश देय हो बशर्ते कि असाधारण अवकाश की कुल अवधि अनुबंध की अवधि के दौरान 90 दिन से अधिक नहीं होगी।

(ग) जहां यह संविदा नियुक्ति 5 साल या उससे अधिक के लिए है, असाधारण अवकाश पूर्ण कालिक अस्थायी शिक्षकों के लिए स्वीकार्य अवकाश की तरह दिया जाएगा।

23) मानद और पार्ट टाइम शिक्षक

विश्वविद्यालय के मानद और अंशकालिक शिक्षकों को विश्वविद्यालय के पूर्ण कालिक अस्थायी शिक्षकों को लागू शर्तों जैसे ही अवकाश की हकदारी होगी।

24) सभी प्रकार के शिक्षकों पर लागू सामान्य शर्तें:

(i) अवकाश कैसे अर्जित किया जाए

अवकाश को केवल सेवा के माध्यम से अर्जित किया जायेगा। विदेश सेवा में बिताये गये अवधि को ड्यूटी माना जायेगा यदि इस तरह के अवकाश के लिए अवकाश वेतन का योगदान दिया गया हो।

(ii) अवकाश का अधिकार

(क) किसी भी प्रकार के अवकाश को अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अवकाश को अवकाश मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए बदला, इनकार या रद्द किया जा सकता है, यदि वह अधिकारी विश्वविद्यालय के हित में ऎसा करना उचित समझता हो।

(ख) किसी शिक्षक, जिसे एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त किये जाने, हटाये जाने या अनिवार्य रूप से सेवा से रिटायर करने का फैसला कर लिया गया हो, को अवकाश मंजूर नहीं किया जायेगा, ना हि एक शिक्षक जो निलंबन के अधीन है को अवकाश मंजूर किया जायेगा।

(iii) ड्यूटी से अवकाश पर अनुपस्थिति की अधिकतम अवधि

(क) किसी भी शिक्षक को एक बार में पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए किसी भी प्रकार का अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ख) जहां एक शिक्षक पांच साल के एक निरंतर अवधि के बाद भी अवकाश पर रहता है या जहां एक शिक्षक अवकाश की समाप्ति के बाद भी सेवा से अनुपस्थित रहता है, विदेश सेवा या निलंबन के कारण ड्यूटी को छोड़ कर, उसे मंजूर किये गये किसी भी प्रकार के अवकाश को जोडकर किसी भी अवधि के लिए जो कि पांच साल से अधिक हो रही हो, उसे जब तक कि कार्यकारी परिषद असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर अन्यथा निर्धारित करता है, सेवा से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद हटा दिया जाएगा।

(iv) अवकाश के लिए आवेदन

आपातकालीन स्थिति के मामलों और संतोषजनक कारणों को छोड़कर, अवकाश के लिए हमेशा एडवांस में आवेदन किया जाना चाहिए और इसे प्राप्त करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेनी चाहिए।

नोट: संकाय सदस्य को तब तक स्टेशन नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि अवकाश मंजूर करने का आदेश जारी नहीं किया गया हो।

(v) अवकाश का प्रारंभ और समाप्ति

(अ) आमतौर पर अवकाश तभी शुरू होती है जब ऎसा अवकाश लिया गया हो और उस दिन ही समाप्त होता है जब शिक्षक अपने ड्यूटी पर वापस आ जाता है।

(ब) अवकाश मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से रविवार और अन्य छुट्टियों को अवकाश के प्रारम्भ और/ या अंत में जोडा जा सकता है।

(vi) अवकाश की समाप्ति से पहले ड्यूटी ज्वाइन करना

(क) सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से एक शिक्षक उसे दी गई अवकाश की समाप्ति से पहले ड्यूटी पर वापस आ सकता है।

(ख) (क) ऊपर में वर्णित किसी भी तथ्य के बावजूद, एक शिक्षक को सेवानिवृत्ति की तैयारी से पूर्व इस तरह की अनुमति देने से रोका जायेगा जिसमें वह सेवानिवृत्ति की अनुमति को वापस लेकर ड्यूटी पर लौटना चाहता हो, बिना कार्यकारी परिषद की सहमति से बचाने के लिए।

(vii) चिकित्सा पर अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जायेगा।

एक शिक्षक जो कि चिकित्सा के आधार पर अवकाश के लिए आवेदन करता है, अपने आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा पैनल में रखे गये पंजीकृत चिकित्सक से एक चिकित्सा प्रमाण पत्र लगायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा गठित इस उद्देश्य के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से आगे की सेवा के लिए अक्षम घोषित किये जाने पर ऎसे चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश या अवकाश का विस्तार उस तारीख से परे नहीं दी जाएगी।

(viii) चिकित्सा आधार पर अवकाश से लौटने पर ड्यूटी पर वापस आना किसी भी शिक्षक को, जिसे चिकित्सा के आधार पर (आकस्मिक अवकाश के अलावा) अवकाश दे दी गई है, विश्वविद्यालय द्वारा पैनल में रखे गये पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ड्यूटी पर लौटने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ix) अवकाश के दौरान रोजगार

अवकाश पर गये शिक्षक द्वारा, विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यापार या व्यवसाय या किसी निजी शिक्षण या अन्य कार्य में, जिसमें किसी भी तरह का वेतन या मानदेय जुड़ा हुआ हो, शामिल नहीं हुआ जायेगा।

बशर्ते कि यह निषेध किसी विश्वविद्यालय/ लोक सेवा आयोग/ परीक्षा बोर्ड या इसी तरह के निकायों / संस्थानों की परीक्षा या किसी साहित्यिक काम या प्रकाशन या रेडियो या विस्तार व्याख्यान या कुलपति की अनुमति से किसी अन्य शैक्षणिक कार्य जैसे ऎसे किसी भी कार्य पर लागू नहीं होगा।

कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित ऎसे किसी तरह के प्रतिबंध के अधीन एक शिक्षक का अवकाश वेतन, जिसे कि अवकाश के दौरान किसी भी रोजगार के लिए अनुमति दी गयी हो, दिया जा सकता है।

(x) बिना अवकाश के अनुपस्थिति या अवकाश पर अधिक ठहराव

एक शिक्षक जो अवकाश की समाप्ति के बाद खुद को बिना अवकाश के अनुपस्थित रखता है, उसे ऎसे अनुपस्थिति के लिए कोई अवकाश भत्ता या वेतन नहीं मिलेगा। ऐसी अवधि को उसके/ उसकी अवकाश खाते में डेबिट किया जाएगा, जब अवकाश देने वाले अधिकार प्राप्त अधिकारी द्वारा बढे हुए अवकाश को स्वीकृत किया जाये। ड्यूटी से जान-बूझकर अनुपस्थित रहने को दुराचार के रूप में देखा जा सकता है।

(xi) एक अवकाश को दूसरे अवकाश में परिवर्तन करना

(क) संबंधित शिक्षक के अनुरोध पर, विश्वविद्यालय असाधारण अवकाश सहित किसी भी प्रकार के पूर्वव्यापी अवकाश को किसी दूसरे प्रकार के अवकाश में, जो कि अवकाश लेने के समय उसे मिलने हेतु देय था, परिवर्तित कर सकता है, परन्तु वह इस तरह के परिवर्तन के अधिकार होने का दावा नहीं कर सकते।

(ख) यदि एक प्रकार के अवकाश को किसी दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, तो स्वीकार्य अवकाश की वेतन राशि और भत्ते को पुन: परिकलित किया जाएगा और अवकाश वेतन और भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जायेगा या जो ज्यादा राशि दी गयी होगी, उसे वापस ले लिया जायेगा, जैसा भी मामला हो सकता है।

(xii) अवकाश के दौरान वेतन वृद्धि

यदि वेतन की वेतन वृद्धि के दिन आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, ड्यूटी छोड़, या अवकाश विश्राम के अलावा कोई अवकाश हो जाती है, उस दशा में शिक्षक को वेतन में वृद्धि का असर सामान्य तिथि से दिया जायेगा जब वह ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हो, ताकि शिक्षक के वेतन वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जहां अवकाश की गिनती वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जाती।

(xiii) अवकाश वर्ष

अध्यादेशों के प्रयोजन के लिए, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, शब्द 'साल' का तात्पर्य एक कैलेंडर वर्ष से होगा।

25. अवकाश स्वीकृति के लिए अधिकारियों का अधिकार

अधिकारियों का नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट छुट्टी की मंजूरी के लिए सशक्त की सीमा उसके स्तंभ (3) में दिखाया गया है। इन सीमाओं के अलावे छुट्टी की मंजूरी के मामले या छुट्टी के नीचे उल्लेख नहीं होने पर कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत किया जाएगा। छुट्टी मंजूर करने से पहले, स्वीकृति प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि माँगी गयी छुट्टी स्वीकार्य है और संबंधित शिक्षक के क्रेडिट पर है।

	छुट्टी के प्रकार	स्वीकृति प्राधिकारी	अधिकार की सीमा
1	आकस्मिक/ विशेष आकस्मिक छुट्टी		
ए.	स्कूल के डीन	वाईस-चांसलर	पूर्ण
बी.	विभाग/ केंद्र के अध्यक्ष	स्कूल के डीन	पूर्ण
सी.	अन्य शिक्षकों के अध्यक्ष	विभाग/ केंद्र के अध्यक्ष	पूर्ण
(ii)	ड्यूटी के लिए छुट्टी		
ए.	स्कूल के डीन	वाईस-चांसलर	पूर्ण
बी.	विभाग/ केंद्र के अध्यक्ष	डीन वाईस-चांसलर	10 दिनों तक और
			10 दिनों के भीतर
(iii)	अर्जित अवकाश/ अर्द्ध वेतन छुट्टी/ रूपान्तरित छुट्टी/ मातृत्व अवकाश/ पितृत्व अवकाश/ दत्तक ग्रहण छोड़ / चाइल्ड		
	केयर अवकाश		
ए.	स्कूल के डीन	वाईस-चांसलर	पूर्ण
बी.	विभाग/ केंद्र के अध्यक्ष	स्कूल के डीन	90 दिनों तक
		वाईस-चांसलर	90 दिनों के भीतर

सी.	अन्य शिक्षक	केंद्र के अध्यक्ष	90 दिनों तक
		स्कूल के डीन	90 दिनों के भीतर
(iv)	विश्राम अवकाश/ अध्ययन अवकाश	वाईस-चांसलर	पूर्ण
(v)	संगरोध छुट्टी	वाईस-चांसलर	पूर्ण
(vi)	असाधारण अवकाश		
ए.	स्कूल के डीन	वाईस-चांसलर	90 दिनों तक
		कार्यकारिणी परिषद	90 दिनों के भीतर
बी.	अध्यक्ष और अन्य शिक्षक	स्कूल के डीन/ कुलपति/ कार्यकारिणी परिषद	30 दिनों तक/ 90 दिनों तक/ 90 दिनों से भीतर
(vii)	सभी शिक्षकों के कारण अवकाश नहीं	वाईस-चांसलर	पूर्ण

बशर्ते कि जहां छुट्टी में विदेश यात्रा शामिल है, सक्षम प्राधिकारी कुलपति होंगे।

26. अवकाश वेतन

(i) एक शिक्षक को आकस्मिक अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान की गई ड्यूटी से अनुपस्थित रूप में नहीं माना जाता है और उनके वेतन बाधित नहीं होता है।

(ii) अर्जित अवकाश पर एक शिक्षक छुट्टी आरंभ करने के पहले तुरंत वेतन के बराबर अवकाश वेतन लेने के लिए हकदार है।

(iii) उप खंड 25 (III) के तहत रूपान्तरित छुट्टी पर एक शिक्षक स्वीकार्य वेतन के बराबर अवकाश वेतन के लिए हकदार है।

(iv) असाधारण अवकाश पर एक शिक्षक किसी भी अन्य अवकाश वेतन के हकदार नहीं होगा।

(v) मातृत्व अवकाश / पितृत्व अवकाश / बाल देखभाल अवकाश और संगरोध अवकाश पर एक शिक्षक के वही वेतन के लिए हकदार जो वेतन वह / वह छुट्टी आरम्भ करने के पहले लेता था।

(vi) अवकाश के दौरान सभी स्वीकार्य भत्ते का भुगतान उन भत्ते के भुगतान के संबंध में नियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(vii) पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान, अवकाश वेतन का भुगतान उसे विशेषरूप से अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के पेंशन और पेंशन के बराबर उठाये गए के आधार पर किया जाएगा।

27.अवकाश के एवज में नकद भुगतान

(i) सेवानिवृत्ति पर

जहां एक शिक्षक सामान्य आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित अपनी सेवा के गवर्निंग नियमों और शर्तों तहत सेवानिवृत्ति होता है, प्राधिकरण छुट्टी को स्वप्रेरणा से अर्जित अवकाश को नकदीकरण के लिए प्राधिकृत है, यदि कोई है,उनकी/ उनके सेवानिवृत्ति की तारीख को शिक्षक के क्रेडिट पर, बशर्ते की 300 दिनों की अधिकतम सीमा हो।

(ii) निलंबित रहते हुए सेवानिवृत्ति

एक शिक्षक, जो निलंबन रहते हुये सेवानिवृत होते हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही के समापन पर उसका / उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख को उसकी / उसके क्रेडिट पर अर्जित अवकाश के बराबर नकद के लाभ के लिए पात्र हो जाएंगे, यदि सक्षम प्राधिकारी उसे सेवा में पुनःबहाल करने का फैसला करता है और मानती है कि निलंबन पूरी तरह से अनुचित था।

(iii) सेवानिवृत्ति से पहले रिटायरमेंट

एक शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो या स्वप्रेरणा से सेवा से सेवानिवृत्त होता है, प्राधिकरण के छुट्टी देने के सक्षम द्वारा, उसकी / उसके क्रेडिट पर अर्जित अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के बराबर नकद उसकी / उसके क्रेडिट पर आधे वेतन छुट्टी के संबंध में दिनों सहित दिनों की अधिकतम संख्या के अधीन समय-समय पर भारत सरकार/यूजीसी सरकार द्वारा निर्दिष्ट के रूप में, बशर्ते यह अवधि तारीख के जिस पर वह/वह सेवानिवृत्त है या सेवा से सेवानिवृत्त है के बीच की अवधि से अधिक का नहीं है, और तारीख, जिस पर वह / वह सामान्य कोर्स में उम्र नियम और उसका /उसकी सेवा गवर्निंग की शर्तों के तहत सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाएगा।नकदी समकक्ष अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकार्य अवकाश वेतन के बराबर होगा और/या छुट्टी वेतन के बराबर आधा वेतन अवकाश के साथ साथ महंगाई भत्ता पहले 300 दिनों के लिए अवकाश वेतन के रूप में स्वीकार्य है, उस तारीख पर विश्वविद्यालय के कर्मचारी सेवानिवृत्त है या सेवा से सेवानिवृत्त है।अन्य सेवानिवृत्ति लाभ और तदर्थ राहत /श्रेणीबद्ध राहत की पेंशन और पेंशन बराबर पेंशन पर आधे वेतन छुट्टी की अवधि के लिए भुगतान छुट्टी वेतन से कटौती की जाएगी, यदि कोई हो, जिसके लिए बराबर नकद देय है।इतनी राशि की गणना की एक बार निपटान के रूप में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।कोई मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा:

बशर्ते कि अगर आधे वेतन छुट्टी के घटक के लिए अवकाश वेतन पेंशन और अन्य पेंशन लाभ, आधा वेतन छुट्टी के बराबर नकद से कम पड़ने पर नहीं दी जाएगी।

बशर्ते आगे कहा कि एक शिक्षक जो उसे/उसे वेतन देकर विश्वविद्यालय द्वारा सेवानिवृत्त करता है और सूचना के एवज में भत्ते, अवकाश वेतन के बराबर छुट्टी की अवधि को छोड़कर नकद की अनुमति दी जाएगी कि जिस अवधि के लिए भुगतान करते हैं और सूचना के एवज में भत्ते की अनुमति दी गई है।

(iv) इस्तीफा/ टर्मिनेशन (क) इस्तीफा: यदि एक शिक्षक ने इस्तीफा दिया है या सेवा छोड़ी है, प्राधिकार सेवा की समाप्ति की तारीख को उसकी/उसके क्रेडिट पर अर्जित अवकाश के संबंध में अवकाश के बराबर नकद अनुदान के लिए सक्षम द्वारा स्वत: संज्ञान लेते अनुदान दिया जा सकता है, उसकी/उसके क्रेडिट पर ऐसी छुट्टी के आधे की सीमा तक दिया जा सकता है, बशर्ते 150 दिनों से अधिकतम न हो।

(ख) समाप्ति: जहां एक शिक्षक की सेवाओं का नोटिस द्वारा या वेतन और भत्तों के भुगतान से समाप्त कर रहे हैं, सूचना पत्र के एवज में, या अन्यथा नियमों और उसका/उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार, वह / वह दिया जा सकता है, स्वत: संज्ञान द्वारा प्राधिकरण छुट्टी अनुदान के लिए सक्षम है, अर्जित अवकाश के संबंध में नकदी के समतुल्य उसके क्रेडिट में उस तारीख पर जिसमें उनकी सेवा से 300 दिनों की अधिकतम शर्त पर समाप्त होता है।

(v) बर्खास्तगी / पदच्युति

जब एक शिक्षक को बर्खास्त कर दिया या सेवा से हटा दिया है तो निम्नलिखित अनुशासनात्मक कार्यवाही के बाद वह अवकाश नकदीकरण के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vi) शिक्षकों के अनुबंध पर नियुक्त

(ए) अनुबंध पर नियुक्त शिक्षक स्वप्रेरणा से अनुबंध की समाप्ति की तारीख को उनके क्रेडिट पर अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दी जानी है, बशर्ते नीचे उल्लेख किये गए उच्चतम सीमा के अधीन हो:

अनुबंध की अवधि	जो नकदीकरण के लिए अधिकतम अर्जित अवकाश अनुबंध की समाप्ति के समय में स्वीकार्य होगी
2 वर्ष या कम	कोई नकदीकरण नहीं
अधिक से अधिक 2 वर्ष, 5 वर्ष तक	30 दिन
अधिक से अधिक 5 वर्ष, 10 वर्ष तक	60 दिन
अधिक से अधिक 10 वर्ष, 15 वर्ष	90 दिन
अधिक से अधिक 15 वर्ष, 20 वर्ष	120 दिन
अधिक से अधिक 20 वर्ष, 25 वर्ष	150 दिन
अधिक से अधिक 25 वर्ष	180 दिन

(ब) अर्जित अवकाश के नकदीकरण ऊपरोक्त, तथापि, बशर्ते कि कुल अर्जित अवकाश जिसके लिए नकदीकरण अर्जित अवकाश के साथ अनुमति दी जाएगी या पूर्ण अवकाश वेतन जिसके लिए नकदीकरण पिछले नियुक्तियों में स्वीकृत थी, यदि कोई हो, सरकार के अधीन, एक स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, 300 दिनों से अधिक नहीं है।

(vii) अवकाश नकदीकरण जब स्थायी रूप से अक्षम

एक शिक्षक जो एक विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा पूरी तरह से और स्थायी रूप से अक्षम होने के लिए घोषित किया जाता है आगे की सेवा के लिए अनुदान दिया जा सकता है, स्वप्रेरणा से, प्राधिकरण छुट्टी देने के लिए सक्षम है, बकाया अर्जित अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के बराबर नकद और सेवा से उसका/उसकी अमान्यकरण से होने की तिथि पर स्वीकार्य होगा बशर्ते अधिकतम 300 दिनों के लिए अवकाश वेतन हो. नीचे के खंड (ix) के तहत की गणना नकद के समकक्ष इस तरह देय हो जो अवकाश वेतन के बराबर होगा।

(viii) एक शिक्षक के अवकाश नकदीकरण जो सेवा के दौरान मर जाता है

एक शिक्षक दोहन में मर जाता है के मामले में, अवकाश वेतन के बराबर नकद जो कि मृतक शिक्षक मिल गया होता, वह / वह अर्जित अवकाश पर चले गए थे, लेकिन मौत के लिए, बकाये और तुरंत मौत की तारीख के बाद की तारीख पर स्वीकार्य होगा बशर्ते कि 300 दिनों के लिए अवकाश वेतन की अधिकतम उसकी / उसके परिवार के लिए भुगतान किया जाएगा।

(ix) अवकाश के बराबर नकद की गणना

अवकाश के बराबर नकद गणना और भारत सरकार नियमों के अनुसार निपटान एक मुश्त राशि के रूप में देय होगा।

28. नियम के निर्माण और प्रक्रिया निर्धारण इस अध्यादेश के तहत पालन किया गया.

विश्वविद्यालय नियमों को बना और इस अध्यादेश के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रिया कर सकते हैं।

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

4. प्रो वाइस-चांसलर की सेवा के परिलब्धियां और अन्य नियम व शर्तों से संबंधित अध्यादेश (देखिये संविधि 4 (3) के संविधि)

1.परिलब्धियां

प्रो वाइस चांसलर के पद में रु. 37400-67000 के पे बैंड में रु.10,000 / - के एजीपी या रु.12,000 / - के उच्च एजीपी के साथ रहेंगे, जो भी लागू हो, रु. 4000 प्रति माह का विशेष भत्ता के साथ, बशर्ते कि वेतन बैंड में वेतन की कुल राशि, एकेडमिक ग्रेड पे और विशेष भत्ता रु.80000 से अधिक नहीं होगी। इसके साथ - साथ, समय-समय पर अन्य विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को देय के रूप में हो सकता है प्रो वाइस-चांसलर इस तरह के भत्ते का हकदार होगा।

2. अवकाश

2.1 प्रो वाइस चांसलर विश्वविद्यालय के पूरे समय के लिए स्थायी शिक्षकों के लिए लागू सभी प्रकार के छुट्टी के हकदार होंगे, निम्नलिखित के अधीन:

अगर वह / वो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर है और प्रो-वाइस चांसलर के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे है, या वह व्यक्ति विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं है, लेकिन इस पद पर नियुक्त है, वह / वह छोड़ने के लिए हकदार होगा:

(ए) प्रो वाइस-चांसलर के रूप में ग्यारहवें की अवधि के लिए पूरे वेतन पर सक्रिय सेवा पर उसने / उसे बिताए :(बी) उसकी / उसके कार्यालय की अवधि के दौरान तीन महीने से अधिक नहीं के अवधि के लिए बिना भुगतान के चिकित्सा के आधार पर या चिकित्सा के आधार के अलावा, बशर्ते कि उप-खंड (ए) के अधीन ऐसी छुट्टी को वह / वह एक सीमा तक पूरा वेतन छुट्टी में परिवर्तित करने के हकदार होंगे।

2.2 जहां एक व्यक्ति पहले से ही विश्वविद्यालय की सेवा में एक प्रो वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह / वह ऐसी नियुक्ति की तिथि पर उसकी / उसके क्रेडिट पर छुट्टी को आगे ले जाने का हकदार होगा।

3. भविष्य निधि

यदि एक शिक्षक प्रो वाइस-चांसलर के रूप में पहले से ही विश्वविद्यालय में 01.01.2004 से पूर्व ही सेवा में नियुक्त किया जाता है, तो वह / वह भविष्य निधि की सदस्यता जारी रखने के लिए हकदार होंगे, लेकिन प्रो वाइस-चांसलर के रूप में

[PART III—SEC. 4]

उसका/उसकी नियुक्ति के लिए उस ही दर पर जिस पर वह / वह सदस्यता के लिए जारी रखा है। हालांकि, यदि एक शिक्षक की विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रो वाइस-चांसलर के रूप में 01.01.2004 पर या के बाद नियुक्त किया जाता है, तो वह / वह केवल 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना के हकदार होंगे।

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

6. स्कूल बोर्ड से संबंधित अध्यादेश (देखिये संविधि के संविधि 15 (3))

1. स्कूल बोर्ड की संरचना: स्कूल बोर्ड में शामिल होंगे : (i) स्कूल के डीन;

(ii) स्कूल में प्रमुख / विभागों / केन्द्रों के अध्यक्ष;

(iii) स्कूल में विभागों/ केंद्रों में प्रोफेसर;

(iv) एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक सहायक प्रोफेसर, घूर्णन द्वारा वरिष्ठता के अनुसार, स्कूल में प्रत्येक विभाग/ केंद्र से;

(v) पांच सदस्यों के स्कूल के लिए या ज्ञान के किसी भी संबद्ध शाखा में सौंपा गये किसी भी विषय में उनके विशेष ज्ञान के लिए शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित; तथा

(vi) इस तरह के अन्य सदस्यों, लेकिन पांच से अधिक नहीं, के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

2. स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष

स्कूल के डीन स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष होगा तथा उसका / उसकी शक्तियाँ और कर्तव्य एक अलग अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. बोर्ड के शक्तियां और कार्य

बोर्ड के शक्तियां और कार्य होंगे:

ए) स्कूल को सौंपे गये विभागों/ केंद्र में शिक्षण और अनुसंधान कार्य में समन्वय के लिए;

बी) समितियों की नियुक्ति जिसमें एक से अधिक स्कूल की केंद्र / विभाग के लाभ के लिए हो के विषय (ओं) या क्षेत्र (ओं) में शिक्षण और अनुसंधान कार्य को व्यवस्थित करने के लिए है, या जो किसी भी विभाग/ केन्द्र के दायरे में असफल नहीं है, और इस तरह की समितियों के काम की निगरानी के लिए जिसका संरचना, शक्तियाँ और कार्यों के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा;

सी) एक अध्ययन के पाठ्यक्रम को मंजूरी के लिए;

डी) उस संबंध में (लघु शोध प्रबंध और थेसिस के मामले में सीएएसआर) विभागों / केन्द्रों के अध्ययन के बोर्ड से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के बाद पाठ्यक्रम, लघु शोध प्रबंध और थेसिस के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों के नाम शैक्षणिक परिषद को सिफारिश करने के लिए;

ई) विभागों/ केन्द्रों और समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के बाद शैक्षणिक परिषद को निर्माण और शिक्षण पदों के उन्मूलन की सिफारिश करने के खंड (ख) ऊपर में उल्लेख किया है;

एफ) नियम बनाने और सत्रीय कार्य का मूल्यांकन करने के लिए पैटर्न और अनुसूची को मंजूरी के लिए;

जी) मंजूरी के लिए, अध्ययन के बोर्ड की सिफारिश पर, उम्मीदवारों को शोध डिग्री के पुरस्कार जो इस तरह की डिग्री प्राप्त करने के लिए फिट होने के लिए घोषित किया गया है, अध्यादेशों के निमित्त में तैयार के अनुसार;

एच) शिक्षण और अनुसंधान के मानकों की उन्नति के लिए योजनाओं पर विचार करने के और शैक्षणिक परिषद को इस तरह के प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए;

आइ) स्कूल के भीतर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और शैक्षणिक परिषद के लिए अनुसंधान पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए;

जे) स्कूल के सामान्य समय-तालिका तैयार करने के लिए;

के) स्कूल के छात्रों के कल्याण के बारे में किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए जो छात्र परिषद प्रस्तुत कर सकते हैं;

एल) प्रदर्शन करने के लिए अन्य सभी कार्य जो कानून, अधिनियम या अध्यादेशों के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसे सभी मामलों पर विचार करने के लिए कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद या वाइस चांसलर द्वारा किया जा सकता है;

एम) डीन को सौंपने के लिए, या स्कूल बोर्ड के किसी अन्य सदस्य या एक समिति को इस तरह के सामान्य या विशिष्ट शक्तियों के रूप में समय-समय पर स्कूल बोर्ड द्वारा पर निर्णय लिया जा सकता है;

4. बैठकें

(क) स्कूल बोर्ड की बैठक या तो साधारण या विशेष होगी।

(ख) साधारण बैठकें मानसून सत्र में अगस्त और नवंबर के महीने में और शीतकालीन सत्र में जनवरी और अप्रैल में आयोजित किया जाएगा।

(ग) विशेष बैठकों अपने / अपनी पहल पर डीन द्वारा बुलाया जा सकता है या कुलपति के सुझाव पर या स्कूल बोर्ड के सदस्यों की कम से कम एक पांचवें से एक लिखित अनुरोध पर बुलाया जाएगा।

5. कोरम

स्कूल बोर्ड की बैठक के लिए कोरम अपने कुल सदस्यों में से एक-तिहाई होगी।

6. बैठक बुलाने की सूचना

स्कूल बोर्ड की एक बैठक के लिए नोटिस, विशेष बैठक के अलावा अन्य, आमतौर पर कम से कम 10 दिन पहले बैठक के लिए दिन तय होने के लिये जारी किया जाएगा। एक विशेष बैठक आमतौर पर कम से कम 5 दिन के नोटिस के साथ तय किया जाएगा।

7. बैठक का संचालन के नियम

स्कूल बोर्ड की बैठक के आचरण नियमावली नियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

7. अध्यादेश विभाग / केंद्र, अध्ययन के बोर्ड और विभाग / केंद्र / अध्ययन के बोर्ड के मुखिया/ अध्यक्ष से संबंधित

(देखिये संविधि 16 (3) के तहत प्रावधान के साथ संविधि 15 (5) (बी) पढ़ने के लिए)

भाग ए: विभाग / केन्द्र / अध्ययन के बोर्ड

1. रचना:

प्रत्येक विभाग / केन्द्र / अध्ययन के बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे: -

(i) विभाग / केन्द्र के शिक्षक;

(ii) विभाग / केन्द्र में अनुसंधान संवहन करनेवाले व्यक्ति; (iii) स्कूल के डीन;

(iv) मानद प्रोफेसर, यदि कोई हो, विभाग / केंद्र से जुड़े; तथा

(v) (क) विश्वविद्यालय के दो शिक्षक जो एलाइड या संबंधी विषय में विशेषज्ञ होंं विभाग / केंद्र के भीतर सरोकार रहे हैं दो साल की अवधि के लिए शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित किया जाना है, बशर्ते कि ऐसी कोई शिक्षक दो से अधिक विभागों / केंद्र के एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा।

(ख) दो से अधिक व्यक्ति नहीं, विश्वविद्यालय में शिक्षण / अनुसंधान में लगे हुए नहीं हों और विभाग / केंद्र के भीतर इस विषय के विशेषज्ञ हों या विषयों से सरोकार हो, अध्ययन के बोर्ड के सदस्यों को दो साल की अवधि के लिए संबंधित के रूप में शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित किया जाएगा।

2. विभाग / केंद्र के कार्य

विभाग/ केन्द्र के कार्य किया जाएगा:

(क) विभाग / केंद्र द्वारा विषय के संबंध में या सरोकार विषयों के साथ परीक्षकों के सम्बन्धित नाम स्कूल बोर्ड को सिफारिश करने के लिए ; (ख) शोध डिग्री में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रवेश समिति की सिफारिश करने के लिए;

(ग) अध्ययन के स्कूल बोर्ड का संबंध पाठ्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए; (घ) पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य-पुस्तकों की सलाह को मंजूरी के लिए;

(ड़) पैटर्न और विभाग / केन्द्र द्वारा की पेशकश की प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रीय मूल्यांकन की अनुसूची को मंजूरी के लिए;

(च) शिक्षकों को शिक्षण कार्य का आवंटन और संबंधित स्कूल का और विश्वविद्यालय के सामान्य समय-सारणी के अनुसार समय-तालिका फ्रेम करने के लिए;

(छ) स्कूल बोर्ड के लिए CASR के माध्यम से एम फिल शोध प्रबंध और पीएच डी थीसिस के लिए विषयों, कोर्स (ओं) एम फिल के छात्रों के लिए और पीएचडी के छात्रों के लिए निर्धारित, यदि कोई, पर्यवेक्षकों/ सलाहकार के नाम, एम फिल शोध प्रबंध और पीएच डी थीसिस के मूल्यांकन के लिए परीक्षकों के पैनल के नामों और अन्य संबंधित मामलों के जो स्कूल बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता होती है की सिफारिश करने के लिए;

(ज) एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में समिति को प्रस्ताव बनाने के लिए जैसा भी मामला हो, या तो व्यक्तिगत या समूहों में विभाग / केन्द्र के सदस्यों द्वारा लिया जाना है;

(झ) छात्रों के लिए सलाहकार, अपने शिक्षकों के बीच में से नियुक्त करने के लिए;

(ट) शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए कदम उठाने के लिए; तथा

(ठ) संबंध स्कूल के द्वारा ऐसी अन्य कार्य करने के लिए जैसा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

3. कोरम

एक विभाग / केंद्र की एक बैठक के लिए कोरम विभाग / केंद्र के कुल सदस्यों में से एक-तिहाई होगी।

भाग बी: विभाग / केन्द्र / अध्ययन के बोर्ड के प्रमुख / अध्यक्ष

विभाग / केन्द्र / अध्ययन के बोर्ड के प्रमुख / अध्यक्ष का शक्तियां और कर्तव्य:

विभाग / केन्द्र / अध्ययन के बोर्ड के प्रमुख/ अध्यक्ष बुलाने और विभाग / केन्द्र / अध्ययन के बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और करेगा, अध्ययन के स्कूल के डीन के सामान्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत, और विभाग / केंद्र की सहमति से -

(क) विभाग / केन्द्र में शिक्षण और अनुसंधान के काम को व्यवस्थित करना;

(ख) क्लास रूम और प्रयोगशालाओं के माध्यम से शिक्षकों में अनुशासन बनाए रखने;

(ग) विभाग / केन्द्र शिक्षण और अनुसंधान और इस तरह के अन्य कर्तव्यों में शिक्षकों के लिए आवंटित करना जैसा विभाग / केन्द्र के समुचित कार्य के लिए आवश्यक हो सकता है; तथा

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन के रूप में अध्ययन के स्कूल के डीन, स्कूल बोर्ड, सीएएसआर, कुलपति, शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद द्वारा उसे / उसे करने के लिए सौंपा जा सकता है।

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

09. अध्यादेश स्कूल अध्ययन के डीन के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित

[देखिये विधियों के संविधि 36 (1) (i)]

 छात्र कल्याण के डीन 3 साल की अवधि के लिए कुलपति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के बीच में से नियुक्त किया जाएगा।

 छात्र कल्याण के डीन के कर्तव्य प्रोफेसर के रूप में उसकी / उसके कर्तव्यों के अलावा होगी। वह / वह एक मासिक अतिरिक्त काम के एवज में कार्यकारी परिषद द्वारा निर्णय लिया मानदेय का हकदार होगा।

3. छात्र कल्याण के डीन छात्र परिषद के अध्यक्ष होगा।

4. छात्र कल्याण के डीन छात्रों के सामान्य कल्याण देखेंगे और छात्रों के बौद्धिक और सामाजिक जीवन के बीच और कक्षा के बाहर विश्वविद्यालय जीवन के उन पहलुओं को जो उनके विकास में योगदान के लिए और और विकास के रूप में परिपक्व और जिम्मेदार मनुष्य की ध्वनि के लिए उचित प्रोत्साहन उप्लब्ध कराएंगे। 5. छात्र कल्याण के डीन विभाग के प्रमुख अब तक हॉस्टल, खेल, स्वास्थ्य केन्द्र, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक समितियों और इस तरह के अन्य समितियों के रूप में डे-स्कोलर्स् और अंतरराष्ट्रीय छात्रों सहित छात्रों के कल्याण के लिए किया जाएगा।

6. छात्र कल्याण, अन्य बातों के साथ के डीन के मार्गदर्शन और संबंधित मामलों में छात्रों को सलाह के लिए व्यवस्था करेगा:

(i) संगठन और छात्रों के निकायों का विकास;

(ii) परामर्श और छात्रों के मार्गदर्शन की सुविधा;

(iii) छात्रों के माता-पिता / अभिभावक के साथ संपर्क;

(iv) छात्रों की पाठ्येतर गतिविधियों और खेल;

(v) सह पाठयक्रम और सामाजिक गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना;

(vi) छात्रों की वित्तीय सहायता;

(vii) छात्र संकाय और छात्रों-प्रशासन संबंध;

(viii) कैरियर सलाह सेवा;

(ix) स्वास्थ्य और छात्रों के लिए चिकित्सा सेवा;

(x) छात्रों के आवासीय जीवन;

(xi) शैक्षिक पर्यटन और छात्रों के लिए भ्रमण की सुविधाएं;

(xii) देश और / या विदेश में आगे के अध्ययन के लिए छात्रों के लिए सुविधाएं; (xiii) पूर्व छात्रों की गतिविधियां।

7. छात्रों के डीन कल्याण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे / उसे करने के लिए सौंपा जा सकता है, जैसा कि ऊपर उद्देश्यों की खोज में इस तरह के कर्तव्यों का पालन करना।

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

11. मास्टर डिग्री / पीएचडी डिग्री से संबंधित अध्यादेश *

1 परिभाषाएं:

1.1 "पाठ्यक्रम" का अर्थ एक सेमेस्टर पाठ्यक्रम है।

1.2 संबंधित घंटों के मामले में एक पाठ्यक्रम के लिए "क्रेडिट" (सी) निर्दिष्ट है।

1.3 "ग्रेड" का अर्थ दस सूत्री पैमाने पर एक कोर्स के मूल्यांकन के आधार पर एक छात्र को सौंपा गया ग्रेड पत्र है।

1.4 "ग्रेड बिंदु" (जी) का अर्थ एक दस सूत्री पैमाने में एक छात्र को सौंपा गया ग्रेड पत्र का संख्यात्मक बराबरी है।

1.5 "सेमेस्टर ग्रेड अंक औसत" (एसजीपीए) का अर्थ है एक छात्र के ग्रेड बिंदु औसत का निम्नलिखित तरीके से गणना करना :

(g1 x c1) + (g2 x c2) +

एसजीपीए =

पाठ्यक्रम की क्रेडिट की कुल संख्या जिसके लिए छात्र एक सेमेस्टर में निबन्धन कराई गई है

1.6 संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) का अर्थ है एक छात्र निम्नलिखित तरीके से गणना की संचयी ग्रेड बिंदु औसत सूचकांक:

(g1 x c1) + (g2 x c2) +

सीजीपीए = -----

जो पाठ्यक्रम के लिए छात्र तक दर्ज की गई है क्रेडिट की कुल संख्या और सेमेस्टर जिसके लिए संचयी सूचकांक आवश्यक है भी शामिल है।

1.7 "अंतिम ग्रेड अंक औसत" (एफजीपीए) छात्र को डिग्री पुरस्कार के समय दिया गया अंतिम सूचकांक होता है।

1.8 "अंतिम ग्रेड 'पत्र समकक्ष डिग्री के पुरस्कार के समय में उसकी / उसके अंतिम ग्रेड बिंदु के आधार पर एक छात्र को सौंपा जाता है।

1.9 पाठ्यक्रमों में छात्रों की अंतिम ग्रेड बिंदु औसत निम्नलिखित सूत्र के आधार पर किया जाता है:

$$FGPA = \frac{\sum_{i}^{n} C_{i} G_{i}}{\sum_{i}^{n} C_{i}}$$

सीआई = पाठ्यक्रम की क्रेडिट

जीआई = पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा सुरक्षित ग्रेड बिंदु

एन = पाठ्यक्रमों की कुल संख्या जिसके लिए छात्र पंजीकरण करता है ।

2. अध्ययन के कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता और संख्या

एम,फिल डिग्री में प्रवेश पाने के लिए एक उम्मीदवार को किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री हासिल करनी होगी, साथ ही उस विषय मे या समकक्ष विषय में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। समय-समय पर प्रकाशित भारत के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और पीडब्ल्यूडी के उम्मीदवारों के लिए वैधानिक छूट उपलब्ध है।

हालांकि, जो छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों प्रणाली के बाहर उनके परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं और जिन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त नहीं की है, एआईयू विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री तुल्यता द्वारा घोषित सूची के अनुसार ऐसे छात्रों पर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है।

एकीकृत एम फिल -पीएच डी. कार्यक्रम के लिए खाली सीटों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

3. प्रवेश के लिए प्रक्रिया

शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से प्रवेश समिति द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रक्रिया निर्धारित किया जाएगा।

4. पंजीकरण

पाठ्यक्रम में पंजीकरण करना छात्र की मुख्य जिम्मेदारी है। बिना पंजीकरण के किसी भी छात्र को कोर्स करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी और विश्वविद्यालय द्वारा घोषित पंजीकरण की निर्धारित तिथि में छात्रों को पंजीकरण करना होगा. छात्रों द्वारा ऐसा न करने पर किसी भी कोर्स में क्रेडिट की पात्रता उनकी नहीं होगी।

5. अध्ययन के पाठ्यक्रम

विभाग / केन्द्र पाठ्यक्रमों और कार्यप्रणाली व अनुदेशात्मक उपकरणों के इस्तेमाल को निर्दिष्ट करेगी। केन्द्र / सीएएसआर / स्कूल बोर्ड की सिफारिश पर शैक्षणिक परिषद द्वारा इस तरह के हर कोर्स के लिए क्रेडिट निर्धारित की गई है।

कोई भी छात्र एक कोर्स में तभी उत्तीर्ण करेगा जब वह सत्रीय कार्य में भाग लेगा और उस कोर्स में औसतन डी ग्रेड प्राप्त करेगा (ऐसे कोर्स जिसमें कोई अंत सेमेस्टर परीक्षा नहीं होते हैं) या जो सत्रीय कार्य में भाग लिया है और अंत सेमेस्टर परीक्षा (ऐसे कोर्स जिसमें सेमेस्टर परीक्षा होते हैं) में उपस्थित रहा है और उस कोर्स में वेटेड ग्रेड 'डी' प्राप्त किया है।

परंतु, हालांकि, एक छात्र को संबंधित केंद्र की अनुमति के साथ सेमेस्टर के प्रारंभ से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर किसी नए कोर्स या किसी अन्य कोर्स लेने की अनुमति दी जा सकती है।

हालांकि एक छात्र को संबंधित स्कूल / केन्द्र की अनुमति के साथ, मानसून और शीतकालीन सेमेस्टर के लिए शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित तारीख के भीतर पाठ्यक्रम ड्रॉप करने की अनुमति दी जा सकती है।

इन समय सीमा के बाद किसी भी छात्र को नया कोर्स, कोर्स में परिवर्तन / या कोर्स ड्रॉप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. कार्यक्रम की अवधि

एम.फिल. की पाठ्यक्रम कार्य दो सेमेस्टर का होगा जिसमें से कम से कम 50% कार्य पहले सेमेस्टर में पूरा किया जाएगा। किसी भी छात्र को एम.फिल के लिए उसकी / उसका शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति दी जाएगी। जब तक कि वह एकीकृत एम.फिल- पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के बाद कम से कम तीन सेमेस्टर को पूरा नहीं करता और सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम कार्य के माध्यम से सभी आवश्यक क्रेडिट को हासिल नहीं करता। छात्रों को चौथे सेमेस्टर के पूरा होने से पहले उसकी / उसके शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

हालांकि एक सेमेस्टर को तब शून्य सेमेस्टर घोषित किया जा सकता है, जब वह शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान उस अवधि में बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के कारण या विदेशी छात्रवृत्ति / फैलोशिप स्वीकार करने के कारण समेस्टर जारी नहीं कर सका. ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उसे अनुपस्थिति माना जाएगा। ऐसे मामलों में इस तरह के शून्य सेमेस्टर को कार्यक्रम की अवधि में गणना नहीं की जाएगी।

विदेशी छात्रों के मामलों में जो अपने छात्र वीजा / अनुसंधान वीजा प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम बीच में छोड़ने के लिए मज़बूर होते हैं, ऐसी अवधि को कार्यक्रम की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।

7. क्रेडिट आवश्यकताएं

एम,फिल. कार्यक्रम में भर्ती होने वाले सभी छात्र एम.फिल डिग्री के पात्र नहीं होते, जब तक कि वह 40 क्रेडिट हासिल नहीं कर लेता जिनमें से कम से कम 20 क्रेडिट पाठ्यक्रम कार्य (अनुसंधान तकनीकों / कार्यप्रणाली सहित) और शोध प्रबंध के लिए 20 क्रेडिट सुरक्षित करना आवश्यक है।

8. कार्यक्रम के लिए पुष्टि

कार्यक्रम में एक छात्र के प्रवेश की पुष्टि तभी की जाएगी जब तक स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च (सीएएसआर) समिति संतुष्ट नहीं हो जाती:

(i) प्रस्तावित विषय पर अनुसंधान लाभ चलाया जा सकता है;

(ii) शोध कार्य उचित ढंग से विश्वविद्यालय में किया जा सकता है; और उम्मीदवार के पास प्रस्तावित अनुसंधान के लिए क्षमता है कि नहीं।

9. पर्यवेक्षक की नियुक्ति

केन्द्र और स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च (सीएएसआर) समिति के सिफारिश पर स्कूल बोर्ड मार्गदर्शन और उचित समय पर छात्र के काम की निगरानी के लिए केंद्र पर्यवेक्षक के रूप में संबंधित केन्द्र के एक संकाय सदस्य को नियुक्त करेगा। परंतु यदि आवश्यकता पड़ी तो सीएएसआर, विश्वविद्यालय के भीतर या बाहर से सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति की सिफारिश कर सकते हैं।

एक पर्यवेक्षक जिनकी देखरेख में शोध प्रबंध भाग में या सम्पूर्ण रूप से तैयार किया गया है विश्वविद्यालय का एक शिक्षक हो सकता है, उसका / उसकी उपलब्धता और स्कूल / केंद्र की सिफारिशों के अधीन होता है, छात्र के संयुक्त पर्यवेक्षक के रूप में सीएएसआर द्वारा जारी रखा जाता है।

10. शोध निबंध का विषय

पर्यवेक्षक के माध्यम से छात्र द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर केंद्र बोर्ड या सारांश समिति (केन्द्र बोर्ड के अभाव में) और सीएएसआर की सिफारिशों पर केंद्र बोर्ड द्वारा शोध प्रबंध के विषय को अनुमोदित किया जाएगा।

11. मूल्यांकन

11.1 स्कूल बोर्ड द्वारा पुष्टि के आधार पर, पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की विधि के द्वारा एम.फिल डिग्री प्रदान की जाएगी। स्कूल / केन्द्र द्वारा मूल्यांकन के आयोजन आधार पर डिग्री निर्धारित की जाएगी। एक उम्मीदवार जो एम.फिल.- पीएच.डी. कार्यक्रम में भर्ती है, जैसा कि अध्यादेशों में निर्धारित की गई है, समय की न्यूनतम निर्धारित अवधि के पूरा होने पर, एम.फिल डिग्री के लिए एक शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाएगी:

(क) पर्यवेक्षक और केंद्र अध्यक्ष के माध्यम से उसके द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य के सार की प्रतियों के साथ संबंधित स्कूल के डीन को शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के अपने इरादे के बारे में सूचित करेगा।

(ख) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, पर्यवेक्षक द्वारा, केंद्र अध्यक्ष और स्कूल के डीन के परामर्श से एक तारीख सुनिश्चित किया जाएगा, उस तिथि में उम्मीदवार को सभी संकाय सदस्यों और विश्वविद्यालय के शोध छात्रों के समक्ष ओपन सेमीनार देना होगा जिसमें उसके द्वारा किए गए अनुसंधान के बारे में विवरण प्रस्तुत करना होता है।

(ग) सार्वजनिक रक्षा करने के बाद उम्मीदवार को शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

11.2 दो परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध की जांच की जाएगी, जिनमें से कम से कम एक परीक्षक राज्य के बाहर से होगा और संबंधित केन्द्र के अध्ययन बोर्ड / या स्कूल बोर्ड का सदस्य नहीं होगा. इसकी नियुक्ति शैक्षणिक परिषद और एडवांस स्टडीज ऐंड रिसर्च के संबंधित समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाएगा।

शोध प्रबंध के मूल्यांकन के संबंध में दो परीक्षकों के बीच मतभेद के मामले में इसे स्कूल के डीन स्कूल बोर्ड के समक्ष विचार के लिए दोनों परीक्षकों की मूल्यांकन रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा।

परंतु रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, स्कूल बोर्ड ढंग से एक तीसरे परीक्षक (विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो) की नियुक्ति की सिफारिश कर सकता है।

परंतु यदि तीसरे परीक्षक की सिफारिश भी नकारात्मक रही तो ऐसे में संबंधित छात्र को एम.फिल की डिग्री से सम्मानित नहीं किया जाएगा।

11.3 पाठ्यक्रम और शोध प्रबंध को एक दस सूत्री पैमाने पर वर्गीकृत किया जाएगा, जो कि इस प्रकार होगा:

ग्रेड	ग्रेड अंक	प्रतिशतता सीमा
ओ (उत्कृष्ट)	10	≥80.00
ए+ (उत्तम)	9	70.00-79.99
ए (बहुत अच्छा)	8	60.00-69.99
बी+ (अच्छा)	7	55.00-59.99
बी (औसत से ऊपर)	6	50.00-54.99
सी (औसत)	5	45.00-49.99
पी (उत्तीर्ण)	4	40.00-44.99
डी (पदोन्नत)	3	30.00-39.99
एफ (अनुत्तीर्ण)	0	<30.00
एबी (अनुपस्थित)		

ध्यान दें :

1) एसजीपीए / सीजीपीए / एफजीपीए को पूर्णन नहीं किया जाएगा

2) एक छात्र द्वारा प्राप्त एसजीपीए / सीजीपीए / एफजीपीए अधिकतम 10 अंक से होगा।

11.4 जिस प्रकार परीक्षक एम.फिल के पुरस्कार के लिए शोध प्रबंध के अनुमोदन की सिफारिश करता है। उसे ऊपरोक्त खंड 11.3 में निर्धारित ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार शोध प्रबंध के लिए भी पुरस्कार ग्रेड करना होगा। शोध प्रबंध के लिए अंतिम ग्रेड दो परीक्षकों द्वारा दिए गए अंकों के औसतन के द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

11.5 वही छात्र एम.फिल पुरस्कार के लिए पात्र होंगे जो 5.5 की एक न्यूनतम संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) (शोध प्रबंध और पाठ्यक्रम) प्राप्त करेंगे।

बशर्ते कि एक छात्र कोर्स का समय लग सकता एम.फिल के पाठ्यक्रम काम में स्कूल / केन्द्र द्वारा निर्धारित क्रेडिट की संख्या की तुलना में अधिक क्रेडिट ले। छात्र द्वारा प्राप्त संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) ग्रेड के अवरोही क्रम में पाठ्यक्रम के ही निर्धारित संख्या की गणना में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि एम.फिल. कार्यक्रम के कोर्स वर्क में दो पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है और छात्र चार पाठ्यक्रमों के क्रेडिट लेते हैं, उसका / उसकी संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) सबसे अच्छा दो पाठ्यक्रमों के आधार पर गणना की जाएगी, उसके द्वारा प्राप्त सभी चार पाठ्यक्रमों के ग्रेड को अवरोही क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाएगा।

12. कोई उम्मीदवार यदि पहले से इस विश्वविद्यालय में या किसी अन्य विश्वविद्यालय / संस्थान में किसी भी पूर्णकालिक कार्यक्रम के लिए पंजीकरण किया है तो ऐसे छात्र इस कार्यक्रम में रजिस्टर करने के पात्र नहीं होंगे।

13. विश्वविद्यालय के एम.फिल कार्यक्रम से छात्र नाम की बर्खास्तगी

13.1 इसके अलावा, एक छात्र जो कार्यक्रम के किसी भी सेमेस्टर पाठ्यक्रम कार्य में ग्रेड 'पी' (यानी 4.0 एसजीपीए) को सुरक्षित करने में विफल रहता है या जो समग्र पाठ्यक्रम कार्य में 5.0 सीजीपीए को सुरक्षित करने में विफल रहता है उसे विश्वविद्यालय के रोल से स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा।

13.2 (क) जो छात्र सेमेस्टर के किसी भी पाठ्यक्रम में कम से कम 'डी' को सुरक्षित करने में विफल रहता है, तो विश्वविद्यालय के रोल से उसका नाम हटा दिया जाएगा।

(ख) उन्नत अध्ययन के लिए समिति और अनुसंधान अपने विवेक से विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का काम पूरा होने के बाद अनुसंधान के लिए प्रेरणा की कमी पाने पर एक छात्र के नाम को विश्वविद्यालय से हटाया जा सकता है।

14. पीएच.डी. के लिए पंजीकरण

एक उम्मीदवार पीएच.डी. पंजीकरण के लिए पात्र होंगे जब वे निम्नलिखित शर्तों के साथ एम.फिल. कार्यक्रम को पूरा कर लेते हैं:

शोध निबंध और पाठ्यक्रम (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग छात्रों के मामलों में 5.5 के ग्रेड) में ग्रेड के साथ कम से कम 6.00 की न्यूनतम एफजीपीए आवश्यक है :

किसी छात्र का पीएच.डी. पंजीकरण तभी हो सकता है बशर्ते जिन छात्रों ने एम.फिल की सभी मानदंडों को पूरा कर लिया है और जिनके शोध प्रबंध के परिणाम प्रतीक्षित हैं. पंजीकरण अस्थायी है अतः अंतिम परिणाम आने के बाद और आवश्यक सीजीपीए / एफजीपीए सुरक्षित कर लेने के बाद ही उसे स्थायी माना जाएगा।

ख) एम.फिल. - पीएच.डी. के कोर्स वर्क में 6.5 के न्यूनतम सीजीपीए के साथ 20 क्रेडिट प्राप्त करना आवश्यक है।

15. पीएच.डी. थीसिस का विषय और पर्यवेक्षक की नियुक्ति

15.1 स्कूल की सीएएसआर निम्नलिखित तथ्यों को सुनिश्चित करेगा:

(i) प्रस्तावित विषय पर अनुसंधान करना लाभदायक साबित होगा या नहीं;

(ii) अनुसंधान कार्य विश्वविद्यालय में किया जा सकता है या नहीं; तथा

(iii) उम्मीदवार के पास प्रस्तावित अनुसंधान के लिए क्षमता है या नहीं।

15.2 विभाग / केंद्र की सिफारिश पर स्कूल बोर्ड, उचित समय पर करेगा;

(i) पीएच.डी. के लिए छात्र पंजीकरण की पुष्टि करना यदि उसकी / उसके पंजीकरण अस्थायी है, और

(ii) पर्यवेक्षक के रूप में स्कूल / केन्द्र के एक शिक्षक की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो मार्गदर्शन और छात्र के काम की निगरानी के लिए **एक सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति**:

एक पर्यवेक्षक जिनकी देखरेख में शोध प्रबंध भाग में या सम्पूर्ण रूप से तैयार किया गया है विश्वविद्यालय का एक शिक्षक हो सकता है, उसका / उसकी उपलब्धता और स्कूल / केंद्र की सिफारिशों के अधीन होता है, छात्र के संयुक्त पर्यवेक्षक के रूप में सीएएसआर द्वारा जारी रखा जाता है।

16. कोई उम्मीदवार पीएचडी के लिए उसकी / उसके शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब तक कि वह पीएच.डी. पंजीकरण के बाद या पीएच.डी. के लिए पंजीकरण की पुष्टि के बाद विश्वविद्यालय में कम से कम 2 साल तक अनुसंधान नहीं कर लेता या।

i) हालांकि एक सेमेस्टर को तब शून्य सेमेस्टर घोषित किया जा सकता है, जब वह शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान उस अवधि में बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के कारण या विदेशी छात्रवृत्ति / फैलोशिप स्वीकार करने के कारण समेस्टर जारी नहीं कर सका. ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उसे अनुपस्थिति माना जाएगा।ऐसे मामलों में इस तरह के शून्य सेमेस्टर को कार्यक्रम की अवधि में गणना नहीं की जाएगी।

ii) विदेशी छात्रों के मामलों में जो अपने छात्र वीजा / अनुसंधान वीजा प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम बीच में छोड़ने के लिए मज़बूर होते हैं, ऐसी अवधि को कार्यक्रम की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा। iii) हालांकि एक छात्र एम.फिल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कारण प्रक्रिया के माध्यम से कार्यक्रम से डी-पंजीकृत कर सकते हैं। हालांकि स्कूल / केंद्र की सिफारिश पर सीएएसआर द्वारा छात्र के अनुरोध पर डी-रजिस्टर करने की तिथि से अगले दस वर्षों के भीतर उसे पुनः पंजीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है. खण्ड 17 (ख) के प्रावधानों के तहत पुनः पंजीकृत छात्र को पुनः-पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर थीसिस जमा करना होगा।

17. विश्वविद्यालय के रोल से पीएच.डी. छात्र की बर्खास्तगी

(क) उम्मीदवार का नाम स्वचालित रूप से विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिया हो जाएगा यदि वह

(i) एम.फिल में अपेक्षित सीजीपीए / एफजीपीए सुरक्षित करने में विफल रहता है।, यदि वह प्रावधिक पीएच.डी. कार्यक्रम में भर्ती कराया गया और उसकी / उसके एम.फिल शोध प्रबंध का परिणाम लंबित है;

(ii) यदि एम.फिल करने के लिए उसकी / उसके प्रारंभिक प्रवेश की तारीख से छह साल के भीतर या पीएच.डी. में पंजीकरण की तारीख से चार साल के भीतर, जो पहले हो, थीसिस जमा नहीं कर पाता।

परंतु, तथापि, ऐसे छात्र जो अपना एम.फिल की डिग्री प्राप्त करने के बाद छोड़ दिए और जिनको स्कूल / केंद्र की ओर से कार्यक्रम के लिए फिर से भर्ती कराया गया, के संबंध में, जिस अवधि के लिए ऐसे छात्रों ने छोड़ दिया था, ऊपरोक्त के छह साल में उसकी गणना नहीं की जाएगी।

** (ख) स्कूल / केंद्र की सिफारिशों पर एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च समिति अंततः ऐसे छात्रों के अनुरोध को स्वीकार करती है, जिनका नाम उपखंड उपरोक्त 17 (a)(ii) के तहत विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिया गया हो, डी-पंजीकरण की तारीख से 10 साल के भीतर फिर से रजिस्टर किया जा सकेगा और उसकी / उसके थीसिस प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसके पुनः पंजीयन की तारीख से एक साल के भीतर थीसिस जमा करना होगा।

18. इस अध्यादेश के तहत स्कूल बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना और एम.फिल पूरा करने से पहले कोई उम्मीदवार एम.फिल के लिए अनुसंधान का एक कोर्स करने के लिए भर्ती या पीएच.डी. में भर्ती नहीं होगा। कार्यक्रम या न्यूनतम अवधि के ऊपर खंड 16 में विहित पूरा करने से पहले:

(क) किसी भी रोजगार का कार्य:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / अनुसंधान के भीतर विश्वविद्यालय के 250 किलोमीटर दूर इस सीमा में स्थित संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में लगे हुए लोगों को निम्नलिखित उपखंड़ों से छूट दी जा सकती है;

बशर्ते कोई स्कूल / केन्द्र में इस श्रेणी में एम.फिल/पीएचडी के लिए नामांकित का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए.;

(ख) अध्ययन के किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में शामिल होना; या

(ग) एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च समिति की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी विभाग / केंद्र द्वारा निर्धारित अन्य परीक्षा में भाग लेना।

19. एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च समिति, खंड 12 और 18 या उसकी / उसके असंतोषजनक प्रगति के कारण के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए किसी भी उम्मीदवार के दाखिले को रद्द कर सकती है।

20. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार एक उम्मीदवार पीएचडी के लिए उसका / उसकी थीसिस प्रस्तुत करेगा। काम के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रकाशित विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित डिग्री / या उसके द्वारा कोई मूल प्रपत्र या शोध प्रबंध प्रस्तुत करेगा या एम.फिल डिग्री के लिए थीसिस प्रस्तुत करता है, पीएच.डी. के पुरस्कार के लिए वह सहायक या समर्थन सामग्री के रूप में होगा।

21. दो परीक्षकों द्वारा पीएच.डी. पुरस्कार के लिए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध की जांच की जाएगी, जिनमें से कम से कम एक परीक्षक राज्य के बाहर से होगा और संबंधित केन्द्र के अध्ययन बोर्ड / या स्कूल बोर्ड का सदस्य नहीं होगा. इसकी नियुक्ति शैक्षणिक परिषद और एडवांस स्टडीज ऐंड रिसर्च के संबंधित समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाएगा।

22. प्रत्येक परीक्षक, पीएच.डी. पुरस्कार के लिए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई थीसिस के जांच के बाद, सीओई कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित सिफारिशें होंगी, उसका / उसकी राय में (क) उम्मीदवार का वाइवा-वोस परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए; या (ख) थीसिस संशोधन के लिए उम्मीदवार को वापस भेजा जाना चाहिए; या (ग) इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

23. (क)यदि डीन / अध्यक्ष सम्पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है कि परीक्षकों के सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि उम्मीदवार के वाइवा-वोस परीक्षा आयोजित की जाएगी, वह / वह तदनुसार इसे धारण करने की व्यवस्था करेगा।

(ख) यदि डीन / अध्यक्ष यह पाता है कि थीसिस के परीक्षकों ने सर्वसम्मति से सिफारिश नहीं की है कि उम्मीदवार के वाइवा-वोस परीक्षा आयोजित की जाए या वह संतुष्ट होता है कि पाठ्यक्रम में एक प्रतिकूल राय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, अन्यथा सकारात्मक सिफारिश की वैधता को प्रभावित करने को व्यक्त किया गया है, तब डीन / अध्यक्ष, एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च के सामने आगे की कार्रवाई के लिए परीक्षकों की रिपोर्ट को पेश करेगा।

(ग) एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च समिति यदि पाती है कि एक परीक्षक की सिफारिश सकारात्मक है और अन्य की नकारात्मक तो वह अपने विवेक से यह फैसला करेगी कि शैक्षणिक परिषद से एक ऐसे तीसरे परीक्षक की नियुक्ति की सिफारिश करे या ना करे जो विश्वविद्यालय और / या केंद्र / या स्कूल बोर्ड से संबंधित न हो, और उसके रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;

बशर्ते कि सिफारिश नकारात्मक न हो औऱ संशोधन की सिफारिश के आधार पर संशोधित थीसिस को परीक्षक द्वारा स्वीकार किया गया हो;

बशर्ते, इसके अलावा, यदि संशोधन के बाद भी परीक्षक द्वारा थीसिस को स्वीकार नहीं किया जाता है, मूल थीसिस के संशोधित संस्करण को उपरोक्त (ग) के अनुसार तीसरे परीक्षक को भेजा जाएगा और तीसरे परीक्षक द्वारा अनुमोदित तथ्यों पर अंतिम रूप से विचार किया जाएगा।

ध्यान दें :

(1) जब तक दो सकारात्मक सिफारिशें नहीं की जाती तब तक किसी भी थीसिस को डिग्री नहीं दिया जा सकता।

(2) जहां एक सिफारिश सकारात्मक है और दूसरे में संशोधन की मांग की जाती है ऐसे मामले में एडवांस्ड स्टडीज ऐंड रिसर्च समिति आमतौर पर संशोधन करवाती है और संशोधित थीसिस को परीक्षक को भेजती है।

24. परीक्षकों के एक बोर्ड द्वारा उम्मीदवार के वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें थीसिस के एक बाह्य परीक्षक को आमंत्रित किया जाता है, हालांकि, यदि थीसिस के मूल परीक्षकों में से कोई भी इस परीक्षा के लिए उपलब्ध न हो, ऐसे मामलों में उसके स्थान पर किसी तीसरे परीक्षक नियुक्त किया जाएगा।

हालांकि, यदि किसी कारणवश पर्यवेक्षक वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) परीक्षा में भाग लेने में असमर्थ होता है, ऐसे मामलों में सीएएसआर एक अन्य संकाय सदस्य की सिफारिश कर सकता है।

25. जिस तरीके से वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा वह इस प्रकार निर्धारित है ।

26. (क) वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) परीक्षा में वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) बोर्ड खुद को निम्नलिखित तथ्यों से संतुष्ट करेगा:

(।) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत थीसिस उसका स्वयं का कार्य है, और

(li) उसकी / उसके अध्ययन के क्षेत्र में उम्मीदवार की समझ संतोषजनक है।

(ख) वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) बोर्ड, उसके बाहरी सदस्यों की सर्वसम्मत राय के आधार पर, और वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) परीक्षा में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित सिफारिश कर सकता है:

- (i) उम्मीदवार को पीएच.डी. डिग्री प्रदान की जाए या
- (ii) थीसिस को संशोधन के लिए उम्मीदवार को वापस भेजा जाए; या

(iii) थीसिस को खारिज कर दिया जाए और उम्मीदवार को घोषित किया जाए कि पीएच.डी. डिग्री से उसे सम्मानित नहीं किया जाएगा।

27. (क) यदि स्कूल बोर्ड संतुष्ट हैं तो वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) के बाद बोर्ड की सिफारिशें निम्नलिखित हो सकती हैं -

उम्मीदवार को पीएच.डी. से सम्मानित किया जाए, यह शैक्षणिक परिषद को पीएच.डी. से सम्मानित करने के लिए सिफारिश करेगा कि उम्मीदवार को डिग्री से सम्मानित किया जाए। (ख) वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) बोर्ड यदि सिफारिश करता है कि उम्मीदवार की थीसिस को खारिज किया जाए तो स्कूल बोर्ड को उनके सिफारिश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।

(ग) यदि वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) बोर्ड के एक सदस्य की सिफारिश सकारात्मक और अन्य की नकारात्मक है, तो ऐसे मामले में स्कूल बोर्ड विचार और सिफारिश के लिए सीएएसआर को भेजेगी, और उनके सिफारिश के अनपसार निर्णय लिया जाएगा।

28. एक उम्मीदवार जिसका थीसिस संशोधन के लिए वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा)बोर्ड द्वारा वापस किया जाता है तो ऐसे मामलें में विश्वविद्यालय के निर्णय की सूचना के एक वर्ष के भीतर डिग्री के पुरस्कार के लिए इसे फिर से प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी जाएगी:

हालांकि कि, कुछ असाधारण मामलों में, शैक्षणिक परिषद, स्कूल बोर्ड की सिफारिशों पर एक साल की अवधि का विस्तार कर सकती है।

29. थीसिस जिसे फिर से प्रस्तुत किया गया है, सामान्य रूप से मूल परीक्षकों को भेजा जाता है, लेकिन यदि उनमें से एक परीक्षक या दोनों परीक्षक उसका पुनः मूल्यांकन करने में असमर्थ हैं या अनुच्छुक है, ऐसे मामलों में किसी अन्य परीक्षक को नियुक्त किया जा सकता है।

30. यदि पीएच.डी. पुरस्कार के लिए वाइव-वोस (मौखिक परीक्षा) बोर्ड द्वारा संशोधन के लिए थीसिस को वापस किया जाता है तो किसी भी उम्मीदवार को केवल एक बार उसके थीसिस को फिर से प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

31. अध्यादेश में निहित होते हुए भी, शैक्षणिक परिषद, असाधारण परिस्थितियों में और स्कूल बोर्ड की सिफारिशों पर और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के मामले की योग्यता के आधार पर अपने विवेक से सीजीपीए आवश्यकताओं को छोड़कर लिखित कुछ प्रावधानों में छूट देने पर विचार कर सकते हैं।

गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय

12. अध्यादेश सीधे प्रवेश के माघ्यम से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के पुरस्कार से संबंधित

1. परिभाषा

1.1 "पाठ्यक्रम" एक सेमेस्टर पाठ्यक्रम का मतलब है।

1.2 क्रेडिट(सी) वेटेज है एक कोर्स के लिए आवंटित घंटे से संपर्क करने के मामले में

1.3 ग्रेड एक पत्र ग्रेड का मतलब एक दस सूत्री पैमाने पर एक कोर्स के मूल्यांकन के आधार पर एक छात्र के लिए आवंटित।

1.4 ग्रेड बिंदु (जी) का मतलब एक पत्र ग्रेड दस सूत्री पैमाने में एक छात्र के लिए आवंटित संख्यात्मक बराबर।

1.5 सेमेस्टर ग्रेड बिंदु औसत (एसजीपीए) का मतलब एक छात्र निम्नलिखित तरीके से गणना की ग्रेड बिंदु औसत:

(g1 x c1) + (g2 x c2) +

एसजीपीए =

पाठ्यक्रम की क्रेडिट की कुल संख्या जिसके लिए छात्र एक सेमेस्टर में निबन्धन कराई गई है

1.6 संचयी ग्रेड बिंदु औसत (सीजीपीए) का अर्थ है एक छात्र निम्नलिखित तरीके से गणना की संचयी ग्रेड बिंदु औसत सूचकांक:

(g1 x c1) + (g2 x c2) +

सीजीपीए = ------

जो पाठ्यक्रम के लिए छात्र तक दर्ज की गई है क्रेडिट की कुल संख्या और सेमेस्टर जिसके लिए संचयी सूचकांक आवश्यक है भी शामिल है।

1.7 "अंतिम ग्रेड अंक औसत" (एफजीपीए) पाठ्यक्रम में एक छात्र के अंतिम सूचकांक है।

1.8 पाठ्यक्रमों में छात्रों की अंतिम ग्रेड बिंदु औसत सूत्र नीचे संकेत के आधार पर काम किया जाता है:

$$FGPA = \frac{\sum_{i}^{n} C_{i}G_{i}}{\sum_{i}^{n} C_{i}}$$

ci = i पाठ्यक्रम की क्रेडिट

gi = ग्रेड बिंदु i पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा सुरक्षित

n = पाठ्यक्रमों की कुल संख्या है जिसके लिए छात्र पंजीकृत किया गया है

 एक उम्मीदवार पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए पात्र होंगे, अगर वह / वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / अनुसंधान संस्थान में कम से कम दो साल का अनुभव है और पिछले अनुसंधान शोध प्रकाशन एम.फिल मानक करने के लिए तुलनीय है।

3. प्रवेश के लिए प्रक्रिया शैक्षणिक परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

4. प्रवेश के लिए आवेदन विभाग / केन्द्र / एडवांस्ड स्टडीज एंड रिसर्च (सीएएसआर) संबंधित पक्षों के लिए समिति द्वारा विचार किया जाएगा जो अपने आप के लिए संतोषजनक उसके बाद स्कूल बोर्ड को अपनी राय के साथ आवेदन भेजेगा:

प्रस्तावित विषय पर अनुसंधान लाभ के लिए देखा जा सकता है;

(ii) अनुसंधान कार्य को उपयुक्त विश्वविद्यालय में किया जा सकता है; तथा

(iii) उम्मीदवार के पास प्रस्तावित अनुसंधान के लिए क्षमता है.

5. यदि स्कूल बोर्ड संतुष्ट है, तो उसकी / उसके प्रवेश को अंतिम रूप देने के लिए विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति को पीएचडी कार्यक्रम के लिए उम्मीदवार के दाखिले की सिफारिश कर सकता है।

बशर्ते कि यदि सीएएसआर संतुष्ट है, तो यह पाठ्यक्रम पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए अग्रणी करने के प्रावधिक उम्मीदवार के दाखिले की सिफारिश कर सकता है।

6. स्कूल बोर्ड कर सकता है, उचित समय पर, और विभाग/केन्द्र/सीएएसआर की सिफारिश पर:

(ए) पर्यवेक्षक के रूप में विश्वविद्यालय के एक शिक्षक की नियुक्ति मार्गदर्शन और छात्र के काम की निगरानी के लिए;

परंतु आगे स्कूल बोर्ड सम्बन्धित विभाग/केन्द्र/सीएएसआर के सिफारिश पर, किसी विशेष मामले में संयुक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकता है।

परंतु आगे एक पर्यवेक्षक के मामले में, जिसका मार्गदर्शन में एक थीसिस के भाग में या पूरी में तैयार किया गया है, विश्वविद्यालय के एक शिक्षक होने के लिये रहता है, वह / वह, उसका / उसकी उपलब्धता और सम्बन्धित विभाग/ केंद्र/ सीएएसआर की सिफारिश करने के लिए, संबंध छात्र के संयुक्त पर्यवेक्षक के रूप में स्कूल बोर्ड द्वारा जारी रखा जा सकता है।

(बी) कोर्स (ओं) लिखना या एक कोर्स के लेखा परीक्षा के लिए छात्र को सलाह देना या पाठ्यक्रम जहां आवश्यक के रूप में छात्रों के पंजीकरण की पुष्टि के लिए एक पूर्व अपेक्षित प्रावधिक भर्ती कराया है। यदि प्रवेश अनंतिम नहीं था, पुष्टि पंजीकरण की तारीख से स्वचालित है। हर तरह के पूर्व अपेक्षित पाठ्यक्रम जैसे क्रेडिट ले जाने के रूप में विभाग / केन्द्र / सीएएसआर की सिफारिश पर स्कूल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

बशर्ते अगर एक छात्र पाठ्यक्रमों की निर्धारित संख्या से अधिक पाठ्यक्रम लिया है और प्रत्येक पाठ्यक्रम में एफ से उच्च ग्रेड सुरक्षित कर लिया है, तो पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक संख्या का सबसे अच्छा ग्रेड पीएचडी कार्यक्रम के पुष्टि के लिए उसकी / उसके मामले तय करने के प्रयोजन के लिए सीजीपीए की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

7. पाठ्यक्रम कार्य के मूल्यांकन 10 सूत्री पैमाने पर होगा, वह यह है:

ग्रेड	ग्रेड प्वाइंट
A+	9
А	8
A-	7
B+	6

В	5
B-	4
C+	3
С	2
C-	1
F	0

नोट: 1) एसजीपीए/सीजीपीए/एफजीपीए का कोई पूर्णांकित न होगी।

2) एसजीपीए/ सीजीपीए/एफजीपीए एक छात्र द्वारा प्राप्त अधिकतम संभावना 9 अंक से बाहर के है।

8. एक छात्र जिसे पूर्व अपेक्षित पाठ्यक्रम निर्धारित कर रहे हैं के लिए पहले लगातार दो सेमेस्टर के पाठ्यक्रम का काम स्पष्ट करने के लिए आवश्यक होगा। ऐसे छात्रों के पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी सिर्फ अगर उसे 6.5 (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विकलांग छात्रों के मामले में 6.00) की एक न्यूनतम सीजीपीए हासिल हो गई है ।

9. अनंतिम प्रवेश के मामले में छात्र या उसकी / उसके प्रवेश की पुष्टि की स्वीकारोक्ति के फलस्वरूपजैसा भी मामला हो, स्कूल बोर्ड, संबंधित विभाग / केन्द्र / सीएएसआर की सिफारिश पर, प्रस्तावित थीसिस पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए अग्रणी के विषय को मंजूरी करेगा।

10. पीएच.डी. कार्यक्रम पाठ्यक्रम कार्य सहित, यदि कोई निर्धारित है, लगातार आठ सेमेस्टर में फैलेगा।

11. कोई उम्मीदवार पीएचडी की डिग्री के लिए उसकी / उसके थीसिस प्रस्तुत करने की अनुमति नहींं दी जाएगी, जब तक कि इस बात की पुष्टि की गई है कि उसकी / उसके पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकरण के बाद कम से कम दो साल से कम नहीं के लिए विश्वविद्यालय में शोध का प्रयास किया है।

बशर्ते कि एक सेमेस्टर या एक वर्ष के एक छात्र के मामले में शून्य साल या शून्य सेमेस्टर घोषित किया जा सकता है, तो वह / वह शैक्षिक कार्यक्रम के साथ उस अवधि के दौरान बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के कारण या एक विदेशी छात्रवृत्ति / फैलोशिप को स्वीकार करने के कारण जारी नहीं कर सका, आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन निर्धारित है। इस तरह शून्य सेमेस्टर / वर्ष एक ऐसी छात्र के मामले में कार्यक्रम की अवधि की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा।

12. (ए) एक छात्र के नाम को स्वचालित रूप से विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिया जाएगा, यदि वह / वह

(i) किसी पूर्व अपेक्षित पाठ्यक्रम में विफल रहता है

(ii) पाठ्यक्रम काम में 6.5 (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रों के मामले में 6.00) की सीजीपीए को सुरक्षित करने में विफल रहता है

(iii) पीएच.डी. कार्यक्रम पंजीकरण की तारीख से चार साल के भीतर उसकी / उसके शोध प्रबंध प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(बी) स्कूल बोर्ड विभाग / केन्द्र / सीएएसआर की सिफारिश पर, तथापि, इसके बाद व्यक्ति फिर से पंजीकृत करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है जिसका नाम उपखंड (ए) (iii) के तहत विश्वविद्यालय के रोल से हटा दिया गया था और उसका / उसकी थीसिस प्रस्तुत करने के लिए पात्र हो जाते हैं, बशर्ते वह / वह इस तरह के पुनःपंजीयन की तिथि से एक वर्ष के भीतर उसकी / उसके थीसिस प्रस्तुत करें।

13. उपरोक्त 11 खंड में निर्धारित दो वर्ष की न्यूनतम अवधि के पूरा करने से पहले, कोई पीएचडी छात्र, स्कूल बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना:

(ए) किसी भी रोजगार के लिये वचन देना;

बशर्ते कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / अनुसंधान में शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में लगे लोगों अहमदाबाद / गांधीनगर में स्थित संस्थानों के इस उपखंड की सीमा से छूट दी जा सकती है;

इसके अतिरिक्त है कि इस श्रेणी में किसी भी स्कूल / विभाग / केन्द्र में पीएचडी कार्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्रों की संख्या के 12½% से अधिक नहीं होना चाहिए।

(बी) अध्ययन के किसी भी अन्य कार्यक्रम में शामिल हों; या

(सी) किसी अन्य संबंधित विभाग / केंद्र द्वारा निर्धारित के अलावा अन्य परीक्षा में दिखाई देते हैं।

14. कोई उम्मीदवार कार्यक्रम / पाठ्यक्रम के लिए रजिस्टर करने के पात्र होंगे अगर वह / वो पहले से ही इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय / संस्थान में अध्ययन के किसी भी पूरे समय में कार्यक्रम के लिए पंजीकृत किया गया है।

15. स्कूल बोर्ड खंड 13 और 14 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक छात्र के पंजीकरण रद्द कर सकते हैं।

16. एक उम्मीदवार निर्धारित तरीके में पीएचडी की डिग्री के लिए उसका / उसकी थीसिस प्रस्तुत करेगा।किसी भी मूल कागज (ओं)विशेषज्ञता के क्षेत्र से संबंधित पीएचडी की डिग्री और / या शोध प्रबंध दर्शन की डिग्री के मास्टर के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अग्रणी काम के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रकाशित, पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए अपनी उम्मीदवारी के पक्ष में सहायक या समर्थन सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

17. विश्वविद्यालय के शिक्षण स्टाफ के एक सदस्य को निम्न तरीके से विश्वविद्यालय की पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए उसकी / उसके थीसिस प्रस्तुत कर सकते हैं:

(i) वह / वह विभाग / केंद्र को उसकी / उसके अनुसंधान कार्य के पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए अग्रणी के विषय सूचित करेगा;

(ii) विभाग / केंद्र चिंतित है कि संतुष्ट है: (ए) प्रस्तावित विषय पर शोध लाभ चलाया जा सकता है, (बी) अनुसंधान कार्य को उपयुक्त विश्वविद्यालय में किया जा सकता है, और(सी) शिक्षक, प्रस्तावित अनुसंधान के लिए क्षमता को प्राप्त करता है, यह करेगा, (1) स्कूल बोर्ड को सिफारिश करते हैं कि वह / वह प्रस्तावित अनुसंधान कार्य शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है और(सी) शिक्षक, प्रस्तावित अनुसंधान कार्य शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है, यह करेगा, (1) स्कूल बोर्ड को सिफारिश करते हैं कि वह / वह प्रस्तावित अनुसंधान कार्य शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है और विश्वविद्यालय के पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए उसकी / उसके शोध प्रस्तुत कर सकता है (2) उसके/ उसके पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम को लिख, यदि पीएचडी डिग्री के पुरस्कार के लिए एक आंशिक आवश्यकता के रूप में आवश्यक है, और (3) एक सलाहकार की नियुक्ति आम तौर पर उसका / उसकी थीसिस के पूरा होने में उसे / उसे मार्गदर्शन करने के लिए।

(iii) स्कूल बोर्ड, सीएएसआर की सिफारिश पर और यदि ऐसा है तो संतुष्ट है, उसकी / उसके अनुसंधान कार्य के पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए अग्रणी शुरू करने के लिए अनुमति प्राप्त करने की तिथि से दो वर्ष से कम नहीं में उसकी / उसके थीसिस प्रस्तुत करने के लिए उसे अनुमति देगा।

(iv) वाइवा-वोसे बोर्ड,एक शिक्षक के रूप में इस खंड के अधीन उसकी / उसके सलाहकार शामिल हैं पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए उसकी / उसके थीसिस जमा करने के मामले में नीचे वह खंड 21 में प्रदान की जाती है ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, अनुसंधान सहायक शिक्षण स्टाफ के एक सदस्य होने के लिए समझा जाएगा।

18. पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की थीसिस, उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए समिति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त पैनल से दो परीक्षकों द्वारा जांच की जाएगी, स्कूल बोर्ड और जो विश्वविद्यालय और / या विभाग / केंद्र के अध्ययन के बोर्ड और / या स्कूल बोर्ड के कर्मचारियों जो उन लोगों के बीच से नहीं हों पर शैक्षणिक परिषद के हों।

19. प्रत्येक परीक्षक, थीसिस की जांच के बाद स्कूल के डीन एक स्पष्ट सिफारिश युक्त एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, उसका / उसकी राय में; (ए) उम्मीदवार का वाइवा-वोसे परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए; या (बी) थीसिस संशोधन के लिए उम्मीदवार को वापस भेजा जाना चाहिए; या (सी) इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

परीक्षक की सिफारिश नहीं करेगा कि वाइवा-वोसे परीक्षा आयोजित की जाएगी, जब तक कि वह / वह संतुष्ट नहीं हो जाता है, थीसिस विशेषता या तो ज्ञात तथ्यों या नई तकनीकों के विकास के लिए पुनर्व्याख्या द्वारा ज्ञान में एक योगदान का गठन किया है और कि उम्मीदवार द्वारा अपनाई कार्यप्रणाली उच्च स्तर की है और इसके साहित्यिक प्रस्तुति संतोषजनक है।

20. (ए) यदि स्कूल के डीन संतुष्ट हो जाता है तो परीक्षकों ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि है कि उम्मीदवार के लिए चिरायु-दबी परीक्षा आयोजित की जाएगी, वह / वह तदनुसार इसे धारण करने की व्यवस्था करेगा।

(बी) यदि स्कूल के डीन लिखते हैं कि शोध का परीक्षकों ने सर्वसम्मति से सिफारिश नहीं की है, उस उम्मीदवार के लिए वाइवा-वोसे परीक्षा आयोजित की जाएगी, या अगर / वह संतुष्ट है कि या तो एक मूल स्वभाव के प्रतिकूल राय की रिपोर्ट के पाठ्यक्रम में हक़ीक़त में एक ही परीक्षक की वैधता को प्रभावित करने को व्यक्त किया गया है, अन्यथा सकारात्मक सिफारिश है, तब डीन उन्नत अध्ययन के लिए समिति के समक्ष परीक्षकों के लिए रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई के लिए अनुसंधान करेगा।

(सी) उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए समिति, अपने विवेक से, और करेगा, अगर एक परीक्षक के लिए सिफारिश सकारात्मक है और अन्य के लिए कि नकारात्मक, एक तीसरे परीक्षक की नियुक्ति के लिए शैक्षणिक परिषद को सिफारेश देते हैं, थीसिस की जांच के लिए एक विश्वविद्यालय और / या विभाग / केंद्र के अध्ययन के बोर्ड और / या स्कूल बोर्ड के सेवा में नहीं हो और तीसरे परीक्षक के लिए सिफारिश के अनुसार कार्य कर सकते हैं;

बशर्ते कि एक सिफारिश नकारात्मक विचार करने के लिए नहीं है यदि एक संशोधन की सिफारिश की है और इस संशोधित थीसिस परीक्षक द्वारा स्वीकार किया जाता है;

परंतु, इसके अलावा, यह है कि यदि संशोधन के बाद थीसिस परीक्षक द्वारा स्वीकार नहीं है, मूल और थीसिस के संशोधित संस्करण तीसरे परीक्षक के रूप में (सी) उपरोक्त भेजा जाएगा और संस्करण तीसरे परीक्षक द्वारा अंतिम अनुमोदित विचार किया जाएगा।

ध्यान दें :

(1) कोई थीसिस एक डिग्री प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वहाँ दो सकारात्मक सिफारिशें हैं;

(2) जहां एक सिफारिश सकारात्मक है और संशोधन के लिए अन्य पूछता है, सीएएसआर आमतौर पर संशोधन प्राप्त करेगा और संशोधित थीसिस एक ही परीक्षक के लिए भेजा जाएगा।

21. उम्मीदवार के वाइवा-वोसे परीक्षा थीसिस और पर्यवेक्षक / सलाहकार की बाह्य परीक्षकों में से एक से मिलकर एक वाइवा-वोसे बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा। परंतु, जहां परीक्षकों, जो थीसिस का मूल्यांकन से न तो, एक की स्थिति में है वाइवा-वोसे परीक्षा का संचालन करने के लिए, एक और परीक्षक उसकी / उसके स्थान पर नियुक्त किया जाएगा।

बशर्ते कि जहां पर्यवेक्षक / सलाहकार एक उचित समय के भीतर मौजूद वाइवा-वोसे परीक्षा में भाग लेने के लिए असमर्थ है, सीएएसआर उसकी / उसके स्थान में संकाय के एक अन्य सदस्य की सिफारिश कर सकता है।

22. (ए) वाइवा-वोसे परीक्षा में वाइवा-वोसे बोर्ड खुद को संतुष्ट करेगा;

(i) अपने / अपनी काम का थीसिस उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत है, और

(ii) उसकी / उसके अध्ययन के क्षेत्र के उम्मीदवार की समझ संतोषजनक है।

(बी) वाइवा-वोसे बोर्ड, अपने सदस्यों की सर्वसम्मत राय के आधार पर, और वाइवा-वोसे में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर, सिफारिश:

(i) उम्मीदवार को पीएच.डी. डिग्री से सम्मानित किया जाएगा; या

(ii) थीसिस संशोधन के लिए उम्मीदवार को वापस भेजा जा रहा है; या

(iii) थीसिस खारिज कर दिया और उम्मीदवार पीएच.डी. की डिग्री से सम्मानित नहीं होंंगे।

23. जिस तरीके से वाइवा-वोसे परीक्षाओं का आयोजन होगा वह निर्धारित किया जाएगा।

24. (ए) यदि स्कूल बोर्ड में संतुष्ट है कि वाइवा-वोसे बोर्ड की सिफारिश करता है कि उम्मीदवार पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया जाएगा, यह शैक्षणिक परिषद को सिफारिश करेगा कि उम्मीदवार पीएचडी डिग्री के लिए सम्मानित किया जा सकता है।

(बी) यदि वाइवा-वोसे बोर्ड की सिफारिश करता है कि उम्मीदवार के थीसिस खारिज कर दिया गया है, स्कूल बोर्ड इसके हिसाब से खबर करेगा।

(सी) यदि वाइवा-वोसे बोर्ड के एक सदस्य के सिफारिश सकारात्मक और अन्य के नकारात्मक है, स्कूल बोर्ड अपने विचार और सिफारिश के लिए सीएएसआर को यह मामला भेजेगा, और इस तरह की सिफारिश पर विचार करने के बाद ही एक निर्णय लेते हैं।

25. एक उम्मीदवार जिसका थीसिस संशोधन के लिए वाइवा-वोसे बोर्ड द्वारा वापस भेजा गया है उसे / उसे विश्वविद्यालय के निर्णय की सूचना एक वर्ष से अधिक की नहीं हो, यह डिग्री के पुरस्कार के लिए फिर से प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते कि, असाधारण मामलों में, शैक्षणिक परिषद, स्कूल बोर्ड की सिफारिशों पर, अवधि एक सेमेस्टर से विस्तार कर सकते हैं।

26. एक शोध जो फिर से प्रस्तुत किया गया है सामान्य रूप से मूल परीक्षक (कों) द्वारा जांच की जाएगी, जब तक उनमें से किसी एक, या उन दोनों के, असमर्थ या अनिच्छुक इस तरह के रूप में कार्य करने के, जो मामले में एक और परीक्षक (कों) हो सकता है नियुक्त किया है। 27. कोई उम्मीदवार एक बार से अधिक पीएचडी की डिग्री के पुरस्कार के लिए उसकी / उसके थीसिस फिर से प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दी जाएगी।

अध्यादेश में क्या निहित है इसके बावजूद, शैक्षणिक परिषद, असाधारण परिस्थितियों में और स्कूल बोर्ड के लिए साथ 28. ही प्रत्येक व्यक्ति के मामले की योग्यता के आधार पर सिफारिशों पर विचार कर सकते हैं, अपने विवेक से और कारणों से लिखित रूप में दर्ज होने के लिए, उन निर्धारित सीजीपीए आवश्यकताओं को छोड़कर प्रावधानों के किसी भी प्रकार की छूट देते।

गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अध्यादेश 14 - एम.ए., एम.एससी., बी.ए(ऑनर्स) की डिग्री प्रदान करने से संबंधित - संशोधित

1. परिभाषाऐं –

1.1 "पाठ्यक्रम" अर्थात् एक सेमेस्टर पाठ्यक्रम।

1.2 "क्रेडिट" (सी) अर्थात् भारांक, जो संबंधित घंटों के संदर्भ में पाठ्यक्रम को दिया गया है।

1.3 "ग्रेड" अर्थात् पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के आधार पर किसी विद्यार्थी को दस सूत्री पैमाने पर दिया गया ग्रेड।

1.4 "ग्रेड अंक" (जी) अर्थात् दस सूत्री पैमाने में विद्यार्थी को दिये गये ग्रेड के बराबर की संख्या।

1.5 "सेमेस्टर ग्रेड अंक औसत" (एसजीपीए) अर्थात् विद्यार्थी का औसत ग्रेड अंक, जिसकी गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है –

	(ग1xस1) + (ग 2 x स2) +
एसजीपीए =	सेमेस्टर के दौरान विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत कुल क्रेडिट

1.6 "संचयी ग्रेड बिंदू औसत" (सीजीपीए) अर्थात् विद्यार्थी का संचयी ग्रेड बिंदू औसत, जिसकी गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है –

(ग1xस1) + (ग 2 x स2) +	
	विद्यार्थी द्वारा सेमेस्टर सहित प्रस्तुत कुल क्रेडिट, जिसके विप्र संचरी सचकांक आवश्यक नै
	लिए संचयी सूचकांक आवश्यक है

1.7 "अंतिम ग्रेड औसत अंक" (एफजीपीए) अर्थात् डिग्री प्रदान करते समय विद्यार्थी का अंतिम सूचकांक, जिसकी गणना निम्नलिखित तरीके से की जाती है – C

एफजीपीए)
$$FGPA = rac{\sum_{i}^{n} C_{i}G_{i}}{\sum_{i}^{n} C_{i}}$$

सी(आई) = पाठ्यक्रम का क्रेडिट

जी(आई) = विद्यार्थी द्वारा पाठ्क्रम में हासिल ग्रेड अंक

एन = विद्यार्थी के लिए निर्धारित किये गये कुल पाठ्यक्रमों की संख्या

1.8 अंतिम ग्रेड एक ग्रेड है, जो कि उपाधि प्रदान करते समय विद्यार्थी को उसके अंतिम ग्रेड औसत अंक के आधार पर प्रदान किया जाता है।

2. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता –

2.1 एक अभ्यर्थी 10 सेमेस्टर वाले एकीकृत कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य हो सकता है, यदि वह मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रमाण-पत्र परीक्षा (10+2) अथवा इसके समकक्ष विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण हो।

36

2.2 अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री के 10 सेमेस्टर वाले एकीकृत कार्यक्रम के सांतवे सेमेस्टर अथवा 4 सेमेस्टर के मास्टर डिग्री के नियमित कार्यक्रम में प्रवेश दिया जा सकता है, बशर्ते वे विश्वविद्यालय से 10+2+3 पद्धति के तहत स्नातक डिग्री प्राप्त कर चुके हो और प्रवेश के समय संबंधित विषय में विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम प्रवीणता प्राप्त कर चुके हों।

2.3 कोई भी अभ्यर्थी 10 सेमेस्टर वाले एकीकृत कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जा सकता, जब तक कि वह दिनांक 22 जुलाई अर्थात् नये अकादमिक सत्र के प्रारम्भ होने के दिन, 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर चुका हो।

3. मास्टर डिग्री के विषय -

अभ्यर्थी किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने वाले अध्ययन के कार्यक्रम में प्रवेश ले सकता है, जो कि अकादमिक परिषद द्वारा, स्कूल बोर्ड की अनुशंसा पर, निर्धारित की गयी हो।

4. प्रवेश प्रक्रिया -

मास्टर डिग्री कार्यक्रम के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की प्रक्रिया संविधि 14(डी) के तहत इस संबंध में बने गये अधिनियमों में वर्णित है।

5. पाठ्यक्रमों का पंजीकरण -

5.1 पाठ्यक्रम में पंजीकरण विद्यार्थी की एकल उत्तरदायित्व होता है। किसी भी विद्यार्थी को बिना पंजीकरण के किसी पाठ्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती अथवा वह पाठ्यक्रम में किसी भी क्रेडिट का हकदार नहीं हो सकेगा, जब तक कि वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं हो जाता।

**5.2 एक सेमेस्टर के प्रारम्भ होने के अधिकतम दो सप्ताह तक अथवा अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अवधि में पंजीकरण की अनुमति मिल सकती है।

5.3 किसी भी विद्यार्थी को सेमेस्टर प्रारम्भ होने की तिथि से तीन सप्ताह के बाद किसी कोर्स को सम्मिलित करने अथवा एक कोर्स को दूसरे कोर्स से प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थी, जो कोर्स छोड़ना चाहता है, उसे शीघ्राताशीघ्र लेकिन किसी भी स्थिति में सेमेस्टर प्रारम्भ होने की तिथि से छः सप्ताह के भीतर कोर्स छोड़ना होगा। किसी भी विद्यार्थी को छः सप्ताह के बाद कोर्स छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते विद्यार्थी कार्यक्रम में निर्धारित कोर्स के अतिरिक्त और अधिक कोर्स ले सकता है, इस स्थिति में अंतिम औसत ग्रेड अंक की गणना करने में केवल वैकल्पिक कोर्स की निर्धारित संख्या, विद्यार्थी द्वारा हासिल ग्रेड के घटते क्रम में शामिल की जा सकती है। उदाहरणतया, किसी एक प्रोग्राम में 12 अनिवार्य कोर्स और 4 वैकल्पिक कोर्स हैं और एक विद्यार्थी 6 वैकल्पिक क्रेडिट प्राप्त करता है, उसके अंतिम ग्रेड अंक की गणना 12 अनिवार्य कोर्स और प्रथम 4 वैकल्पिक कोर्स के आधार पर की जाएगी, जब उसके द्वारा प्राप्त ग्रेड के घटते क्रम के अनुसार सभी छः कोर्स क्रमबद्ध है। हालांकि, किसी भी विद्यार्थी को एक अतिरिक्त वैकल्पिक कोर्स लेने के लिए केवल एक सेमेस्टर में पंजीकृत होने की अनुमति नहीं होगी।

6. संकाय सलाहकार -

केन्द्र/विद्यापीठ संबंधित संकाय सदस्यों में से विद्यार्थियों के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति कर सकता है।

7. कोर्स की अवधि -

7.1 मास्टर डिग्री (एकीकृत कार्यक्रम) की डिग्री प्रदान करने का पाठ्यक्रम न्यूनतम 10 सेमेस्टर का होगा, पाँच मानसून सेमेस्टर और पाँच विंटर(शीत) सेमेस्टर। बशर्ते खण्ड 2.2 के तहत विद्यार्थी के प्रवेश लेने की दशा में मास्टर डिग्री के लिए पाठ्यक्रम न्यूनतम 4 सेमेस्टर - 2 मानसून सेमेस्टर और 2 विंटर(शीत) सेमेस्टर में होगा।

बशर्ते यह भी कि यदि कोई विद्यार्थी बीमारी और/अथवा अस्पताल में भर्ती होने अथवा विदेश छात्रावृत्ति/फैलोशिप स्वीकार करने के कारण उस अवधि में अकादमिक कार्यक्रम को जारी नहीं रख पाता है तो इस स्थिति में, अधिनियम में निहित आवश्यकताओं की पालना के अधीन, उस विद्यार्थी का एक सेमेस्टर अथवा एक वर्ष को शून्य सेमेस्टर अथवा शून्य वर्ष घोषित किया जा सकता है। ऐसे शून्य सेमेस्टर/वर्ष उस विद्यार्थी के संबंध में कार्यक्रम की अवधि की गणना के लिए सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।
बशर्ते यह भी कि विदेशी छात्र के मामले में, जिन्हें छात्र वीजा/अनुसंधान वीजा प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम को बीच में छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो ऐसी अवधि को कार्यक्रम की अवधि की गणना के प्रयोजन हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**7.2 एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय के पाँच वर्षीय मास्टर डिग्री (एकीकृत कार्यक्रम) के लिए अधिकतम 14 सेमेस्टर तक कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में भाग ले सकता है। बशर्ते कि एक छात्र, जो कि खंड 2.2 के तहत विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है, विश्वविद्यालय के किसी भी स्नातकोत्तर उपाधि के पाठयक्रम कार्यक्रम में अधिकतम 6 सेमेस्टर तक भाग ले सकता हैं।

7.3 अकादमिक परिषद द्वारा निर्धारित की गयी तिथि पर मानसून और विंटर(शीत) सेमेस्टर प्रारम्भ और समाप्त होंगे।

बशर्ते कि प्रत्येक सेमेस्टर में, परीक्षाओं के दिवस को छोड़कर, सामान्यतः 90 कार्य दिवस हो।

7.4 एक विद्यार्थी, जो एक न्यूनतम 10 सेमेस्टर कार्यक्रम के छः सेमेस्टर के लिए अपेक्षित कार्यक्रम का पाठ्यक्रम ले चुका है, वह बी.ए.(ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त करने के लिए योग्य होगा, बशर्ते कि वह खण्ड 8.4, 10.2 और 10.3 में निर्धारित क्रेडिट और ग्रेड अंक की आवश्यकता को पूर्ण करता है।

8. क्रेडिट आवश्यकताऐं

8.1 एक विद्यार्थी के मामले में बी.ए.(ऑनर्स) डिग्री के लिए न्यूनतम 100 वास्तविक क्रेडिट की आवश्यकता होगी - 80 क्रेडिट मूल पाठ्यक्रमों से और 20 क्रेडिट अवास्तविक पाठ्यक्रमों से। एक विद्यार्थी के मामले में मास्टर डिग्री के लिए 72 वास्तविक क्रेडिट की आवश्यकता होगी - 32 क्रेडिट 08 मूल पाठ्यक्रों से, 32 क्रेडिट 08 वैकल्पिक पाठयक्रमों से और 08 क्रेडिट क्षेत्रीय/अनुसंधान प्रोजेक्ट से। एक विद्यार्थी अन्य केन्द्रों/विद्यापीठों में संचालित पाठक्रमों के लिए अधिकतम 16 क्रेडिट (प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का 01 पाठ्यक्रम) का विकल्प ले सकता है।

8.2 संबंधित केन्द्र/विद्यापीठ की अनुमति से विद्यार्थी ने क्रेडिट/पाठ्यक्रम का अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त भार ले जाने की अनुमति प्राप्त हो सकती है, जो एक विद्यार्थी सामान्यतः सेमेस्टर में कवर करने की अपेक्षा रखता है।

8.3 एक विद्यार्थी को किसी कोर्स का विकल्प लेने की अनुमति नहीं होगी, यदि वह पिछला पाठ्यक्रम उत्तीर्ण नहीं कर लेता, जो कि एक पूर्व निर्धारित शर्त है।

8.4 एक विद्यार्थी, जो बी.ए.(ऑनर्स) की डिग्री के लिये प्रार्थना करता है, उसे खण्ड 7.4 के तहत न्यूनतम 100 क्रेडिट प्राप्त करने आवश्यक होंगे।

9. मूल्यांकन

9.1 प्रत्येक पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की प्रणाली संबंधित केन्द्र के अध्ययन बोर्ड की अनुशंसा पर स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित होगी। 9.2 जिन पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर परीक्षाऐं है, उनमें सत्रीय कार्य सेमेस्टर परीक्षाओं की तरह समान भार रखेंगे। क्षेत्रीय/अन्संधान प्रोजेक्ट का मुल्यांकन, प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट जमा होने के आधार पर किया जाएगा।

9.3 एक सेमेस्टर के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए सत्रीय कार्य का स्वरूप और अनुसूची, संबंधित केन्द्र की अनुशंसा पर स्कूल बोर्ड द्वारा निर्धारित किये जायेंगे और प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारम्भ होने पर विद्यार्थियों को सूचित किया जाएगा।

	1	
ग्रेड	ग्रेड अंक	प्रतिशतता सीमा
ओ (उत्कृष्ट)	10	<u>≥</u> 80.00
ए+ (उत्तम)	9	70.00-79.99
ए (बहुत अच्छा)	8	60.00-69.99
बी+ (अच्छा)	7	55.00-59.99
बी (औसत से ऊपर)	6	50.00-54.99
सी (औसत)	5	45.00-49.99
पी (उत्तीर्ण)	4	40.00-44.99

9.4 विद्यार्थियों को प्रत्येक पाठ्यक्रम में 10 सूत्री पैमाने पर निम्नलिखित ग्रेड प्रदान की जाएगी –

डी (पदोन्नत)	3	30.00-39.99
एफ (अनुत्तीर्ण)	0	<30.00
एबी (अनुपस्थित)	1	

टिप्पणीः

- 1. एसजीपीए/सीजीपीए/एफजीपीए का पूर्णांकन नहीं होगा।
- 2. किसी विद्यार्थी द्वारा प्राप्त एसजीपी/सीजीपीए/एफजीपीए अधिकतम 10 अंकों से होगा।
- 9.5 "कोर्स को उत्तीर्ण करना" का अर्थ निम्नलिखित होगा:
- (अ) 10 सेमेस्टर एकीकृत स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के 6 सेमेस्टर के लिए -

विद्यार्थी एक पाठ्यक्रम तभी उत्तीर्ण कर सकता है, जब वह गेड 'डी' के बराबर अथवा उससे अधिक ग्रेड हासिल करते हुए दोनों घटकों नामतः सत्रीय कार्य और अंत सेमेस्टर परीक्षायें उत्तीर्ण कर चुका हो। विद्यार्थी एक पाठ्यक्रम में सेशनल उत्तीर्ण न होने पर अंत सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित होने अथवा अंत सेमेस्टर परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा अंत सेमेस्टर परीक्षा में अनुपस्थित रहने (पाठ्यक्रम, जिनमें अंत सेमेस्टर परीक्षा होती हो) अथवा ग्रेड 'डी' (जिन पाठ्यक्रमों में अंत सेमेस्टर परीक्षा नें अनुपस्थित रहने (पाठ्यक्रम, जिनमें अंत सेमेस्टर परीक्षा होती हो) अथवा ग्रेड 'डी' (जिन पाठ्यक्रमों में अंत सेमेस्टर परीक्षा नही होती हो) के बराबर या उससे अधिक समग्र ग्रेड हासिल न कर पाने आदि के कारण अनुत्तीर्ण होता है, तो उसकी एवज में, उसके सत्रीय कार्य में प्रदर्शन की परवाह किये बगैर, उसे उस पाठ्यक्रम की पुनरावत्ति अथवा समान क्रेडिट का अन्य कोर्स (वास्तविक, वैकल्पिक आदि, जो भी हो) उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

(ब) स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम के लिए -

कोई विद्यार्थी एक पाठ्यक्रम तभी उत्तीर्ण कर सकता है, यदि वह सत्रीय कार्य में सम्मिलित होता है और उस पाठ्यक्रम में ग्रेड 'डी' के बराबर या उससे अधिक समग्र ग्रेड हासिल करता है अथवा वह सत्रीय कार्य में भाग लेता है और अंत सेमेस्टर परीक्षा में बैठता है और उस पाठ्यक्रम में ग्रेड 'डी' के बराबर या उससे अधिक भारित ग्रेड प्राप्त करता है। विद्यार्थी एक पाठ्यक्रम में, सत्रीय कार्य में भाग नहीं लेने पर समग्र ग्रेड 'एफ' (जिन पाठ्यक्रम में अंत सेमेस्टर परीक्षा न हो अथवा क्षेत्रीय/अनुसंधान प्रोजेक्ट के लिए) हासिल करने पर अंत सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित होने, अथवा ग्रेड 'डी' (जिन पाठ्यक्रम में अंत सेमेस्टर परीक्षा हो) के बराबर या उससे अधिक भारित ग्रेड हासिल करने में असफल होने, आदि के कारण अनुत्तीर्ण होता है, तो उसकी एवज में उसे उस पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति अथवा अन्य समरूप पाठ्यक्रम (वास्तविक, वैकल्पिक आदि, जो भी हो) उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

**9.6 एक विद्यार्थी, जो एक पाठ्यक्रम में ग्रेड 'डी' के बराबर या उससे अधिक ग्रेड हासिल करता है, उसे केन्द्र द्वारा, अध्यादेश के खण्ड 10.3 के नियमों के अधीन, उसकी अकादमिक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, ग्रेड को सुधारने के लिए एक बार पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करने की अनुमति दी जा सकती है।

बशर्ते विद्यार्थी, जो अपने प्रदर्शन को सुधारने हेतु एक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करना चाहता है, उसे इसकी अनुमति तभी दी जाएगी, यदि वह मानसून सेमेस्टर की स्थिति में 16 अगस्त तक और विंटर(शीत) सेमेस्टर की स्थिति में 01 फरवरी तक पाठ्यक्रम में पिछली ग्रेड का समर्पण कर दे। नियम तिथि तक उसकी पुरानी ग्रेड के समर्पण होने पर, उस पाठ्यक्रम में उसका दोहरा प्रदर्शन होगा, जो कि एसजीपीए और सीजीपीए की गणना करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा। हालांकि, उसकी लिपि दोनों प्रदर्शनों को उचित ढंग से प्रतिबिम्बित करेगी और ये तथ्य कि उसने पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति करेगी।

9.7 अंत सेमेस्टर परीक्षाओं के संचालन और परिणाम तैयार करने के लिए विद्यापीठ/केन्द्र की अनुशंसा पर स्कूल बोर्ड के द्वारा प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए, परीक्षक अथवा परीक्षाओं के बोर्ड नियुक्त किये जायेंगे।

10 ग्रेड अंक की अवश्यकताऐं/न्यूनतम मानक –

10.1 एक विद्यार्थी, जो 10 सेमेस्टर कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर अथवा 04 सेमेस्टर मास्टर कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश करता है, उसे द्वितीय सेमेस्टर के अंत में और उसके बाद भी 3.00 सीजीपीए बनाये रखने आवश्यक होंगे।

दस सेमेस्टर कार्यक्रम के सांतवे सेमेस्टर में शामिल होने वाले विद्यार्थी को भी आंठवे सेमेस्टर के अंत में और उसके बाद भी न्यूनतम 3.00 सीजीपीए बनाये रखने आवश्यक होंगे। बशर्ते कि यदि विद्यार्थी छठे सेमेस्टर के अंत में, सेमेस्टर में शामिल होने की तिथि से 3.00 के बराबर या ज्यादा लेकिन 4.00 से कम सीजीपीए हासिल करता है, तो वह बी.ए.(ऑनर्स) डिग्री प्राप्त करने हेतु अपनी ग्रेड को कम से कम 4.00 तक सुधारने के लिए और खण्ड 9.5(ए) व 9.6 के प्रावधानों के अनुसार मास्टर कार्यक्रम को जारी रखने के लिए दो अतिरिक्त सेमेस्टर कार्यक्रम प्रयोग में ले सकता है।

10.2 10 सेमेस्टर कार्यक्रम के छठे सेमेस्टर के अंत में विद्यार्थी को बी.ए.(ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त करने और मास्टर डिग्री जारी रखने के लिए उसके पास 4.00 सीजीपीए होने आवश्यक होंगे और वह स्कूल बोर्ड/केन्द्र द्वारा निर्धारित 01 से 06 सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रम भी उत्तीर्ण कर चुका हो।

10.3 विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की मास्टर डिग्री प्राप्त करने के योग्य होने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताऐं पूरी करना आवश्यक हैः-

(1) उसने निर्धारित किये हुए पाठ्यक्रम लेकर उत्तीर्ण कर चुका हो।

(2) वह अंत सेमेस्टर कार्यक्रम में 4.00 सीजीपीए प्राप्त कर चुका हो।

बशर्ते मास्टर डिग्री के विद्यार्थी, जो डिग्री प्राप्त करने के योग्य है, लेकिन चार सेमेस्टर की अवज्ञेय अवधि के अंत में 4.00 से कम सीजीपीए हासिल किये हो, अध्यादेश के खण्ड 9.5(बी) और 9.6 में निहित प्रावधानों के अनुसार संबंधित केन्द्र/विद्यापीठ द्वारा उन्हें सीजीपीए सुधारने के लिए, पांचवे और छठे सेमेस्टर में मास्टर स्तर के पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करने की अनुमति दी जा सकती है।

10.4 (a) एक विद्यापीठ और अध्ययन के केन्द्रों द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों के संबंध में शिक्षा का माध्यम, भाषा में अध्ययन/अनुसंधान को छोड़कर, अंग्रेजी होगा।

(b) सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में निर्धारित होंगे और उत्तरित किये जायेंगे, जहां पाठ्यक्रम की आवश्यकता हो, उसके आधार पर प्रश्न पत्र संपूर्ण अथवा अंशतः संबंधित भाषा में तैयार और उत्तरित किये जायेंगे।

(c) अंत सेमेस्टर परीक्षाओं का कार्यक्रम विश्वविद्यालय के अकादमिक कलैण्डर के अनुसार परीक्षाओं के शुरू होने के कम से कम 15 दिवस पूर्व किया जाएगा।

(d) अंत सेमेस्टर परीक्षाऐं अधिष्ठाता/सभापति के सामान्य पर्यवेक्षण के अंतर्गत संचालित की जायेंगी, जो कि अपने विद्यापीठ/केन्द्र के कोर्स के सभी परीक्षाओं के लिए विद्यापीठ/केन्द्र अधीक्षक के रूप में कार्य करेगा। वह सभी संकाय सदस्यों के मध्य अन्वेक्षण कर्तव्यों की व्यवस्था करेगा और वह परीक्षा के निष्पक्ष और व्यवस्थित संचालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(e) पेपर सैटर अंत सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में पेपर बनाएगा करेगा और अंत सेमेस्टर परीक्षा के प्रारम्भ होने के कम से कम 15 दिवस पूर्व उसे सीलबंद लिफाफे में गोपनीय अंकित करते हुए परीक्षा नियंत्रक को जमा करायगा।

(f) स्कूल बोर्ड द्वारा नियुक्त प्रत्येक परीक्षक को परीक्षाओं की तिथि से एक सप्ताह के भीतर अंत सेमेस्टर परीक्षा की उत्तर लिपि का मूल्यांकन करना आवश्यक होगा और अंक सूची के साथ मूल्यांकित उत्तर लिपि परीक्षा नियंत्रक को लौटाएगा।

(g) संबंधित केन्द्र का अधिष्ठाता/अध्यक्ष केन्द/विद्यापीठ द्वारा संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के सेशनल मूल्यांकन में विद्यार्थियों को दिये गये अंकों/ग्रेड की समेकित सूची परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित करेगा।

(h) अंत सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम, अधिष्ठाता द्वारा नियुक्त केन्द्र अध्यक्ष और अधिकतम तीन संकाय सदस्यों की समिति द्वारा जांच करने के पश्चात् अधिष्ठाता के समक्ष अनुमोदनार्थ रखे जायेंगे।

(i) 10 सेमेस्टर कार्यक्रम के चैथे सेमेस्टर के अंत में, और 04 सेमेस्टर कार्यक्रम के चैथे सेमेस्टर के अंत में, अर्थात् बी.ए.(आॅनर्स) और मास्टर डिग्री प्रदान करने के लिए, विद्यापीठ के अधिष्ठाता और संबंधित केन्द्र के सभापति आदि सदस्यों की समिति द्वारा, अंतिम परिणाम पर विचार किया जाएगा और यह समिति अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले कुलपति द्वारा अनुमोदित होगी।

(j) एक विद्यार्थी सेमेष्टर विशेष में घोषित परिणाम के सात कार्यदिवस के भीतर एक पाठ्यक्रम विशेष के लिए उसकी अंत सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर लिपि के पुनर्मूल्यांकन की मांग कर सकता है। उक्त पुनर्मुल्यांकन, अधिष्ठाता/सभापति की अनुशंसा पर परीक्षा नियंत्रक द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा। यद्यपि, उन मामलों में, जहां द्वितीय परीक्षक द्वारा प्रदान किये गये प्राप्तांक का अंतर, किसी पाठ्यक्रम में प्राप्त स्कोर से 20 प्रतिशत अधिक/कम/बराबर हो, तो परीक्षा नियंत्रक मूल्यांकन के उत्तर लिपि तीसरे परीक्षक को भेजेगा, और इसके बाद, सभी तीनों परीक्षकों द्वारा प्रदान किये गये स्कोर के आधार पर स्कोर की गणना की जाएगी।

बशर्ते, विद्यार्थी जिसने पुनर्मुल्यांकन के लिए आवेदन किया है, ऐसे पुनर्मुल्यांकन में प्राप्त अंक, एसजीपीए की गणना करने के लिए, ध्यान में रखे जाऐगे।

बशर्ते, ऐसे पुनर्मुल्यांकन की मांग एक सेमेस्टर में, कोर्स के सामान्य भार के 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं की जाएगी।

11. अध्ययन के पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण का निर्धारण -

11.1 संबंधित केन्द्र के अध्ययन बोर्ड की अनुशंषा पर स्कूल बोर्ड द्वारा पाठ्य विवरण अनुमोदित किया जाएगा।

11.2 संबंधित विद्यापीठ/केन्द्र द्वारा पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य विवरण अनुमोदित करने के साथ-साथ पाठ्य पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री भी निर्धारित करेगा।

12. कार्यक्रम विद्यार्थी के नाम को हटाना -

12.1 विद्यार्थियों के निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने पर, उसका नाम कार्यक्रम से स्वतः हट जाएगा -

(अ) वे विद्यार्थी, जो खण्ड 10 में निर्दिष्ठ अपेक्षित सीजीपीए की पूर्ति करने में असफल रहे हो,

(ब) वे विद्यार्थी, जो बी.ए.(ऑनर्स) के लिए आठ सेमेस्टर और मास्टर कार्यक्रम के लिए छः सेमेस्टर की अधिकतम अवधि पहले से ही समाप्त कर चुके हों और खण्ड 7.1 के प्रावधानों के अधीन और खण्ड 10.2 व 10.3 के प्रावधानों के अनुसार बी.ए.(ऑनर्स) और मास्टर डिग्री के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाये हो।

12.2 स्कूल बोर्ड केन्द्र की अनुशंसा पर, एक अध्ययन के कार्यक्रम से विद्यार्थी का नाम हटा सकता है, यदि -

(अ) विद्यार्थी को अभी भी वह पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना शेष है, जो कि अध्ययन की शेष अवधि में उत्तीर्ण करना संभव नहीं हो सकता, चाहे उसे शेष अवधि के लिए सामान्य भार के साथ अतिरिक्त 50 प्रतिशत सामान्य भार पंजीकृत करने की अनुमति मिली हो।

13. जो कुछ भी अध्यादेश में निहित है, के होते हुए भी, अकादमिक परिषद, असाधारण परिस्थितियों में और विभाग/केन्द्र एवं विद्यापीठ की अनुशंसा पर, साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्तिगत मामले और प्रावधानों के द्वारा प्रदत्त छूट के आधार पर विचार कर सकती है, जिसका कारण लिखित में दर्ज किया जाएगा।

14. कोई भी अभ्यर्थी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत नहीं होगा, यदि वह विश्वविद्यालय अथवा अन्य विश्वविद्यालय/ संस्थान के पूर्णकालिक अध्ययन कार्यक्रम के लिए पहले से पंजीकृत हो।

प्रोफेसर एस. एल. हीरेमठ, कुल सचिव

[विज्ञापन |||/4/असा /10/17]

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No. 25 of 2009)

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 13th April, 2017

No. 2-4/2009-Admn./135.—The following is published for general information:—

1. ORDINANCE RELATING TO CONDITIONS OF SERVICE OF APPOINTED TEACHERS OF THE UNIVERSITY

1) Teachers to be whole-time employees

No teacher of the University, without the permission of the Executive Council shall engage directly or indirectly in any Trade or Business or any private tuition or any other work to which an emolument or honorarium is attached:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to the work undertaken in connection with the examination of universities or learned Bodies or Public Service Commissions or to any literary work,

Explanation: For the purpose of this Ordinance, 'teacher' means a wholetime salaried teacher of the University and does not include honorary, visiting or part-time teacher.

2) Nature of Duties

Every teacher shall take part in the teaching and research programmes activities of the University and perform such duties as may be assigned to him/her from time to time in accordance with the Act, the Statutes and Ordinances framed thereunder, for the time being in force, and generally act under the direction of the authorities of the University.

3) Probation

(i) Teachers shall be appointed on probation ordinarily for a period of twelve months, but in no case the total period of probation shall exceed twenty-four months:

Provided that the Executive Council shall have the right to assess the suitability of a teacher for confirmation even before the expiry of the period of twelve months from the date of his/her appointment but not earlier than ten months from the date:

Provided further that the Executive Council may for reasons to be recorded in writing waive the condition of probation:

Provided further that the condition of probation shall not apply in the case of teachers appointed by the Executive Council under the provisions of Statue 19(1).

- (ii) It shall be the duty of the Registrar to place before the Executive Council the case of confirmation of a teacher on probation not later than forty days before the end of the period of probation.
- (iii) The Executive Council may then either confirm the teacher from the date of his/her joining duty, or decide not to confirm him/her, or extend the probation for a further period not exceeding twelve months. In case the Executive Council decides not to confirm the teacher, whether before the end of the twelve months period of his/her probation, or before the end of the extended period of probation, as the case may be, he/she shall be informed in writing to that effect, not later than thirty days before the expiration of that period:

Provided that the decision not to confirm a teacher shall require a two-third majority of the members of the Executive Council present and voting.

(iv) A teacher appointed by the Executive Council under Statute 19(1), shall be deemed to be confirmed with effect from the date he/she joining duty.

4) Increment

Every teacher shall draw increment in his/her Pay Band plus the AGP (Academic Grade Pay) as provided below unless it is withheld or postponed by a resolution of the Executive Council on a reference by the Vice-Chancellor and after the teacher has been given sufficient opportunity to make his/her written representation:

- 1) Each annual increment shall be equivalent to 3% of the sum total of pay in the relevant Pay Band and the AGP as applicable for the stage in the Pay Band.
- 2) Each advance increment shall also be at the rate of 3% of the sum total of pay in the relevant Pay Band and the AGP as applicable and shall be non-compoundable.
- 3) The number of additional increment(s) on placement at each higher stage of AGP shall be as per the existing scheme of increment on promotion from lower Pay Scale to higher Pay Scale; however, in view of the considerable raise in effective pay between the two Pay Bands, there shall be no additional increment on movement from the Pay Band of Rs. 15600-39100 to the Pay Band of Rs. 37400-67000.

5) Age of Superannuation

5.1 Every teacher in the service of the University shall superannuate from service on the afternoon on the last date of the month in which he/she attains the age as prescribed by the University Grants Commission/Government of India from time to time.

5.2 Subject to availability of vacant positions and fitness, if the Executive Council is satisfied that such an appointment is in the interest of the University, it may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, reemploy a teacher on contract on his/her superannuation against the post held by him/her for a limited period of three years in the first instance and then for another further period of two years purely on the basis of merit, experience, area of specialization, peer group review and if he/she is in sound health, and is able to perform his/her duties satisfactorily, and on such other terms and conditions as the Executive Council may specify.

5.3 Where the date of superannuation or the expiry of the term of reemployment of a teacher falls due during the course of a semester, the Executive Council may, on the recommendation of the Vice-Chancellor, allow the teacher to continue in service on re-employment basis till the end of the semester: Provided, however, that such re-employment shall not be granted to a teacher beyond the date on which he/she completes a total of 5 years of re-employment.

5.4 A re-employed teacher shall not be eligible to be appointed as Head/Chairperson of a Department/Centre or Dean of a School or for any other administrative assignment such as Dean of Students. However, in other situations not involving administrative functions and responsibilities such as Advisory and Consultative Bodies, the University can continue to utilize the expertise of all its faculty members. The superannuated teacher shall continue to contribute for not only teaching and research guidance, but also for academic evaluation and assessment as well as management of research projects. They shall also continue to be members of various academic bodies such as School Board, Special Committees, Department/Centre Committees, Selection Committees and various other committees constituted at the level of University, School or Department/Centre for making recommendations for the consideration of the Authorities of the University.

6) Resignation

A permanent teacher or a teacher appointed on contract for a specified period may, at any time, resign from service by giving the Executive Council three months' notice in writing, and a temporary teacher or teacher on probation may, at any time, resign from service by giving one month's notice in writing:

Provided that the Executive Council may waive the requirement of notice at its discretion.

7) Voluntary Retirement

A teacher on permanent appointment who has completed 20 years of service may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire from service voluntarily:

Provided that the appointing authority shall withhold permission to a teacher under suspension who seeks to retire under this clause.

Note :

- (a) A notice of less than three months may be accepted by the appointing authority in deserving cases.
- (b) If a teacher retires under the above clause while he/she is on leave which is not due, without returning to duty, the retirement shall take effect from the date of commencement of the leave not due and the salary paid in respect of such leave shall be recovered in terms of Ordinance for regulating leave to teachers of the University.

8) Superannuation Benefits

Superannuation benefits will be as per Government of India / UGC guidelines in this regard.

9) Variations in Terms and Conditions of Service

Every teacher of the University shall be bound by the Statutes, Ordinances and Regulations for the time being in force in the University:

Provided that no change in the terms and conditions of service of a teacher shall be made after his/her appointment in regard to designation, Pay Band, Grade Pay, increment, provident fund, retirement benefits, age of superannuation, probation, confirmation, leave, leave salary and removal from service so as to adversely affect him/her.

10) Fixation of Pay of Re-employed Teachers

Fixation of pay of re-employed teachers shall be as prescribed in the Rules to these Ordinances as per the Government of India/University Grants Commission Guideline in this regard issued from time to time. 11) Contract

The written contract between a teacher and the University required to be entered into under Clause (3) of Statute (22) shall be in the prescribed form.

12) Special Contracts

Notwithstanding anything contained in these Ordinances, the Executive Council may appoint a person selected for fixed tenure under statute 20, on contract on such terms and conditions as it may deem fit.

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

2. ORDINANCE FOR REGULATING LEAVE TO TEACHERS OF THE UNIVERSITY

Kinds of Leave Admissible:

1. The following kinds of leave may be admissible to permanent teachers :

(i) Leave Treated as Duty

Casual Leave Special

Casual Leave

Duty Leave

(ii) Leave Earned by Duty

Earned Leave

Half Pay Leave

Commuted Leave

(iii) Leave not Earned by Duty

Extraordinary Leave

Leave not Due

(iv) Leave not Debited to Leave Account

a)Leave for Academic Pursuits Study Leave

Sabbatical Leave

b)Leave on Grounds of Health

Maternity Leave Paternity Leave Adoption Leave Quarantine Leave Child Care Leave

The Executive Council may, in exceptional cases, grant, for the reasons to be recorded, any other kind of leave, subject to such terms and conditions as it may be deem fit to impose.

2. Casual Leave (CL)

- (i) Casual Leave is not earned by duty. Total casual leave granted to a teacher shall not exceed eight days in an academic year.
- (ii) Casual leave cannot be accumulated, not it can be combined with any other kind of leave except special casual leave. It may be combined with holidays including Sundays. Holidays/Sundays failing within the period of casual leave shall not be counted as casual leave.

3. Special Casual Leave (SCL)

- (i) Special casual leave not exceeding ten days in an academic year may be granted to a teacher
 - (i) to conduct examination of another university, Public Service Commission, Board of Examination or other similar bodies/institutions;
 - (ii) to inspect academic institutions attached to a Statutory Board, etc;
 - (iii) to participate in a literary, scientific or educational conference, symposium or seminar or cultural or athletic activities conducted by Bodies recognized by the University Authorities;
 - (iv) to do such other work as may be approved by the Vice-Chancellor as academic work.

Note :

In computing the ten days leave admissible, the days of actual journey, if any, to and from the places where such conference/activity takes place and holidays/Sundays falling within the period of SCL will be excluded.

- (ii) In addition, special casual leave to the extent mentioned below may also be granted
 - (a) to undergo sterilization operation (Vasectomy or Salpingectomy) under Family Planning Programme. Leave in this case will be restricted to six working days.
 - (b) to undergo non-puerperal sterilization by a female teacher. Leave in this case will be restricted to fourteen days.
- (iii) Special casual leave cannot be accumulated nor it can be combined with any other kind of leave except casual leave. It may, however, be combined with holidays.

4. Duty Leave (DL)

- (i) Duty leave not exceeding 14 working days in a semester may be granted by the Dean of the School if the duty leave is for academic assignment within India, and by the Vice-Chancellor if it is outside India, for
 - (a) Attending conferences/congresses/symposia/seminars and other activities of similar nature, on behalf of the University or where invitations are accepted with the prior approval of the University;
 - (b) Delivering lectures in institutions and universities at the invitation of such institutions or universities received by the University and accepted by the Vice-Chancellor; or
 - (c) Undertaking field work in India or abroad.

Explanation : The teacher will be treated as on duty (and not requiring duty leave) and consequently the restriction of 14 working days in a semester shall not apply in the following cases:

- (i) Working in another Indian or a foreign University, any other agency, institution or organization when so deputed by the University, or for performing any other duty for the University;
- (ii) Working as a member of a delegation or committee appointed by the Government of India, State Governments, UGC, Universities or any other academic or public body;
- (iii) Deputation abroad under cultural/bilateral exchange programme in which it is a condition that the teacher deputed will have to go on duty leave.
- (ii) The leave may be granted on full pay provided that if the teacher receives a fellowship or honorarium or any other financial assistance beyond the amount needed for normal expenses, the person shall remit a predetermined percentage of the amount beyond the limit to the University as per University regulations in this regard.
- (iii) Duty leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave.
- (iv) Duty leave may either be pre-fixed or suffixed to the vacation.

5. Earned Leave (EL)

(i) Earned leave admissible to a teacher shall be at the rate of 1/30th actual service including vacation.

(ii)

(a) The earned leave of 12 days shall be credited in advance to the leave account of a teacher on the first day of January every year.

- (b) If a teacher has availed of leave other than casual leave, special casual leave or duty leave, or the period of his/her absence has been treated as dies non during the previous year, the credit to be afforded to his/her leave account shall be reduced by 1/30th of the period of such leave.
- (c) The credit of earned leave for the calendar year in which a teacher is appointed, shall be done in advance on the first day of the calendar month following the date of his/her joining duty, at the rate of one day for each completed calendar month of service which he/she is likely to render in that year.
- (d) The credit of earned leave for the calendar year in which a teacher retires or resigns from service shall be at the rate of one day for each completed calendar month upto date of retirement or resignation.
- (e) When a teacher is removed or dismissed from service or dies while in service, credit or earned leave shall be allowed at the rate of one day per completed calendar month up to the end of the preceding calendar month in which he/she is removed or dismissed from service or dies in service.
- (iii) The teacher of the University can be on duty upto a maximum of 30 days during the vacation for evaluation work of entrance examination and 1/3rd of the period may be credited to his/her earned leave account. Teachers doing administrative functions like Head of Department/Dean of School, etc. shall also be entitled for credit of earned leave at the rate of 1/3rd of the period spent on such duties, subject to a maximum of 30 days of earned leave in a calendar year.
- (iv) Earned leave at the credit of a teacher shall not accumulate beyond the number specified by Government of India/UGC from time to time. The maximum earned leave that may be sanctioned at a time shall not exceed 60 days. earned leave exceeding 60 days may, however, be sanctioned in the case of higher study or training or leave on medical grounds or when the entire leave or a portion thereof is spent outside India.

Note :

- 1. When a teacher prefixes as well as suffixes earned leave to vacation, the period of vacation shall be reckoned as leave for calculating the maximum period of leave on average pay.
- 2. In case where only a portion of the leave is spent outside India, the grant of leave in excess of 60 days shall be subject to the condition that the portion of the leave spent in India shall not in the aggregate exceed 60 days.
- 3. Encashment of earned leave shall be allowed to a teacher as applicable to the employees of the Central Government.

6. Half Pay Leave (HPL)

- (i) Every permanent teacher shall be credited with half pay leave in advance, in two installments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.
- (ii)
 - (a) The leave shall be credited to the said leave account at the rate of 5/3 days for each completed calendar month of service of the year in which the teacher is appointed.
 - (b) The credit for the year in which a teacher is due to retire shall be allowed at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the date of retirement.
 - (c) When a teacher is removed or is dismissed from service or dies while in service, half pay leave in his/her credit shall be adjusted at the rate of 5/3 days per completed calendar month up to the end of the preceding calendar month in which he/she is removed or dismissed from service or dies in service.

7. Commuted Leave (Com.L)

Commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave due may be granted on medical certificate from a registered medical practitioner empanelled by the University to a permanent teacher subject to the following conditions:

- (i) When commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the half pay leave due.
- (ii) No commuted leave shall be granted under this Ordinance unless the authority competent to sanction leave has reason to believe that the teacher will return to duty on its expiry.

(iii) Where a teacher who has been granted commuted leave resigns from service or at his/her request is permitted to retire voluntarily without returning to duty, the commuted leave shall be treated as half pay leave and the difference between the leave salary in respect of commuted leave and half pay leave shall be recovered:

Provided that no such recovery shall be made if the retirement is by reason of ill-health incapacitating the teacher for further service or in the event of his/her death.

(iv) Commuted leave during the entire service shall be limited to a maximum 240 days.

Note :

- 1) Commuted leave may be granted at the request of the teacher even when earned leave is due to him/her.
- 2) The duration of earned leave and commuted leave taken in conjunction shall not exceed 240 days at a time.

8. Extraordinary Leave (EOL)

- (i) A permanent teacher may be granted extraordinary leave
 - (a) When no other leave is admissible; or
 - (b) When other leave is admissible, the teacher applies in writing for the grant of extraordinary leave: Provided, however, that save under the provisions of sub-clauses (ii) to (iv) below, no extraordinary leave shall be granted to a teacher for holding an appointment or a fellowship outside the University.
- (ii) The Executive Council may grant, on the request from the institution concerned and on application of the teacher, extra-ordinary leave to hold an appointment or a fellowship under a Government, another university, a research institute or other similar institution, if in the opinion of the Executive Council, such leave does not prejudice the interests of the University. This leave may be allowed only to a teacher who has been confirmed in the post held by him/her and has served the University for a period of at least two years:

Provided that the Executive Council may grant exemption for the requirement of two years service in very exceptional cases.

The application for such leave shall be sent through the Dean the School concerned and the latter shall give his/her recommendation taking into account the strength of teaching staff of the particular subject. At no time more than 20% of the strength of teachers on rolls of a Department/Centre shall be allowed to be absent on extraordinary leave/study leave and/or sabbatical leave.

In case of his/her failure to return to duty immediately at the end of the period of leave sanctioned to him/her the services of a teacher shall be liable to be terminated from the date of commencement of the period of leave granted to him/her.

(iii) The Executive Council may also grant at its discretion, extraordinary leave to a permanent teacher who has been selected for a teaching or research assignment in another university, a research institute or other similar institution:

Provided he/she has served the University for a period of atleast two years and the application was forwarded by the University. The leave in such cases shall not exceed a maximum period of two years.

(iv) Subject to the provisions of sub-clause (ix) below, the total period of extraordinary leave granted to a teacher under sub-clauses (ii) and (iii) above shall not exceed five years during his/her entire service:

Provided that the teachers of the University who are given Career Award will be eligible for grant of extraordinary leave for the period of award in addition to the above provisions on the condition that they stay on in the University during the period of this award.

- (v) EOL shall not be granted after return from a previous spell of EOL until after the expiry of :
 - Three years in case of a teacher who proceeds on EOL for more than one month and less than one year;
 - Five years in case of a teacher who proceeds on EOL for a period of one year or more.

Provided that no such period of gap shall be applicable to a teacher who proceeds on EOL for less than a month.

- (vi) Notwithstanding any other leave which may be due to a teacher, the entire period for which the teacher holds the appointment outside the university shall be without pay. The period so spent shall count for seniority. The period shall not count for pensionary/contributory provident fund benefits unless the pensionary/contributory provident fund contributions are paid by the teacher or the foreign employer.
- (vii) Extraordinary leave shall always be without pay and allowances.
- (viii) Extraordinary leave shall not count for increment except in the following cases
 - a) Leave taken on medical grounds;
 - b) Cases where the Vice-Chancellor is satisfied that the leave was taken due to causes beyond the control of the teacher, such as inability to join or rejoin duty to civil commotion or a natural calamity, provided the teacher has no other kind of leave to his/her credit;
 - c) Leave taken for prosecuting higher studies;
 - d) Leave granted to accept an invitation to a teaching post or fellowship or research-cum-teaching post or an assignment for technical or academic work of importance.
 - (ix) Extraordinary leave may be combined with any other leave except casual leave and special casual leave, provided that the total period of continuous absence from duty on leave (including periods of vacation when such vacation is taken in conjunction with leave) shall not exceed three years except in cases where leave is taken on medical grounds. The total period of absence from duty shall in no case exceed five years in the entire period of service of a teacher.
 - (x) The authority empowered to grant leave may commute retrospectively periods of absence without leave into extraordinary leave.
- 9. Leave not Due (LND)
 - (i) Leave not due may, at the discretion of the Vice-Chancellor, be granted to a permanent teacher for a period not exceeding 360 days during the entire period of service, out of which not more than 90 days at a time and 180 days in all may be otherwise than on medical grounds. Such leave shall be debited against the half pay leave earned by him/her subsequently.
 - (ii) Leave not due shall not be granted unless the Vice-Chancellor is satisfied that the teacher will return to duty on the expiry of the leave and earn the leave granted.
 - (iii) A teacher granted 'Leave not Due', shall not be permitted to tender resignation from service as long as the debit balance in leave account is not wiped off by active service, or the teacher refunds the amount paid to him/her as pay and allowances for the period not so earned:

Provided that in case where retirement is unavoidable on account of reason of ill health, incapacitating the teacher for further service, refund of leave salary for the period of leave to be earned may be waived by the Executive Council.

Provided further the Executive Council may, in any other exceptional case, waive, for reasons to be recorded, the refund of leave salary for the period of leave still to be earned.

10. Study Leave (SL)

- (i) Study leave may be granted by the Executive Council on the recommendation of the Head of the Department/Centre concerned to a teacher after a minimum of 3 years of continuous service with the University, to pursue a special line of study or research directly related to his/her work in the University or to make special study of the various aspects of University organization and methods of education.
- (ii) The period of study leave may be for a period upto 3 years, but may be granted for a period upto two years in the first instance, extendable by one more year, if there is adequate progress as reported by the Research Guide, provided that the number of teachers given study leave, does not exceed the stipulated percentage of teachers proceeding on leave, in any Department/Centre or the School at a given time, as mentioned under 8(ii) above.

- [PART III—SEC. 4]
- (iii) The Executive Council may, in the special circumstances of a case, waive the condition of three years service being continuous.

Explanation: In computing the length of service, the time during which a person was on probation or engaged as a Research Assistant/Associate shall be reckoned, provided that the current appointment is in continuation of the previous service as Research Assistant/Associate.

- (iv) Study leave shall not be granted to a teacher who is due to retire within five years from the date on which he/she is expected to return to duty after the expiry of study leave.
- (v) Study leave may be granted not more than twice during a teacher's career. However, the maximum period of study leave admissible during the entire service shall not exceed three years.
- (vi) No teacher who has been granted study leave shall be permitted to alter substantially the course of study or the programme of research without the permission of the Executive Council. When the course of study falls short of study leave, the teacher shall resume duty on the conclusion of the course of study.
- (vii) Subject to the provisions of sub-clauses (ix) and (x) below, study leave may be granted on full pay upto two years extendable by one year at the discretion of the University.
- (viii) The amount of scholarship, fellowship or other financial assistance that a teacher who has been granted leave will not preclude his/her being granted study leave with pay and allowances but the scholarship, etc., so received shall be taken into account in calculating the predetermined percentage of such amount to be remitted to the University if it is beyond the limit fixed by the University. Foreign scholarship/fellowship would be regulated as above only if the fellowship is above a specified amount, which may be determined from time to time. In the case of an Indian fellowship, which exceeds the salary of the teacher, the salary shall not be paid during the fellowship.

Note : While deciding the amount received by a teacher during the period of his/her study leave spent abroad, for calculating the percentage which the teacher may have to remit to the University, the net emoluments rather than the gross emoluments be taken into consideration and the deduction made by the granting agency on account of tax as well as the payment made by the teacher on accommodation during the course of leave spent abroad, may be deducted from the gross emoluments while deciding such amount.

- (ix) Subject to the maximum period of absence from duty on leave not exceeding three years, study leave may be combined with earned leave, half-pay leave, extraordinary leave or vacation.
- (x) A teacher, who is selected to a higher post during study leave, will be placed in that position and get the higher scale only after joining the post.
- (xi) A teacher granted study leave shall, on his/her re-joining the service of the University, be eligible for the benefit of the annual increment(s) which he/she would have earned if he/she had not proceeded on study leave. He/she shall not, however, be eligible to receive arrears of increments.
- (xii) Study leave shall count as service for pension/contributory provident fund, provided the teacher joins the University on the expiry of his/her study leave.
- (xiii) Study leave granted to a teacher shall be deemed to be cancelled in case it is not availed of within 3 months of its sanction or, if to join a course study, within 1 month of the start of the course, whichever is earlier, so that another teacher can be sanctioned such leave, if requested, within the upper limit of 20% of faculty on various kinds of leave at a time.

Provided that where study leave granted has been so cancelled, the teacher may apply again for such leave.

- (xiv) A teacher availing himself/herself of study leave shall undertake that he/she shall serve the University for a continuous period of at least three years to be calculated from the date of his/her resuming the duty after expiry of study leave.
- (xv) The teacher before availing himself/herself of the study leave, shall execute a bond in favour of the University, binding himself/herself for the due fulfillment of the conditions laid down in these subclauses and give security of immovable property to the satisfaction of the Finance Officer or a fidelity bond of an insurance company or a guarantee by a scheduled bank or furnish security of

two permanent teachers for the amount which might become refundable to the University in accordance with sub-clause (xvi) below.

- (xvi) The teacher shall submit to the University, six monthly reports of the progress of his/her studies from his/her supervisor or the Head of the Institution. This report shall reach the Registrar within one month of the expiry of every six months of the study leave. If the report does not reach the Registrar within the specified time, the payment of leave salary may be deferred till the receipt of such report.
- (xvii) No teacher proceeding on study leave shall be allowed to resign from his/her employment, unless he/she settles all financial and other claims of the University outstanding against him/her.

11. Sabbatical Leave (Sb.L)

- (i) Permanent whole-time teachers of the University who have completed seven years may be granted sabbatical leave to undertake study or research or other academic pursuits solely for the object of increasing their proficiency and usefulness to the University and higher education system.
- (ii) The duration of leave shall not exceed one year at a time and two years in the entire career of a teacher.
- (iii) A teacher who has availed himself/herself of study leave during the qualifying period preceding sabbatical, would not be entitled to sabbatical leave.

Provided that the sabbatical leave may be granted after the expiry of five years from the date of the teacher's return from the study leave or any other kind of training programme.

(iv) A teacher shall, during the period of sabbatical leave, be paid full pay and allowances (subject to prescribed conditions being fulfilled) at the rates applicable to him/her immediately prior to his/her proceeding on sabbatical leave.

Note : While deciding the amount received by a teacher during the period of his/her study leave spent abroad, for calculating the percentage which the teacher may have to remit to the University, the net emoluments rather than the gross emoluments be taken into consideration and the deduction made by the granting agency on account of tax as well as the payment made by the teacher on accommodation during the course of leave spent abroad, may be deducted from the gross emoluments while deciding of such amount.

(v) A teacher during the period of sabbatical leave shall not take up any regular appointment under another organization in India or abroad. He/she may, however, be allowed to accept a fellowship or a research scholarship or ad hoc teaching and research assignment with honorarium or any other form of assistance, other than regular employment in an institution of advance studies.

Provided that in such cases the teacher shall be required to remit to the University the required percentage of the amount received. (vi) During the period of sabbatical leave, the teacher shall be allowed to draw the increment on the due date.

Note: (1) The programme to be followed during sabbatical leave shall be submitted to the University for approval alongwith the application for grant of leave. (2) On return from leave, the teacher shall report to the University within 3 months the nature of studies, research or other work undertaken during the period of leave and the result thereof.

12. Maternity Leave (ML)

- (i) Maternity leave on full pay may be granted to a woman teacher for a period of not exceeding 135 days, to be availed of twice in the entire career. Maternity leave may also be granted in case of miscarriage including abortion, subject to the condition that the total leave granted in respect of this to a woman teacher in her career does not exceed 45 days, and the application for leave is supported by a medical certificate.
- (ii) Maternity leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave.

13. Paternity Leave (PL)

Paternity leave of 15 days may be granted to a male teacher during the confinement of his wife, provided that such leave shall be limited upto 2 children.

14. Adoption Leave (AL)

- (i) A female teacher, with fewer than two surviving children, on valid adoption of a child below the age of one year may be granted child adoption leave, by an authority competent to grant leave, for a period of 135 days immediately after the date of valid adoption.
- (ii) During the period of Child Adoption Leave, she shall be paid leave salary equal to the pay drawn immediately before proceeding on leave.
- (iii) Child adoption leave may be combined with leave of any other kind.
- (iv) In continuation of child adoption leave the adoptive mothers may also be granted, if applied, for leave of the kind due and admissible (excluding leave not due and commuted leave not exceeding 60 days without production of Medical Certificate) for a period upto one year reduced by the age of the adopted child on the date of legal adoption without taking into account the period of child adoption leave, subject to the following conditions;
 - a) This facility shall not be admissible to an adoptive mother already having two surviving children at the time of adoption.
 - b) The maximum period of one year leave of the kind due and admissible (including leave not due and commuted leave upto 60 days without production of Medical Certificate), will be reduced by the age of the child on the date of adoption without taking into account child adoption leave as in following illustration:
 - If the age of the adopted child is less than one month on the date of adoption leave upto one year may be allowed.
 - If the age of the child is six months and above but less than seven months, leave upto 6 months may be allowed.
 - If the age of the child is 9 months and above but less than 10 months, leave upto 3 months may be allowed.
- (v) Child adoption leave shall not be debited against the leave account.

15. Quarantine Leave (QL)

- (i) Quarantine leave is leave of absence from duty necessitated in consequence of the presence of an infectious disease in the family or household of a teacher.
- (ii) Quarantine leave may be granted on medical certificate for a period no exceeding 21 days. in exceptional cases this limit may be raised to thirty days. any leave necessary for quarantine leave may be combined with earned leave, half pay leave or extraordinary leave.
- (iii) A teacher on quarantine leave shall not be treated as absent from duty and his pay shall not be affected.

16. Child Care Leave (CCL)

Child Care Leave can be granted to women teachers having minor children below the age of 18 years, for a maximum period of two years (i.e. 730 days) during their service, for taking care of upto two children whether for rearing or to look after any of their needs like examination, sickness, etc. The leave shall be admissible subject to the following conditions:

- (i) CCL cannot be demanded as a matter of right. Under no circumstances can any teacher proceed on CCL without prior proper approval of the leave by the leave sanctioning authority.
- (ii) The leave is to be treated like the Earned Leave and sanctioned as such. Consequently, Saturdays, Sundays, gazetted holidays etc. falling during the period of leave would also count for CCL, as in the case of Earned Leave.
- (iii) CCL shall be admissible for two eldest surviving children only.
- (iv) CCL can be availed only if the teacher concerned has no Earned Leave at her credit.
- (v) The Leave Account for CCL shall be maintained in the prescribed proforma, and it shall be kept along with the service book of the teacher concerned.

17. Vacation

- (i) Vacation may be taken in combination with any kind of leave except casual and special casual leave, provided that vacation shall not be both prefixed and suffixed to leave.
- (ii) Except in special circumstances, vacation and earned leave taken together shall not extend beyond one semester.
- (iii) When a vacation falls between two periods of leave so as to result in a continuous absence from duty during the entire period, such vacation shall be treated as part of the leave.
- (iv) For the vacation period, a teacher shall be entitled to the same pay as when on duty. A teacher will, however, be entitled only to half of such pay if he/she has given notice of resignation and the period of such notice expires during vacation or within one month from the last pay thereof.

18. Teacher Appointed on Probation

A teacher appointed as a probationer against a substantive vacancy and with definite terms of probation shall during the period of probation be granted leave which would be admissible to him/her if he/she has held this post substantively otherwise than on probation. If a person in the permanent service of the University is appointed 'on probation' to a higher post, during probation, he/she shall not be deprived of the benefit of leave rules applicable to his/her permanent post.

19. Teachers Appointed under Statute 19(2)

The teachers appointed by the Executive Council under Statute 19(2) of the Act shall be governed by all the provisions of this ordinance relating to the appointed teachers, except the following:

- (i) They shall not be entitled for sabbatical or study leave.
- (ii) They shall not be entitled for vacation as their work relates to projects.

20. Teacher Re-employed after Retirement

In the case of a teacher re-employed after retirement the provisions of this ordinance shall apply as if he/she had entered service for the first time on the date of his/her re-employment.

21. Temporary Teachers

Whole time temporary teachers shall be governed by the provisions of this Ordinance subject to the following conditions and exceptions:

- (i) A temporary teacher shall be entitled casual leave, special casual leave and duty leave on a par with a permanent teacher.
- (ii) Earned Leave A temporary teacher shall be entitled to earned leave on a par with a permanent teacher.
- (iii) Half Pay Leave No half pay leave shall be granted to temporary teacher unless the authority competent to sanction leave has reason to believe that the teacher will return to duty on the expiry of such leave.
- (iv) Commuted Leave Temporary teachers shall not be entitled to commute any portion of the half pay leave.
- (v) Extraordinary Leave The duration of extraordinary leave to the temporary teachers shall not exceed the following limits:
 - (a) Three months at a time;
 - (b) Six months in cases where the teacher has completed three years continuous service and the leave application is supported by a medical certificate;
 - (c) Eighteen months where the teacher is undergoing treatment in a recognized hospital for tuberculoses, cancer or leprosy;
 - (d) 24 months in cases where the leave is required for prosecuting studies, certified to be in the University's interest, provided that the teacher has completed three years continuous service on the date of commencement of extraordinary leave.

A temporary teacher who fails to resume duty on the expiry of the period of extraordinary leave granted to him/her and remains absent from duty, shall, unless the Executive Council, in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, be deemed to have resigned from his/her service and shall accordingly cease to be a University employee.

(vi) Leave not due, Study Leave and Sabbatical Leave

Temporary teachers shall not be entitled for the grant of leave not due, study leave and sabbatical leave.

- (vii) Vacation
 - (a) A temporary teacher shall be entitled to pay for the following vacation only if he/she joins duty within two months of the beginning of the academic session and has worked continuously and satisfactorily from the date of joining upto the last working day of the session.
 - (b) The vacation salary may be paid to the teacher, if the temporary appointment continues for a part or the whole of next academic session and the teacher joins on the opening day; and has also served on the last working day before the vacation.

22. Teacher Appointed on Contract Basis

Teachers appointed on contract basis shall be entitled to leave as under:

- (i) Earned leave/Half pay leave/Casual leave as admissible to whole time temporary teachers of the University.
- (ii)
- a) In the case of contract appointments for one year of less, unless on medical grounds, no Extraordinary leave shall be granted.
- b) In the case of contract appointments for more than one year but less than 5 years, extraordinary leave as admissible to temporary teachers subject to the condition that the total period of extraordinary leave during the entire contract period shall not exceed 90 days.
- c) Where the contract appointment is for 5 years or more, the extraordinary leave shall be as that admissible to the whole time temporary teachers.

23. Honorary and Part Time Teachers

Honorary and part-time teachers of the University shall be entitled to leave on the same terms as are applicable to whole-time temporary teachers of the University.

24. General Conditions Applicable to All Categories of Teachers

(i) Leave how earned

Leave is earned by duty only. The period spent in foreign service counts as duty if contribution towards leave salary is paid for such period.

- (ii) Right to leave
 - (a) No leave shall be claimed as matter of right. Leave of any kind may be varied, refused or revoked by the competent authority empowered to grant it without assigning any reason, if that authority considers such action to be in the interest of the University.
 - (b) No leave shall be granted to a teacher whom a competent authority has decided to dismiss, remove or compulsorily retire from service, nor shall any leave be granted to a teacher who is under suspension.
- (iii) Maximum period of absence from duty on leave
 - (a) No teacher shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding five years.
 - (b) Where a teacher does not resume duty after remaining on leave for a continuous period of five years or where a teacher after the expiry of his/her leave remains absent from duty, other than on foreign service or on account of suspension, for any period which together with the period of leave granted to his/her exceeds five years, he/she shall unless the Executive Council in

view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, be removed from service after following prescribed procedure.

(iv) Application for Leave

Leave should always be applied for in advance and the sanction of the competent authority obtained before it is availed of except in cases of emergency and for satisfactory reasons.

Note: Faculty member should not leave station till the order sanctioning leave has been issued.

- (v) Commencement and termination of leave
 - (a) Leave ordinarily begins from the date on which leave as such is actually availed of and ends on the day the teacher resumes his duty.
 - (b) Sunday and other recognized holidays may be prefixed and /or suffixed to the leave with the permission of the authority competent to sanction the leave.
- (vi) Rejoining of duty before the expiry of the leave
 - (a) A teacher may return to duty before the expiry of the leave granted to him/her, with the permission of the competent authority.
 - (b) Notwithstanding anything contained in (a) above, a teacher on leave preparatory to retirement shall be precluded from withdrawing his/her request for permission to retire and from returning to duty, save with the consent of the Executive-Council.
- (vii) Leave on medical grounds to be supported by medical certificates

A teacher who applies for leave on medical grounds shall support his/her application with a medical certificate from a Registered Medical Practitioner empanelled by the University. Leave or extension of leave on medical certificate shall not be granted beyond the date on which a teacher is pronounced by a Medical Board constituted by the University for the purpose to be permanently incapacitated for further service.

(viii) Rejoining duty on return from leave on medical ground

No teacher who has been granted leave (other than casual leave) on medical grounds shall be allowed to return to duty without producing a certificate of fitness from the registered medical officer empanelled by the University.

(ix) Employment during leave

A teacher on leave shall not, without the written permission of the University, engage directly or indirectly in any trade or business whatsoever or in any private tuition or other work to which any emolument or honorarium is attached:

Provided that this prohibition shall not apply to work undertaken in connection with the examination of a University, Public Service Commission, Board of Education or similar Bodies/Institutions or to any literary work or publication or radio or extension lectures, or with the permission of the Vice-Chancellor to any other academic work.

The leave salary of a teacher who is permitted to take up any employment during leave shall be subject to such restrictions as the Executive Council may prescribe.

(x) Absence without leave or overstay on leave

A teacher who absents himself/herself without leave or remains absent without leave after the expiry of the leave granted to him/her, shall be entitled to no leave allowance or salary for the period of such absence. Such period shall be debited against his/her leave account as leave is extended by the authority empowered to grant the leave. Willful absence from duty may be treated as misconduct.

- (xi) Conversion of one kind of leave to another
 - (a) At the request of the teacher concerned, the University may convert retrospectively any kind of leave including extraordinary leave into a leave of different kind which was admissible to him/her at the time leave was originally taken, but he/she cannot claim such conversion as a matter of right.

- (b) If one kind of leave is converted into another, the amount of leave salary and the allowances admissible shall be recalculated and arrears of leave salary and allowances paid or the amount overdrawn recovered, as the case may be.
- (xii) Increment during leave

If increment of pay falls during any leave other than casual leave, special casual leave, duty leave, or sabbatical leave, the effect of increase of pay shall be given from the date the teacher resumes duty without prejudice to the normal date of his/her increment, except in those cases where the leave does not count for increment.

(xiii) Leave year

For the purpose of these Ordinances, unless otherwise specified, the term 'year' shall mean a calendar year.

25. Authorities Empowered to Sanction Leave

The authorities specified in column (2) of the table below are empowered to sanction leave to the extent shown in column (3) thereof. Cases for sanction of leave in excess of these limits or of leave not mentioned below shall be submitted to the Executive Council. Before sanctioning the leave, the sanctioning authority shall ensure that leave asked for is admissible and is at the credit of the teacher concerned.

	Kind of Leave	Sanctioning Authority	Extent of Power	
Ι	Casual/ Special Casual Leave to			
А	Deans of Schools	Vice-Chancellor	Full	
В	Chairperson of Depts./ Centres	Deans of Schools	Full	
С	Chairperson and other teachers	Chairperson of Centre/Dept.	Full	
II	Duty Leave to			
А	Deans of Schools	Vice Chancellor	Full	
В	Chairperson and other Teachers	Dean	Upto 10 days and	
		Vice Chancellor	Beyond 10 days	
III	Earned Leave/Half Pay Leave/ Com Leave/Child Care Leave/to	muted Leave/Maternity Leave/I	Paternity Leave/Adoption	
А	Dean of Schools	Vice-Chancellor	Full	
В	Chairpersons of the Depts./Centres	Deans of Schools	Upto 90 days	
		Vice Chancellor	Beyond 90 days	
С	Other teachers	Chairperson of the Centre	Upto 90 days	
		Dean of School	Beyond 90 days	
IV	Sabbatical Leave/ Study Leave	Vice-Chancellor	Full	
V	Quarantine Leave	Vice-Chancellor	Full	
VI	Extraordinary Leave			
А	Deans of Schools	Vice Chancellor	Upto 90 days	
		Executive Council	Beyond 90 days	
В	Chairperson and Other teachers	Deans of the Schools	Upto 30 days	
		Vice Chancellor	Upto 90 days	
		Executive Council	Beyond 90 days	
VII	Leave Not Due to All Teachers	Vice Chancellor	Full	

26. Leave Salary

- i. A teacher granted casual leave or special casual leave is not treated as absent from duty and his pay is not interrupted.
- ii. A teacher on earned leave is entitled to leave salary equivalent to the pay drawn immediately before proceeding on leave.
- iii. A teacher on commuted leave is entitled to leave salary equal to the salary admissible under subclause 25(III).
- iv. A teacher on extraordinary leave shall not be entitled to any leave salary.
- v. A teacher on Maternity leave / Paternity leave / Child Care leave and Quarantine leave is entitled to draw the same pay as he/she may be drawing at the time of proceeding on leave. vi. Payment of all admissible allowances during leave shall be governed by the provisions of the rules regarding the payment of those allowances.
- vi. During the period of re-employment, the leave salary shall be based on the pay drawn by him/her exclusive of the pension and pension equivalent of other retirement benefits.

27. Cash Payment in lieu of Leave

- i. On Superannuation Where a teacher superannuates on attaining the normal age prescribed for superannuation under the terms and conditions governing his/her service, the authority competent to grant leave shall suo motu authorize encashment of Earned leave, if any, at the credit of the teacher on the date of his/her superannuation, subject to a maximum of 300 days.
- ii. Superannuation while under suspension A teacher, who superannuates while under suspension, shall become eligible for the benefit of cash equivalent of Earned leave at his/her credit on the date of his/her superannuation on conclusion of the proceedings against him/her, if the competent authority decides to reinstate him/her in service and holds that the suspension was wholly unjustified.
- iii. Retirement before superannuation A teacher who retires or is retired from service may be granted suo motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of Earned leave at his/her credit subject to maximum number of days including days in respect of the half pay leave at his/her credit as specified by the Government of India/UGC from time to time, provided this period does not exceed the period between the date on which he/she so retires or is retired from service and the date on which he/she would have retired in the normal course after attaining the age prescribed for superannuation under the terms and conditions governing his/her service. The cash equivalent shall be equal to the leave salary as admissible for earned leave and/or equal to the leave salary as admissible for half pay leave plus dearness allowance admissible on that leave salary for the first 300 days, at the rates in force on the date the University employee so retires or is retired from service. The pension and pension equivalent of other retirement benefits and ad hoc relief/graded relief on pension shall be deducted from the leave salary paid for the period of half pay leave, if any, for which the cash equivalent is payable. The amount so calculated shall be paid in one lump-sum as a one time settlement. No House Rent Allowance shall be payable:

Provided that if leave salary for the half pay leave component falls short of pension and other pensionary benefits, cash equivalent of half pay leave shall not be granted.

Provided further that a teacher who is retired by University by giving him/her pay and allowances in lieu of notice, cash equivalent of leave salary shall be allowed only for the period of leave excluding that period for which pay and allowances in lieu of notice have been allowed.

iv. Resignation / Termination

(a) **Resignation :** if a teacher resigns or quits service, he/she may be granted suo motu by the authority competent to grant leave cash equivalent in respect of earned leave at his/her credit on the date of cessation of service, to the extent of half of such leave at his/her credit, subject to a maximum of 150 days.

(b) **Termination :** Where the services of a teacher are terminated by notice or by payment of pay and allowances, in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his/her

appointment, he/she may be granted, suo motu by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his/her credit on the date on which he/she ceases to be in service subject to maximum of 300 days.

v. Dismissal/Removal

When a teacher is dismissed or removed from service following disciplinary proceedings he/she shall not be eligible for leave encashment.

vi. Teachers appointed on contract

(a) The teachers appointed on contract will suo motu be allowed encashment of earned leave at their credit on the date of termination of contract, subject to the ceiling mentioned below:

Period of Contract	Maximum earned leave for which encashment will be allowed at the time of termination of contract
2 years or less	No encashment
More than 2 years, upto, 5 years	30 days
More than 5 years, upto, 10 years	60 days
More than 10 years, upto, 15 years	90 days
More than 15 years, upto, 20 years	120 days
More than 20 years upto, 25 years	150 days
More than 25 years	180 days

(b) The encashment of earned leave as above will, however, be subject to the condition that the total earned leave for which encashment will be allowed together with the earned leave or full pay leave for which encashment had been allowed in previous appointments, if any, under the Government, an autonomous body or bodies of public sector undertaking(s), is not more than 300 days.

vii. Leave encashment when permanently incapacitated

A teacher who is declared by a duly constituted Medical Board to be completely and permanently incapacitated for further service may be granted, suo motu, by the authority competent to grant leave, cash equivalent of leave salary in respect of earned leave due and admissible on the date of his/her invalidation from service subject to leave salary for a maximum 300 days. The cash equivalent thus payable shall be equal to the leave salary as calculated under clause (ix) below.

viii. Leave encashment of a teacher who dies while in harness

In case a teacher dies in harness, the cash equivalent of the leave salary that the deceased teacher would have got, had he/she gone on earned leave, but for the death, due and admissible on the date immediately following the date of death subject to a maximum of leave salary for 300 days shall be paid to his/her family.

ix. Calculation of cash equivalent of leave

The cash equivalent of leave shall be calculated and payable in one lump sum as a one-time settlement as per Government of India rules. 28. Making of Rules and Prescribing the Procedure to be Followed Under this Ordinance

The University may make rules and procedures for effecting the provisions of this Ordinance.

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

4. ORDINANCE RELATING TO EMOLUMENTS AND OTHER TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF PRO VICE –CHANCELLOR (Ref. Statute 4(3) of the Statues)

1. Emoluments

The post of Pro Vice-Chancellor shall be in the Pay Band of Rs.37400-67000 with AGP of Rs. 10,000/- or higher AGP of Rs. 12,000/-, whichever is applicable, along with a Special allowance of Rs. 4000 per month, subject to the condition that the sum total of pay in the Pay Band, the Academic Grade Pay and the Special Allowance shall not exceed Rs.80000. In addition, the Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such allowances as may be admissible to other University employees from time to time.

2. Leave

2.1 The Pro Vice-Chancellor shall be entitled to all kinds of leave applicable to whole time permanent teachers of the University, subject to following:

If he/she is a professor of the University discharging the additional duties of the Pro-Vice-Chancellor, or is a person not in the service of the University, but appointed to the post, he/she shall be entitled to leave:

(a) On full pay for one eleventh of the period spent by him/her on active service as Pro Vice-Chancellor:

(b) On medical grounds or otherwise than on medical grounds without pay for a period not exceeding three months during the term of his/her office, provided that such leave may be converted into leave on full pay to the extent to which he/she will be entitled to under sub-clause (a).

2.2 Where a person already in the service of the University is appointed as a Pro Vice-Chancellor, he/she shall be entitled to carry forward the leave at his/her credit on the date of such appointment.

3. Provident Fund

If a Teacher already in service of the University prior 01.01.2004 is appointed as Pro Vice-Chancellor, he/she will be entitled to continue to subscribe to the Provident Fund at the same rate at which he/she would have continued to subscribe but for his/her appointment as Pro Vice-Chancellor. However, if a Teacher appointed in the University on or after 01.01.2004 is appointed as Pro Vice-Chancellor, he/she will be entitled to only the New Pension Scheme effective from 01.01.2004.

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

6. ORDINANCE RELATING TO THE SCHOOL BOARD [Ref. Statute 15(3) of the Statues] *

1. Composition of the School Board:

The School Board shall consist of :

- (i) The Dean of the School;
- (ii) The Head/Chairperson of the Departments/Centres in the School;
- (iii) The Professors in the Departments/Centres in the School;
- (iv) One Associate Professor and one Assistant Professor, by rotation according to seniority, from each Department/Centre in the School;
- (v) Five members nominated by the Academic Council for their special knowledge in any subject assigned to the School or in any allied branch of knowledge; and
- (vi) Such other members, but not exceeding five, as may be specified.

2. Chairperson of the School Board

The Dean of the School shall be the Chairperson of the School Board and his/her powers and duties shall be specified by a separate Ordinance.

3. Powers and Functions the of Board

The powers and functions of the Board shall be :

- a) to coordinate the teaching and research work in the Departments/Centers assigned to the School;
- b) to appoint committees to organize the teaching and research work in subject(s) or area(s) which are of interest to more than one Department/Centre of the School, or which do not fall within the sphere of any Department/Centre, and to supervise the work of such Committees whose composition, powers and functions shall be prescribed by Regulations;
- c) to approve the courses of study;
- d) to recommend to the Academic Council the names of examiners for the evaluation of courses, dissertations and theses after considering proposals received from the Boards of Studies of the Departments/Centres (and the CASR in case of dissertations and theses) in that regard;
- e) to recommend to the Academic Council the creation and abolition of teaching posts after considering proposals received from Departments/Centres and Committees mentioned in the clause (b) above;
- f) to frame rules and approve the pattern and schedule for the evaluation of sessional work;

- g) to approve, on the recommendation of the Board of Studies, the award of research Degrees to candidates who have been adjudged to be fit to receive such Degrees, in accordance with the Ordinances framed in that behalf;
- h) to consider schemes for the advancement of the standards of teaching and research, and to submit such proposals to the Academic Council;
- i) to promote research within the School and to submit reports on research to the Academic Council;
- j) to frame the general time-table of the School;
- k) to consider any proposals regarding the welfare of the students of the School which the Students Council may submit;
- to perform all other functions which may be prescribed by the Act, the Statute or the Ordinances, and to consider all such matters as may be referred to it by the Executive Council, the Academic Council or the Vice Chancellor;
- m) to delegate to the Dean, or any other member of the School Board or to a Committee such general or specific powers as may be decided upon by the School Board from time to time;

4. Meetings

- a) Meetings of the School Board shall either be ordinary or special.
- b) Ordinary meetings shall be held in the months of August and November in the Monsoon Semester and in January and April in the Winter Semester.
- c) Special meetings may be called by the Dean on his/her own initiative or shall be called at the suggestion of the Vice-Chancellor or on a written request from at least one-fifth of the members of the School Board.

5. Quorum

The quorum for the meeting of the School Board shall be one-third of its total members.

6. Notice of Meeting

Notice for a meeting of the School Board, other than special meeting, shall ordinarily be issued at least 10 days before the day fixed for the meeting. A special meeting shall ordinarily be fixed with at least 5 days' notice.

7. Rules of Conduct of the Meeting

Rules of conduct of the meeting of the School Board shall be prescribed by the Regulations.

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

07. ORDINANCE RELATING TO DEPARTMENT/CENTRE, BOARD OF STUDIES AND HEAD/CHAIRPERSON OF THE DEPARTMENT/CENTRE/BOARD OF STUDIES

[Ref. Statute 15(5)(b) read with Proviso under Statute 16(3)]

PART A : Department/Centre/Board of Studies

1. Composition : Each Department/Centre/Board of Studies shall consist of the following members, namely:-

- (i) teachers of the Department/Centre;
- (ii) persons conducting research in the Department/Centre;
- (iii) Dean of the School;
- (iv) honorary Professors, if any, attached to the Department/Centre; and
- (v) (a) two teachers of the University who are experts in allied or cognate subject dealt within the Department/ Centre to be nominated by the Academic Council for a period of two years, provided that no such teacher shall be nominated as a member of more than two Departments/Centers. (b) not more than two persons, not engaged in teaching/research in the University and having expert knowledge of the subject or subjects dealt within the Department/Centre, to be nominated by the Academic Council as members of the Board of Studies concerned for a period of two years.

2. Functions of the Department/Centre

The functions of Department / Centre shall be:

- a) to recommend to the School Board concerned names of examiners in respect of the subject or subjects dealt with by the Department/Centre;
- b) to recommend to the Admissions Committee, applications for candidates for admission to the research Degrees;
- c) to recommend to the School Board concerned courses of studies;
- d) to approve the syllabi and prescribe the text-books for the courses;
- e) To approve the pattern and schedule of sessional evaluation for each course offered by the Department/Centre;
- f) to allocate teaching work to the teachers and frame the time-table in accordance with the general time-table of the School concerned and the University;
- g) to recommend to the School Board through the CASR the topics for M.Phil dissertations and Ph.D. theses, the course(s) prescribed for M.Phil students and for Ph.D. students, if any, the names of Supervisors/Advisors, the names of panel of examiners for evaluating M.Phil. dissertations and Ph.D. thesis and other related matters which require approval of the School Board;
- h) to make proposals to the Committee for Advanced Studies and Research regarding research projects to be taken up by the members of the Department/Centre as the case may be, either individually or in groups;
- i) to appoint from amongst its teachers, advisors to students;
- j) to take measures for the improvement of the standard of teaching and research; and
- k) to perform such other functions as may be assigned to it by the School concerned.

3. Quorum

The quorum for a meeting of a Department/Centre shall be one-third of the total members of the Department/Centre.

PART B : Head/Chairperson of the Department/Centre/Board of Studies

Powers and Duties of the Head/Chairperson of the Department/Centre/Board of Studies:

The Head/Chairperson of the Department/Centre/Board of Studies shall convene and preside over meetings of the Department/ Centre/Board of Studies and shall, under the general supervision of the Dean of the School of Studies, and with the concurrence of the Department/Centre -

- (a) organize the teaching and research work in the Department/Centre;
- (b) maintain discipline in the class rooms and laboratories through teachers;
- (c) assign to the teachers in the Department/Centre teaching and research and such other duties as may be necessary for the proper functioning of the Department/Centre; and
- (d) perform such other duties as may be assigned to him/her by the Dean of the School of Studies, the School Board, the CASR, the Vice-Chancellor, the Academic Council and the Executive Council .

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

09. ORDINACE RELATING TO THE POWERS AND FUNCTIONS OF THE DEAN OF STUDENTS' WELFARE [Ref. Statute 36(1)(i) of Statutes]

- 1. The Dean of Students' Welfare shall be appointed from among the Professors of the University by the Executive Council on the recommendations of the ViceChancellor for a period of 3 years.
- 2. The duties of the Dean of Students' Welfare shall be in addition to his/her duties as Professor. He/she shall be entitled to a monthly honorarium decided by the Executive Council in lieu of the additional work.
- 3. The Dean of Students' Welfare shall be the Chairperson of the Students' Council.
- 4. The Dean of Students' Welfare shall look after the general welfare of the students and also provide appropriate encouragement for sound and fruitful relationship between the intellectual and social life

of the students and for those aspects of the University life outside the class-room which contribute to their growth and development as mature and responsible human beings.

- 5. The Dean of the Students Welfare shall be the Head of the Department so far as Hostels, Sports, Health Centre, University Cultural Committees and such other committees for the welfare of the students including Day Scholars and international students.
- 6. The Dean of Students Welfare, inter-alia, shall arrange for the guidance of and advice to the students in matters relating to :
 - (i) organization and development of students' bodies;
 - (ii) counseling and students' guidance facilities;
 - (iii) liaison with students' parents / guardians;
 - (iv) extra-curricular and sport activities of students;
 - (v) promotion of students' participation in co-curricular and social activities;
 - (vi) students' financial aid;
 - (vii) student-faculty and students-administration relationship;
 - (viii) career advice services;
 - (ix) health and medical services for the students;
 - (x) residential life of the students;
 - (xi) facilities for educational tours and excursion for students;
 - (xii) facilities for students for further studies in the country and / or abroad;
 - (xiii) alumni activities.
- 7. The Dean of Students' Welfare shall exercise such powers and perform such duties in the pursuit of the above objectives as may be assigned to him/her from time to time by the Vice-Chancellor.

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

11. ORDINANCE RELATING TO THE AWARD OF DEGREE OF MASTER OF PHILOSOPHY/ DOCTOR OF PHILOSOPHY *

1. Definition

1.1 "Course" means a Semester Course.

1.2 "Credit"(c) is the weightage assigned to a course in terms of contact hours.

1.3 "Grade" means a letter grade assigned to a student on the basis of evaluation of a course on the ten point scale.

1.4 "Grade point" (g) means the numerical equivalent of a letter grade assigned to a student in a ten point scale.

1.5 "Semester Grade Point Average" (SGPA) means the grade point average of a student calculated in the following manner:

$$(g1 x c1) + (g2 x c2) + \dots$$

SGPA = -----

Total number of credits of courses for which the

student has registered in a semester

1.6 "Cumulative Grade Point Average" (CGPA) means a cumulative index grade point average of a student calculated in the following manner:

 $(g1 x c1) + (g2 x c2) + \dots$

CGPA = -----

Total number of credits offered to the student upto

and including the semester for which cumulative index is required

1.7 "Final Grade Point Average" (FGPA) is the final index of a student at the time of the award of a Degree calculated in the following manner:

$$FGPA = \frac{\sum_{i}^{n} C_{i}G_{i}}{\sum_{i}^{n} C_{i}}$$

ci = Credit of the ith course

gi= Grade point secured by the student in the course

n = total number of courses prescribed for the student

1.8 "Final Grade" is the letter equivalent assigned to a student on the basis of his/her final grade point at the time of the award of the Degree.

2. Eligibility for Admission to the Programme of Study

2.1 A candidate shall be eligible for admission to a 10 semester integrated programme if he/she has passed the Senior School Certificate Examination (10+2) of a recognized Board of Secondary Education or an examination recognized by the University as its equivalent.

2.2 Candidates may also be offered admission to the 7th semester of the 10 semester integrated course leading to the Master's Degree of the University or to a regular 4 Semester Master's Degree Programme, provided they have obtained a Bachelor's Degree under 10+2+3 pattern recognized by the University or a Degree recognized as its equivalent and provided that they have attained minimum proficiency in the subject at the time of admission as decided by the University from time to time.

2.3 No candidate shall be eligible for admission to the programme unless he/she has attained the age of 17 years for admission to the 1st semester of the 10-Semester programme as on 22nd July, i.e. the day on which the new academic session commences.

3. Disciplines for Master's Degree

Candidates may seek admission to programmes of Studies leading to the award of Master's Degree in any of the disciplines as may be decided by the Academic Council on the recommendation of the School Board concerned.

4. Admission Procedure

The procedure for admission to the programme shall be laid down from time to time by the Admissions Committee subject to approval by the Academic Council.

5 Registration of Courses

5.1 Registration of courses is the sole responsibility of a student. No student shall be allowed to do a course without registration and no student shall be entitled to any credits in the course unless he/she has been formally registered for the course by the scheduled date to be announced by the University.

5.2 Registration will be allowed up to a maximum of two weeks after the beginning of a semester or as prescribed by the university from time to time

5.3 No student shall be allowed to add a course or substitute a course for another course not later than three weeks from the date of commencement of the semester. A student wishing to drop a course must do so as early as possible but and in no case later than six weeks from the date of commencement of the semester. No student shall be permitted to drop a course after the six-week period:

Provided that a student may take more optional courses than prescribed in the programme, in which case in the calculation of Final Grade Point Average only the prescribed number of optional courses in the descending order of the grades obtained by the student shall be included. For example, if a programme has 12 compulsory courses and 4 optional courses and a student credits 6 optional courses, his/her Final Grade Point Average shall be calculated on the basis of 12 compulsory courses and the first four optional courses, when all the six are ranked according to descending order of grades obtained by him/her. However, no student shall be permitted to register in a semester only to take an additional optional course.

No student shall be allowed to add, substitute and/or drop a course after these deadlines.

6. Faculty Adviser

The Centre/School may appoint an Adviser for students from among the members of the faculty concerned.

7. Duration of the Course

The M.Phil. course work shall be spread over two semesters in such a way that at least 50% of the total course work shall be completed in the first semester. No candidate shall be permitted to submit his/her dissertation for the M.Phil. Degree unless he/she has pursued M.Phil. programme for not less three semesters after his/her admission to M.Phil.-Ph.D. integrated programme and that he/she has successfully completed all the required credits through course work. The candidate shall be allowed to submit his/her dissertation latest by the completion of the fourth semester:

Provided that a semester may be declared zero semester(s) in the case of a student if he/she could not continue with the academic programme during that period due to illness and hospitalization or due to accepting a foreign scholarship/ fellowship leading to his/her absence from the University. Such zero semester(s) shall not be counted for calculation of duration of the programme in case of such a student:

Provided further that in case of a foreign student who is compelled to leave the programme in between for getting their student visa/research visa extended, such period shall not be counted for the purpose of calculation of duration of the programme.

7. Credit Requirements

No student admitted to the programme shall be eligible for the award of M.Phil. Degree unless he/she secures 40 credits in all out of which at least 20 credits shall be for course work (including Research Techniques/Methodology) and 20 credits for the dissertation.

8. Confirmation to Programme

The admission of a student to the programme shall be confirmed only if the Committee for Advanced Studies and Research (CASR) of the School is satisfied that:

- (i) research on the proposed subject can be profitably pursued;
- (ii) the research work can be suitably undertaken at the University; and the candidate possessed the competence for the proposed research.

9. Appointment of Supervisor

The School Board on the recommendation of the Centre and the Committee for Advanced Studies and Research (CASR) of the School, shall appoint a member of the faculty of the Centre concerned as Supervisor to guide and supervise the work of the student at the appropriate time. Provided further that if a situation so requires, the CASR may also recommend the appointment of Co-Supervisor(s) either from within or outside the University.

In case a supervisor under whose supervision a dissertation has been prepared in part or in full ceases to be a teacher of the University, he/she may, subject to his/her availability and recommendations of the School/Centre concerned, be continued by the CASR as Joint-Supervisor of the student.

10. Topic of Dissertation

The topic of dissertation shall be approved by the School Board on the recommendations of the Centre Board or Synopsis Committee (in absence of Centre Board) and the CASR on a proposal submitted by the student through his/her Supervisor.

11. Evaluation

11.1 Subject to confirmation by the School Board, the method of evaluation in the course(s) leading to the M.Phil. Degree shall be prescribed, and assessment conducted, by the School/Centre concerned. A candidate admitted to the M.Phil.-Ph.D. programme, upon completion of the minimum prescribed period of time, as stipulated in the Ordinances, shall be permitted to submit a dissertation for the award of the M.Phil. Degree, in the manner prescribed below:

(a) He/she shall inform of his intention to submit the dissertation to the Dean of the School through his/her supervisor and Centre Chairperson concerned along with copies of the synopsis of the research work done by him/her leading to the M.Phil. Degree.

62

(b) Upon receipt of such intimation, the Supervisor in consultation with the Centre Chairperson and Dean of the School concerned, shall notify a date and time on which the candidate shall deliver a seminar open to all faculty members and research scholars of the University to explain and defend the research carried out by him/her.

(c) After the public defense, the candidate shall be permitted to submit the dissertation.

11.2 The dissertation shall be examined by two examiners, at least one of whom shall be from outside the State and not a member of the Board of Studies of the Centre concerned and/or the School Board, to be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Academic Council, the Board and the Committee for Advanced Studies and Research of the School concerned:

Provided that in case of difference of opinion between the two examiners with regard to the evaluation of dissertation, the Dean of the School shall arrange to have placed before the School Board the evaluation reports of both the examiners for its consideration:

Provided further that after due consideration of the reports, the School Board may recommend the appointment of a third examiner (not connected with the University) in manner laid down above:

Provided further that if the recommendation of the third examiner is in the negative the student concerned shall not be awarded the Degree of M.Phil.

Letter Grade	Grade Point	Percentage Range
O (Outstanding)	10	≥80.00
A+ (Excellent)	9	70.00-79.99
A (Very Good)	8	60.00-69.99
B+ (Good)	7	55.00-59.99
B (Above Average)	6	50.00-54.99
C (Average)	5	45.00-49.99
P (Pass)	4	40.00-44.99
D (Promoted)	3	30.00-39.99
F (Fail)	0	<30.00
Ab (Absent)		

11.3 The Courses and dissertation of the student shall be graded on a ten point scale, that is:

Note :

1) There shall be no rounding off of SGPA/CGPA/FGPA

2) The SGPA/CGPA/FGPA obtained by a student is out of a maximum possible 10 points.

11.4 The examiner while recommending the approval of the dissertation for the award of M.Phil. Degree shall also award grade for the dissertation according to the grading system in clause 11.3 above. The final grade for the dissertation shall be determined by taking the average of the marks given by two examiners.

11.5 A student in order to be eligible for the award of M.Phil. Degree of the University must have a minimum Cumulative Grade Point Average (CGPA) of 5.5 (inclusive of dissertation and course work):

Provided that a student may take course(s) carrying more credits than the number of credits prescribed by the School/Centre in the course work of M.Phil. programme, in which case in the calculation of Cumulative Grade Point Average (CGPA) only the prescribed number of courses in the descending order of the grades obtained by the student shall be included. For example, if the M.Phil. programme has course work comprising two courses and the student credits four courses, his/her Cumulative Grade Point Average (CGPA) shall be calculated on the basis of the best two courses, when all the four courses are ranked according to the descending order of grades obtained by him/her.

12. No candidate shall be eligible to register for the programme if he/she is already registered for any fulltime programme of study in this University or in any other University/Institution.

13. Removal of Name of an M.Phil. Student from the Rolls of the University

13.1 further, A student who fails to secure a weighted grade 'P' (i.e. SGPA of 4.0) in the course work for the programme in any semester or who fails to secure CGPA of 5.0 in the overall course work shall automatically stand removed from the rolls of the University.

13.2 (a) A student who fails to secure at least 'D' in any of the course in a semester, shall automatically stand removed from the rolls of the University.

(b) The Committee for Advanced Studies and Research may at its discretion strike off from the rolls of the University, the name of a student for lack of interest and motivation for research after completion of course work.

14. Registration to Ph.D.

A candidate shall be eligible for registration to the Ph.D. programme if he/she has completed the M.Phil. programme and has secured:

a) a minimum FGPA of 6.00 including grade of dissertation and courses (5.5 in case of SC/ST/differently abled students):

Provided that registration in the Ph.D. programme of a student who has completed requirements of the M.Phil. programme and result of whose dissertation is awaited may be considered provisional and made final only after the result is known and he/she has secured the required CGPA/FGPA.

b) Completion of M.Phil.-Ph.D. course work carrying a minimum of 20 credits with minimum CGPA of 6.5.

15. Topic of Ph.D. Thesis and Appointment of Supervisor

15.1 The CASR of the School shall satisfy itself:

(i) that research on the proposed subject can be profitably pursued;

(ii) that the research work can be suitably undertaken at the University; and

(iii) that the candidate possesses the competence for the proposed research.

15.2 The School Board on the recommendation of Department/Centre shall, at appropriate time;

(i) confirm the registration of student to the Ph.D. programme if his/her registration was provisional, and

(ii) appoint a teacher of the School/Centre as supervisor and in as the case may be, a co-supervisor to guide and supervise the work of student:

Provided further that in case a Supervisor, under whose guidance a thesis has been prepared in part or in full, ceases to be a teacher of the University, he/she may subject to his/her availability and recommendation of the School/Centre be continued by the School Board as Joint Supervisor of the student concerned.

16. No candidate shall be permitted to submit his/her thesis for the Ph.D. Degree, unless he/she has pursued research at the University for not less than two years after his/her registration to Ph.D. programme, or confirmation of registration to Ph.D. programme, as the case may be.

i) Provided that a semester or a year may be declared zero semester or zero year in the case of a student if he/she could not continue with the academic programme during that period due to illness and hospitalization or due to accepting a foreign scholarship/fellowship subject to the fulfillment of requirements as laid down by the regulations. Such zero semester/year shall not be counted for calculation of duration of the programme in case of such a student.

ii) Provided further that in case of a foreign student who is compelled to leave the programme in between for getting their student visa/research visa extended, such period shall not be counted for the purpose of calculation of duration of the programme.

iii) Provided that a student may de-register from the programme after the award of M.Phil. Degree through due process. The CASR on the recommendation of the School/Centre may however, subsequently allow the student to re-register if the request is received within or up to 10 years from the date of de-registration, provided further that the student submits his/her thesis within one year from the date of reregistration under provisions of Clause 17(b).

17. Removal of Name of a Ph.D. Student from the Rolls of the University

(a) The name of the candidate shall stand automatically removed from the rolls of the University if he / she

(i) Fails to secure the requisite CGPA/FGPA in M.Phil., if he/she was provisionally admitted to Ph.D. programme pending the result of his/her M.Phil. dissertation;

(ii) Fails to submit his/her thesis within six years of the date of his/her initial admission to the M.Phil. programme, or four years from the date of his/her registration to the Ph.D. programme, which is earlier:

Provided, however, that in respect of students who had discontinued after obtaining their M.Phil Degree and who are re-admitted to the programme by the School/Centre, the period for which such students had discontinued shall not be counted while calculating the period of six years as above.

(b) The Committee for Advanced Studies and Research on the recommendations of the School/Centre concerned may, however, subsequently accept the request of a candidate whose name has been removed from the rolls of the University under subclause 17(a)(ii) above, to re-register within or up to 10 years from the date of deregistration and become eligible for submission of his/her thesis, provided that he/she submits his/her thesis within one year from the date of his/her re-registration.

18. No candidate admitted to a course of research for the M.Phil. Degree or admitted to Ph.D. under this Ordinance shall, without the prior permission of the School Board and before completing the M.Phil. programme or before completing the minimum period prescribed in clause 16 above:

(a) undertake any employment:

Provided that those engaged in teaching and research in recognized universities/research institutions located within 250 km of the University may be exempted from the limitation of this sub-clause;

Provided further that in no School/Centre should this category exceed 15 % of the number enrolled for M.Phil. /Ph.D.;

(b) join any other course of study; or

(c) appear in any examination other than those prescribed by the Department/Centre concerned, without the prior permission of the Committee for Advanced Studies and Research.

19. The Committee for Advanced Studies and Research may cancel the admission of a candidate for a breach of the provisions of clauses 12 and 18 or on account of his/her unsatisfactory progress.

20. A candidate shall submit his/her thesis for the Ph.D. Degree in the manner prescribed by the UGC from time to time. Any original paper(s) pertaining to the area of specialization published by the candidate during the course of work leading to the Ph.D. Degree and/or the dissertation submitted by him/her for the Master of Philosophy Degree, may be submitted as subsidiary or supporting material in favour of his/her candidature for the award of the Ph.D. Degree.

21. The thesis submitted by the candidate for the award of the Ph.D. Degree shall be examined by two examiners one of whom shall be from outside the state appointed by the Executive Council on the recommendation of the Committee for Advanced Studies and Research and the School Board and the Academic Council from amongst those who are not on the staff of the University and/or on the Board of Studies of Department/Centre and/or School Board.

22. Each Examiner, after examining the thesis submitted by the candidate for the award of the Ph.D. Degree, shall submit a report to the CoE office containing a clear recommendation whether, in his/her opinion (a) the viva-voce examination of the candidate should be held; or (b) the thesis should be referred back to the candidate for revision; or (c) it should be rejected.

23. (a) If the Dean/Chairperson is satisfied that the examiners have unanimously recommended that the viva-voce examination of the candidate be held, he/she shall accordingly arrange to hold it.

(b) In case the Dean/Chairperson notes that the examiners of the thesis have not recommended unanimously that the viva-voce examination of the candidate be held or he/she is satisfied that in the course of either report an adverse opinion of a substantive nature has been expressed materially affecting the validity of the same examiner's otherwise positive recommendation, then the Dean/Chairperson shall place the report of the examiners before the Committee for Advanced Studies and Research for further action.

(c) The Committee for Advanced Studies and Research may, at its discretion and shall, if the recommendation of one examiner is positive and that of the other negative, recommend to the Academic Council for the appointment of a third examiner, one not in the service of the University and/or on the Board of Studies of Centre and/or the School Board to examine the thesis and act according to the recommendation of the third examiner;

Provided that recommendation is not to be considered negative if a revision is recommended and this revised thesis is accepted by the examiner;

Provided, further, that if the thesis after revision is not accepted by the examiner, the original and the revised version of the thesis shall be sent to the third examiner as per (c) above and the version approved by the third examiner shall be considered final.

Note :

(1) No thesis shall earn a Degree unless there are two positive recommendations.

(2) Where one recommendation is positive and the other asks for revision, the Committee for Advanced Studies and Research shall ordinarily get the revision carried out and revised thesis sent to the same examiner.

24. The viva-voce examination of candidate shall be conducted by a Board of examiners consisting of one of the external examiners of the thesis and the Supervisor(s), provided, where neither of the examiners, who evaluated the thesis, is in a position to conduct the viva-voce examination, another examiner shall be appointed in his/her place.

Provided that where the Supervisor is unable to be present within a reasonable time to participate in the vivavoce examination, the CASR may recommend another member of the faculty in his/her place.

25. The manner in which the viva-voce examinations to be conducted shall be as prescribed.

26. (a) At the viva-voce examination, the viva-voce Board shall satisfy itself:

(i) that the thesis submitted by the candidate is his/her own work, and

(ii) that the grasp of the candidate of the field of his/her study is satisfactory.

(b) The viva-voce Board may, on the basis of the unanimous opinion of its external members, and on the basis of the candidate's performance at the viva-voce examination, recommend:

(i) that the candidate be awarded the Ph.D. Degree or

- (ii) that the thesis be referred back to the candidate for revision; or
- (iii) that the thesis be rejected and the candidate be not awarded the Ph.D. Degree.
- 27. (a) In case the School Board is satisfied that the viva-voce Board recommends that the candidate be awarded the Ph.D. Degree, it shall recommend to the Academic Council that the Ph.D. Degree may be awarded to the candidate.

(b) In case the viva-voce Board recommends that the thesis of the candidate be rejected, the School Board shall direct accordingly.

(c) In case the recommendation of one member of the viva-voce Board is positive and of the other negative, the School Board shall refer the case to the CASR for its consideration and recommendation, and take a decision after considering such recommendation.

28. A candidate whose thesis has been referred back by the Viva-Voce Board for revision shall be permitted to re-submit it for the award of the Degree not later than one year of the intimation of the decision of the University to him/her:

Provided that, in exceptional cases, the Academic Council may, on the recommendations of the School Board extend the period by another year.

29. A thesis which has been re-submitted shall normally be examined by the original examiner(s) unless any one of them is, or both of them, are unable or unwilling to act as such, in which case another examiner(s) may be appointed.

30. No candidate shall be permitted to re-submit his/her thesis for the award of the Ph.D. Degree more than once if the thesis has been referred back for revision by the Viva-Voce Board.

31. Notwithstanding what is contained in the Ordinance, the Academic Council may, in exceptional circumstances and on the recommendations of the School Board as well as on the merits of each individual case consider, at its discretion and for the reasons to be recorded in writing, relaxation of any of the provisions except those prescribing CGPA requirements.

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

12. ORDINANCE RELATING TO THE AWARD OF DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY THROUGH DIRECT ADMISSION

1. Definition

1.1 "Course" means a Semester Course.

1.2 "Credit"(c) is the weightage assigned to a course in terms of contact hours.

1.3 "Grade" means a letter grade assigned to a student on the basis of evaluation of a course on a ten point scale.

1.4 "Grade point" (g) means the numerical equivalent of a letter grade assigned to a student in the ten point scale.

1.5 Semester Grade Point Average (SGPA) means the grade point average of a student calculated in the following manner:

$$(g1 x c1) + (g2 x c2) + \dots$$

SGPA = -----

Total number of credits of courses for which the

student has registered in a semester

1.6 "Cumulative Grade Point Average" (CGPA) means a cumulative index grade point average of a student calculated in the following manner:

$$(g1 x c1) + (g2 x c2) + \dots$$

CGPA = -----

Total number of credits of courses for which the student has registered

upto and including the semester for which cumulative index is required.

1.7 "Final Grade Point Average" (FGPA) is the final index of a student in the courses.

1.8 The final grade point average of students in the courses is worked out on the basis of the formula indicated below

$$FGPA = \frac{\sum_{i}^{n} C_{i}G_{i}}{\sum_{i}^{n} C_{i}}$$

ci = Credit of the ith course

gi = Grade point secured by the student in the ith course

n = total number of courses for which the student has registered

2. A candidate shall be eligible for admission to the Ph.D. programme, if he/she has previous research experience of at least two years in a recognized University/Research Institution and has research publication(s) comparable to M.Phil standard.

3. The procedure for admission shall be laid down from time to time by the Academic Council.

4. The application for admission shall be considered by the Department/Centre/Committee for Advanced Studies and Research (CASR) concerned which shall forward the application alongwith its opinion to the School Board after satisfying itself that:

(i) research on the proposed subject can be profitably pursued;

(ii) the research work can be suitably undertaken at the University; and

(iii) the candidate possesses the competence for the proposed research.

5. If the School Board is satisfied, it may recommend admission of the candidate to the Ph.D. programme to the Admissions Committee of the University for finalizing his/her admission.

Provided that If the CASR is so satisfied, it may recommend admission of the candidate provisionally to the course leading to the award of the Ph.D. Degree.

6. The School Board may, at the appropriate time, and on the recommendation of the Department/Centre/CASR:

(a) Appoint a Teacher of the University as Supervisor to guide and supervise the work of the student:

Provided further that the School Board may on the recommendation of the Department/Centre/CASR concerned, appoint Joint Supervisors in any particular case:

Provided further that in case a Supervisor, under whose guidance a thesis has been prepared in part or in full, ceases to be a teacher of the University, he/she may, subject to his/her availability and recommendation of the Department/Centre/CASR, be continued by the School Board as Joint Supervisor of the student concerned.

(b) Prescribe course(s) or advice the student to audit a course or courses where necessary as a prerequisite for confirmation of registration of students admitted provisionally. If the admission was not provisional, confirmation is automatic from the date of registration. Every such pre-requisite course shall carry such credit as may be approved by the School Board on the recommendation of the Department/Centre/CASR.

Provided if a student has taken more course than the prescribed number of courses and has secured the grade higher than 'F' in each course, then the best grades of the required number of courses shall be taken into account for calculation of CGPA for the purpose of deciding his/her case for confirmation to the Ph.D. programme.

Grade	Grade Point
A+	9
А	8
A-	7
B+	6
В	5
В-	4
C+	3
С	2
C-	1
F	0

7. The evaluation of course work shall be on a 10 point scale, that is:

Note :

1) There shall be no rounding off of SGPA/CGPA/FGPA.

2) The SGPA/CGPA/FGPA obtained by a student is out of a maximum possible 9 points.

8. A student for whom pre-requisite courses are prescribed shall be required to clear the course work within the first two consecutive semesters. The registration of such students shall be confirmed only if he/she has secured a minimum CGPA of 6.5 (6.00 in case of SC/ST/Differently abled students).

9. Consequent upon admission of the student or confirmation of his/her admission in case of provisional admission, as the case may be, the School Board shall, on the recommendation of the Department/Centre/CASR concerned, approve the topic of the proposed thesis leading to the award of the Ph.D. Degree.

10. The Ph.D. programme including the course work, if any prescribed, shall be spread over eight consecutive semesters.

11. No candidate shall be permitted to submit his/her thesis for the Ph.D. Degree, unless he/she has pursued research at the University for not less than two years after his/her registration to Ph.D. programme has been confirmed.

Provided that a semester or a year may be declared zero semester or zero year in the case of a student if he/she could not continue with the academic programme during that period due to illness and hospitalization or due to accepting a foreign scholarship/fellowship, subject to the fulfillment of requirements as prescribed. Such zero semester/year shall not be counted for calculation of duration of the programme in case of such a student.

12. (a) The name of a student shall automatically be removed from the rolls of the University if he/she

(i) fails in any pre-requisite course

(ii) fails to secure a CGPA of 6.5 (6.00 in case of SC/ST students) in the course work

(iii) fails to submit his/her thesis within four years from the date of registration to the Ph.D. programme.

(b) The School Board on the recommendation of the Department/Centre/CASR may, however, subsequently accept the request of a person whose name has been removed from the rolls of the University under sub-clause (a)(iii) above to get re-registered and become eligible for submission of his/her thesis, provided he/she submits his/her thesis within one year from the date of such re-registration.

13. Before completing the minimum period of two years prescribed in clause 11 above, no Ph.D. student shall, without the prior permission of the School Board:

(a) Undertake any employment;

Provided that those engaged in teaching and research in recognized universities/research institutions located in Ahmedabad/Gandhinagar may be exempted from the limitation of this sub-clause;

Provided further that this category should not exceed $12\frac{1}{2}$ % of the number of students registered for Ph.D. programme in any School/Department/Centre.

(b) Join any other programme of study; or

(c) Appear in any other examination other than those prescribed by the Department/Centre concerned.

14. No candidate shall be eligible to register for the programme/course if he/she is already registered for any full time programme of study of this University or in any other University/Institution.

15. The School Board may cancel the registration of a student for breach of the provisions of clauses 13 and 14.

16. A candidate shall submit his/her thesis for the Ph.D. Degree in the manner prescribed. Any original paper(s) pertaining to the area of specialization published by the candidate during the course of work leading to the Ph.D. Degree and/or the dissertation submitted by him/her for the Master of Philosophy Degree, may be submitted as subsidiary or supporting material in favour of his/her candidature for the award of the Ph.D. Degree.

17. A member of the teaching staff of the University may submit his/her thesis for the award of the Ph.D. Degree of the University in the following manner:

(i) He/she shall intimate to the Department/Centre the topic of his/her research work leading to the award of the Ph.D. Degree;

(ii) If the Department/Centre concerned is satisfied that:

(a) research on the proposed topic can be profitably pursued,

(b) research work can be suitably undertaken at the University, and

(c) the teacher possesses the competence for the proposed research, it shall

(1) recommend to the School Board that he/she may be permitted to undertake the proposed research work and submit his/her thesis for the award of the Ph.D. Degree of the University

(2) prescribe for him/her course or courses, if necessary as a partial requirement for the award of the Ph.D. Degree, and

(3) appoint an Advisor generally to guide him/her in completion of his/her thesis.

(iii) The School Board, on the recommendation of the CASR and if so satisfied, shall permit him/her to submit his/her thesis in not less than two years from the date of his/her obtaining the permission to undertake research work leading to the award of the Ph.D. Degree.

(iv) The Viva-Voce Board, as provided in clause 21 below shall in the case of a teacher submitting his/her thesis for the award of the Ph.D. Degree under this clause include his/her Adviser.

Explanation : For purpose of this clause, Research Assistant shall be deemed to be a member of the teaching staff.

18. The thesis submitted by the candidate for the award of the Ph.D. Degree shall be examined by two examiners appointed from the panel by the Executive Council on the recommendation of the Committee for Advanced Study and Research, the School Board and the Academic Council from amongst those who are not on the staff of the University and/or on the Board of Studies of Department/Centre and/or the School Board.

19. Each Examiner, after examining the thesis shall submit a report to the Dean of the School concerned containing a clear recommendation whether, in his/her opinion; (a) the viva-voce examination of the candidate should be held; or (b) the thesis should be referred back to the candidate for revision; or (c) it should be rejected.

The examiner shall not recommend that the viva-voce examination be held unless he/she is satisfied that the thesis constitutes a contribution to knowledge characterized either by reinterpretation of known facts or development of new techniques and that the methodology pursued by the candidate is sound and its literary presentation satisfactory.

20. (a) If the Dean of the School is satisfied that the examiners have unanimously recommended that the viva-voce examination of the candidate be held, he/she shall accordingly arrange to hold it.

(b) In case the Dean of the School notes that the examiners of the thesis have not recommended unanimously that the viva-voce examination of the candidate be held, or if/she is satisfied that in the course of either report an adverse opinion of a substantive nature has been expressed materially affecting the validity of the same examiner's otherwise positive recommendation, then the Dean shall place the report of the examiners before the Committee for Advanced Studies and Research for further action.

(c) The Committee for Advanced Studies and Research may, at its discretion, and shall, if the recommendation of one examiner is positive and that of the other negative, recommend to the Academic Council for the appointment of a third examiner, one not in the service of the University and/or on the Board of Studies of the Department/Centre and/or the School Board to examine the thesis and act according to the recommendation of the third examiner;

Provided that a recommendation is not to be considered negative if a revision is recommended and this revised thesis is accepted by the examiner;

Provided, further, that if the thesis after revision is not accepted by the examiner, the original and the revised version of the thesis shall be sent to the third examiner as per (c) above and the version approved by the third examiner shall be considered final.

Note : (1) No thesis shall earn a Degree unless there are two positive recommendations; (2) Where one recommendation is positive and the other asks for revision, the CASR shall ordinarily get the revision carried out and revised thesis sent to the same examiner.

21. The Viva-Voce examination of candidate shall be conducted by a Viva-Voce Board consisting of one of the external examiners of the thesis and the Supervisor/Advisor. Provided, where neither of the examiners, who evaluated the thesis, is in a position to conduct the viva-voce examination, another examiner shall be appointed in his/her place.

Provided that where the Supervisor/Advisor is unable to be present within a reasonable time to participate in the viva-voce examination, the CASR may recommend another member of the faculty in his/her place.

- 22. (a) At the viva-voce examination, the Viva-Voce Board shall satisfy itself;
 - (i) That the thesis submitted by the candidate is his/her own work, and
 - (ii) That the grasp of the candidate of the field of his/her study is satisfactory.

(b) The Viva-Voce Board may, on the basis of the unanimous opinion of its members, and on the basis of the candidate's performance at the vivavoce examination, recommend :

(i) That the candidate be awarded the Ph.D. Degree; or

(ii) That the thesis be referred back to the candidate for revision; or

(iii) That the thesis be rejected and the candidate be not awarded the Ph.D. Degree.

23. The manner in which the viva-voce examinations to be conducted shall be as prescribed.

24. (a) In case the School Board is satisfied that the Viva-Voce Board recommends that the candidate be awarded the Ph.D. Degree, it shall recommend to the Academic Council that the Ph.D. Degree may be awarded to the candidate.

(b) In case the viva-voce Board recommends that the thesis of the candidate be rejected, the School Board shall direct accordingly.

(c) In case the recommendation of one member of the Viva-Voce Board is positive and of the other negative, the School Board shall refer the case to the CASR for its consideration and recommendation, and take a decision after considering such recommendation.

25. A candidate whose thesis has been referred back by the Viva-Voce Board for revision shall be permitted to re-submit it for the award of the Degree not later than one year of the intimation of the decision of the University to him/her.

Provided that, in exceptional cases, the Academic Council may, on the recommendations of the School Board, extend the period by one semester.

26. A thesis which has been re-submitted shall normally be examined by the original examiner(s) unless any one of them is, or both of them are, unable or unwilling to act as such, in which case another examiner(s) may be appointed.

27. No candidate shall be permitted to re-submit his/her thesis for the award of the Ph.D. Degree more than once.

28. Notwithstanding what is contained in the Ordinance, the Academic Council may, in exceptional circumstances and on the recommendations of the School Board as well as on the merits of each individual case consider, at its discretion and for the reasons to be recorded in writing, relaxation of any of the provisions except those prescribing CGPA requirements.

CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

ORDINANCE No. 14 RELATING TO THE AWARD OF M.A, M.Sc., B.A (HONS.) DEGREES.

1. Definitions:

1.1 "Course" means a Semester Course.

1.2 "Credit" (c) is the weightage assigned to a course in terms of contact hours.

1.3 "Grade" means a letter grade assigned to a student on the basis of evaluation of a course on the ten point scale.

1.4 "Grade Point" (g) means the numerical equivalent of a letter grade assigned to a student in the ten point scale.

1.5 "Semester Grade Point Average" (SGPA) is a grade point average of a student calculated in the following manner.

 $(g1 x c1) + (g2 x c2) + \dots$

SGPA = -----

Total number of credits of courses for which the

student has registered in a semester

1.6 "Cumulative Grade Point Average" (CGPA) means a cumulative index grade point average of a student calculated in the following manner:

 $(g1 x c1) + (g2 x c2) + \dots$

CGPA = -----

Total number of credits of courses for which the student has registered

upto and including the semester for which cumulative index is required.

1.7 "Final Grade Point Average" (FGPA) is the final index of a student at the time of award of a Degree calculated in the following manner:

$$FGPA = \frac{\sum_{i}^{n} C_{i}G_{i}}{\sum_{i}^{n} C_{i}}$$

ci = Credit of the ith course

gi= Grade point secured by the student in the course

n = total number of courses prescribed for the student

1.8 Final Grade is the letter equivalent assigned to a student on the basis of his/her final grade point average at the time of the award of the Degree.

2. Eligibility for Admission to the course

2.1 A candidate shall be eligible for admission to a 10 semester integrated programme if he/she has passed the Senior School Certificate Examination (10+2) of a recognized Board of Secondary Education or an examination recognized by the University as its equivalent.

2.2 Candidates may also be offered admission to the 7th semester of the 10 semester integrated course leading to the Master's Degree of the University or to a regular 4 Semester Master's Degree Programme, provided they have obtained a Bachelor's Degree under 10+2+3 pattern recognized by the University or a Degree recognized as its equivalent and provided that they have attained minimum proficiency in the subject at the time of admission as decided by the University from time to time.

2.3 No candidate shall be eligible for admission to the programme unless he/she has attained the age of 17 years for admission to the 1st semester of the 10-Semester programme as on 22nd July, i.e. the day on which the new academic session commences.

3. Disciplines for Master's Degree

Candidates may seek admission to programmes of Studies leading to the award of Master's Degree in any of the disciplines as may be decided by the Academic Council on the recommendation of the School Board concerned.

4. Admission Procedure Procedure for admission to the course leading to the Master's Degree shall be laid down by regulations made in this regard under Statute 14(d).

5. Registration of Courses

5.1 Registration in the courses is the sole responsibility of a student. No student shall be allowed to do a course without getting registered or shall be entitled to any credits in the course unless he/she has been formally registered by the scheduled date to be announced by the University.

5.2 Registration will be allowed up to a maximum of two weeks after the beginning of a semester or as prescribed by the university from time to time.

5.3 No student shall be allowed to add a course or substitute a course for another course not later than three weeks from the date of commencement of the semester. A student wishing to drop a course must do so as early as possible but and in no case later than six weeks from the date of commencement of the semester. No student shall be permitted to drop a course after the six-week period.

Provided that a student may take more optional courses than prescribed in the programme, in which case in the calculation of Final Grade Point Average only the prescribed number of optional courses in the descending order of the grades obtained by the student shall be included. For example, if a programme has 12 compulsory courses and 4 optional courses and a student credits 6 optional courses, his/her Final Grade Point Average shall be calculated on the basis of 12 compulsory courses and the first four optional courses, when all the six are ranked according to descending order of grades obtained by him/her. However, no student shall be permitted to register in a semester only to take an additional optional course.

6. Faculty Adviser

The Centre/School may appoint an Adviser for students from among the members of the faculty concerned.

7. Duration of the course

7.1 The curricular work leading to the award of Master's Degree (integrated programme) shall be spread over a minimum of 10 semesters, five Monsoon semesters and five Winter semesters. Provided that the curricular work leading to the award of Master's Degree in the case of students admitted under clause 2.2 shall be spread over a minimum of 4 semesters – 2 monsoon and 2 winter semesters.

Provided further that a semester or a year may be declared zero semester or zero year in the case of a student if he/she could not continue with the academic programme during that

period due to illness and/or hospitalization or due to accepting a foreign scholarship/fellowship, subject to the fulfillment of requirements as laid down by the regulations. Such zero semester/year shall not be counted for calculation of the duration of the programme in case of such a student.

Provided further that in case of a foreign student who is compelled to leave the programme in between for getting their student visa/research visa extended, such period shall not be counted for the purpose of calculation of duration of the programme.

7.2 A student can take part in the curricular programme for the Five Year Master's Degree (integrated programme) of the University upto a maximum of 14 semesters. Provided that a student admitted under clause 2.2 can take part in the curricular programme for Master's Degree of the University upto a maximum of 6 semesters.

7.3 The Monsoon and the Winter semesters shall commence from and end on a date to be fixed by Academic Council. Provided that each semester shall ordinarily have 90 working days excluding the examination days.

7.4 A student who has taken the required curricular programme for a minimum of six semesters of the 10-Semester Programme will become eligible for the award of B.A.(Hons.) Degree subject to his/her fulfilling the credit requirements and the grade point requirements prescribed in clauses 8.4 and 10.2 and 10.3.

8. Credit requirements

8.1 The actual credit requirements in the case of a student for the B.A (Hons.) Degree shall be a minimum of 100 credits: 80 credits from core courses and 20 from non-core courses. The actual credit requirements in the case of a student for the Master's Degree shall be 72 credits: 32 credits from 8 core courses, 32 credits from 8 optional courses and 8 credits from Field/Research Projects. A student can opt for a maximum of 16 credits (1 course of 4 credits in each semester) for courses offered in other Centres/Schools.

8.2 A student with the permission of the Centre/School concerned may be allowed to carry additional load not exceeding 50% of the credits/courses a student is normally expected to cover in a semester.

8.3 A student shall not be permitted to opt for acourse if he/she has not cleared the previous course(s) prescribed as a pre-requisite.

8.4 A student supplicating for the B A (Hons.) Degree of the University under clause 7.4 shall be required to secure a minimum of 100 credits as per Clause 8.1 above.

9. Evaluation

9.1 The system of evaluation for each course shall be laid down by the School Board on the recommendation of the Board of Studies of the Centre concerned.

9.2 For courses having a semester examination, sessional work shall carry the same weight as the semester examination. Field/Research Projects shall be evaluated on the basis of the report submitted on the projects.

9.3 The pattern and schedule of sessional work for each course of a semester shall be prescribed by the School Board on the recommendation of the Centre concerned and shall be made known to the students at the commencement of each semester.

9.4 The students shall be graded in each course on a 10-point scale, that is:

Letter Grade	Grade Point	Percentage Range
--------------	-------------	------------------

O (Outstanding)	10	≥80.00
A+ (Excellent)	9	70.00-79.99
A (Very Good)	8	60.00-69.99
B+ (Good)	7	55.00-59.99
B (Above Average)	6	50.00-54.99
C (Average)	5	45.00-49.99
P (Pass)	4	40.00-44.99
D (Promoted)	3	30.00-39.99
F (Fail)	0	<30.00
Ab (Absent)		

Note : 1. There shall be no rounding off of SGPA/CGPA/FGPA.

2. The SGPA/CGPA/FGPA obtained by a student is out of a maximum possible 10 points.

9.5 "Clearing a Course" shall mean the following:

(a) For 6 semesters of a 10 semester integrated Masters programmes :

A student clears a course only if he/she has cleared both the components, namely, sessional work and end semester examination (for courses having end semester examination) by securing a grade equal to or higher than 'D' in both of them, or only if he or she secures an overall grade equal to or higher than 'D' (for courses having no end semester examination). A student who fails in a course either by not clearing the sessionals and consequently being not eligible to appear in the end semester examination, or by failing in the end semester examination, or by absenting from appearing in the end semester examination (for courses having end semester examination) or by failing to secure an overall grade equal to or higher than 'D' (for courses having no end semester examination), shall be required to repeat that course or clear another similar (core, optional, etc., as the case may be) course of the same credit in lieu thereof irrespective of his/her performance in the sessional work.

(b) For post-graduate level programmes:

A student clears a course only if he/she has participated in the sessional work and has secured an overall grade equal to or higher than 'D' in that course (for course having no end semester examination or for Field/Research Projects) or has participated in the sessional work and appeared in the end semester examination (for courses having end semester examination) and secured a weighted grade equal to or higher than 'D' in that course. A student who fails in a course either by not participating in the sessional work and thereby securing an overall grade of 'F' (for courses having no end semester examination or for Field/Research Projects) or consequently being not eligible to appear in the end semester examination or by absenting from appearing in the end semester examination or by failing to secure a weighted grade equal to or higher than 'D' (for course having end semester examination), shall be required to repeat that course or clear another similar (core, optional, etc., as the case may be) course in lieu thereof.

9.6 A student who secures a grade equal to or higher than 'D' in a course may be permitted by the Centre, keeping in view its academic constraints, to improve his/her grade by repeating that course once, subject to proviso of Clause 10.3 of the Ordinance.

Provided that a student who wants to repeat a course to improve his/her performance shall be allowed to do so only if he/she surrenders his/her earlier grade in the course by 16th August in case of the Monsoon Semester courses and by 1st February in case of Winter Semester courses. Having surrendered his/her earlier grade by due date, it will be his/her repeat performance in the course which will be taken into account to compute the SGPA and the CGPA. His/her transcript will however, reflect appropriately both the performances and the fact that he/she has repeated the courses.

9.7 Examiners or Board of Examinations shall be appointed for each course by the School Board, on the recommendation of the School/Centre concerned to conduct and prepare the results of the end-semester examinations.

10. Grade Point Requirements/Minimum standard

10.1 A student joining the 1st semester of the 10 semester programme or the 1st semester of a regular 4th Semester Masters Programme will be required to maintain a CGPA of 3.00 at the end of second semester and thereafter.

A student joining the 7th semester of the 10 Semester Programme will also be required to maintain a CGPA of 3.00 at the end of the eighth semester and thereafter.

Provided that if a student has secured a CGPA equal to or greater than 3.00, but less than 4.00 at the end of sixth semester from the date of joining, he/she may use the additional 2 semesters to improve his/her grade at-least to 4.00 to get the B.A. (Hons.) Degree and to continue in the Master's Programme as per the provisions of Clause 9.5 (a) and 9.6.

10.2 At the end of the 6th semester of the 10 semester programme, a student will be required to have a CGPA of 4.00 and also have cleared all the courses prescribed by the School/Centre from 1st to 6th semester to enable him/her to get B.A. (Hons.) Degree and to continue in the Master's Programme.

10.3 A student in order to be eligible for the award of Master's Degree of the University must have fulfilled the following requirements: (i) he/she has taken and passed all the prescribed courses as laid down; (ii) he/she has obtained a CGPA of 4.00 at the end of the programme.

Provided that the students of Master's programme who are otherwise eligible for award of the Degree, but have secured a CGPA less than 4.00 at the end of the permissible period of four semesters, may be allowed by the Centre/School concerned to repeat Master's level courses in the fifth and sixth semesters, as per provisions contained in Clause 9.5 (b) and 9.6 of the Ordinance, for improvement of CGPA.

10.4 a. The medium of instruction in respect of all Programmes of Studies offered by the Schools and Centres of Studies shall be English, except in cases of studies / research in Languages.

b. Question Papers of all examinations shall be set and answered in English language, except in case of examinations in languages / literature, where the question papers may be set and answered in the respective languages either in totality or in part, depending upon the requirements of the course.

c. The time-table of End-Semester Examination shall be notified as per the academic calendar of the University at least fifteen days prior to the commencement of the examinations.

d. The End-Semester Examinations shall be conducted under the general supervision of the Dean/Chairperson, who shall act as School/Centre Superintendent for all examinations of the courses of his/her School/Centre. He/she shall arrange for the invigilation duties from amongst the faculty members and shall be responsible for the fair and orderly conduct of the examination.

e. The paper setter for the End-Semester Examinations shall set the question paper in the prescribed format and shall submit the same in sealed cover marked as Confidential to the Controller of Examinations, at least fifteen days prior to the commencement of the End Semester Examination;

f. Each examiner appointed by the School Board shall be required to evaluate the answer scripts of the End-Semester Examination within one week of the date of examinations and shall be required to return to Controller of Examinations, the evaluated answer scripts along with the mark list.

g. Dean/Chairperson of the centre concerned, shall forward to the Controller of Examinations, the consolidated list of marks / grades awarded to the students in the sessional evaluation of each course offered by the Centre/School.

h. The End- Semester Examinations results shall be placed before the Dean of the School for approval after they have been screened by the Committee consisting of the

Head of the Centre and not more than three faculty members appointed by the Dean on the recommendations of the Head of the Centre concerned.

i. The final results at the end of the sixth and tenth semesters of a 10 semester programme at the end of the 4th semester of a 4 semester programme, i.e. for the award of B.A. (Hons.) and of Master's Degree, would be considered by a Committee of the School consisting of the Dean of the School and Chairperson of the Centres concerned as members and would be approved by the Vice-Chancellor before being announced.

j. A student may seek re-assessment of her/his answer scripts of the end-semester examinations for a particular course within seven working days of the declaration of results in a particular semester. Such re-assessment shall be done by a subject expert to be appointed by the Controller of Examinations on the recommendations of the Deans/ Chairpersons;

However, in such cases, where the difference in scores of the second examiner is more/ less than/ equal to 20% of the awarded score for a particular course, the Controller of Examinations shall send the answer script for assessment to a third examiner; further, in such cases, an average score shall be computed based on scores awarded by all the three examiners.

Provided that a student who has applied for reassessment, the marks obtained for such reassessment will be taken into account to compute the SGPA and the CGPA;

Provided that such re-assessments shall not be sought exceeding 50% of the normal load of courses in a semester;

11. Courses of Study and Framing of the Syllabi:

11.1 The syllabi shall be approved by the School Board, on the recommendations of the Board of Studies of the Centre concerned.

11.2 The Syllabi for the courses shall be approved by the School/Centre concerned which shall also prescribe text books and other reading material.

12. Removal of the Name of a Student from the Programme:

12.1 The names of students falling under following categories shall automatically stand removed from the Programme:

(a) Those students who fail to fulfill the CGPA requirements as specific under clause 10.

(b) Those students who have already exhausted the maximum period of eight semesters for the B.A (Hons.) programme and six semesters for the Masters programme and have not fulfilled the requirements for the award of B.A (Hons.) /Masters Degree as prescribed in clauses 10.2 and 10.3 and subject to the provisions in Clause 7.1.

12.2 The School Board, on the recommendations of the Centre, may remove the name of a student from a programme of study if:

(a) A student has still to clear courses which cannot possibly be cleared in the remaining period of study even if he/she is allowed to register the normal load for the remaining period plus 50% of this normal load.

13 Notwithstanding what is contained in the Ordinance, the Academic Council may, in exceptional circumstances and on the recommendations of the Department/Centre and School Board as well as on the merits of each individual case, consider at its discretion and for reasons to be recorded relaxation of any of the provisions, except those prescribing CGPA/FGPA requirements.

14 No candidate shall be eligible to register for the programme/courses if he/she is already registered for any full-time programme of study in the University or in any other University/Institution.

Prof. S.L. HIREMATH, Registrar

[ADVT-III/4/Exty./10/17]